दिनांक .... को विधान सभा
में प्रस्तुत 26 MAR 2015
Presented to Legislature
on .. ..

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्र. 3

अनुक्रमणिका

	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-xi
भाग - क राजस्व		
पहला अध्याय: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.2	3
कर निर्धारण हेतु बकाया	1.3	4
विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन	1.4	5
लंबित प्रतिदाय प्रकरण	1.5	5
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया	1.6	6
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण	1.7	10
लेखापरीक्षा योजना	1.8	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	13
यह प्रतिवेदन	1.10	14
दूसरा अध्याय: वाणिज्यिक कर		
कर प्रशासन	2.1	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	15
गलत/अधिक आगत कर छूट प्रदाय करना	2.3	16
मूल्य संवर्धित कर का अव/अनारोपण	2.4	17
गलत छूट प्रदाय किये जाने से कर का कम आरोपण	2.5	18
गलत कर की दर का आरोपण	2.6	18
''प्रवेश कर के आरोपण एवं संग्रहण'' पर वृहत प्रारूप कंडिका	2.7	19

तीसरा अध्यायः राज्य आबकारी		
लेखापरीक्षा परिणाम	3.1	27
"आबकारी राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	3.2	28
चौथा अध्यायः भू-राजस्व		
कर प्रशासन	4.1	47
आंतरिक लेखापरीक्षा	4.2	47
लेखापरीक्षा परिणाम	4.3	47
प्रक्रिया व्यय की अवसूली	4.4	48
भू-भाटक एवं प्रब्याजी का कम आरोपण	4.5	48
अमुद्रांकित विलेखों का स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण	4.6	49
पाँचवा अध्यायः वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	5.1	51
आंतरिक लेखापरीक्षा	5.2	51
लेखापरीक्षा परिणाम	5.3	51
व्यापार प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर फीस की अवसूली/कम वसूली	5.4	52
यात्री यान एवं माल यान के स्वामियों से कर की अवसूली	5.5	52
वाहन कर का कम आरोपण	5.6	53
व्यापार कर की कम वसूली	5.7	54
छठवां अध्यायः अन्य गैर-कर प्राप्तियों		
खण्ड कः वानिकी एवं वन्य जीवन		
कर प्रशासन	6.1	57
आंतरिक लेखापरीक्षा	6.2	57
लेखापरीक्षा परिणाम	6.3	57
अन्य विभागों/संस्थाओं को प्रदायित वनोपज का निरीक्षण शुल्क की राशि वसूल न करना	6.4	58
निस्तार काष्ठागार में वनोपज की कमी	6.5	58

वनोत्पाद के परिवहन पर अभिवहन शुल्क की वसूली न होना	6.6	59
उपभोक्ता काष्ठागार में वनोपज की कमी	6.7	61
निस्तार काष्ठागार से वनोपज के विक्रय में राजस्व की कम प्राप्ति	6.8	61
खण्ड खः अलौह खनिज एवं खनिकर्म उद्योग		
कर प्रशासन	6.9	63
आंतरिक लेखापरीक्षा	6.10	63
लेखापरीक्षा परिणाम	6.11	63
अनिवार्य भाटक एवं उस पर ब्याज की राशि का वसूल न होना	6.12	64
भाग - ख व्यय		
सातवां अध्यायः वानिकी एवं वन्य जीवन		
प्रस्तावना	7.1	65
लेखापरीक्षा परिणाम	7.2	65
''छत्तीसगढ़ में बांस का उत्पादन एवं उपचार'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	7.3	66
उपचारित/कम उपचारित क्षेत्रों में वृक्षारोपण पर परिहार्य व्यय	7.4	91
काष्ठ के राजकीय व्यापार में अनियमित व्यय	7.5	93
भू-जल संरक्षण कार्य पर निष्फल व्यय	7.6	94
मनरेगा के अंतर्गत सड़क किनारे वृक्षारोपण के सुरक्षा एवं रखरखाव पर अधिक व्यय	7.7	95
सौर ऊर्जा फेंसिंग कार्य को अधिक दर स्वीकृत करने से अधिक व्यय	7.8	96
परिशिष्ट		99
शब्द कोष		149

प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभागों, जिनमें वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य आबकारी विभाग, भू-राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, खनिज संसाधन विभाग तथा वन विभाग सम्मिलित है, की निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है। जबकि आर्थिक, सामान्य और सामाजिक सेवा क्षेत्र से संबंधित विभागों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो कि सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अतिरिक्त) के प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण, वे प्रकरण हैं जो वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के **भाग 'क'** में एक निष्पादन लेखापरीक्षा और एक वृहत कंडिका सहित 19 कंडिकायें है जिनमें राशि ₹ 288.99 करोड़ के अवनिर्धारण, कर के कम आरोपण/अनारोपण इत्यादि के प्रकरण सन्निहित है जिसमें से ₹ 257.76 करोड़ शासन को संभावित हानि होने से अवसूली योग्य है, उल्लेखित है एवं **भाग 'ख'** में एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित छः कंडिकायें है जिनमें राशि ₹ 123.42 करोड़ गलत दर लगाना, मांग जारी नहीं करना, अनियमित/परिहार्य व्यय इत्यादि के प्रकरण सन्निहित है, उल्लेखित है। कुछ प्रमुख प्रेक्षण नीचे वर्णित है :

I. सामान्य

छत्तीसगढ़ शासन का वर्ष 2013-14 के लिये कुल प्राप्तियाँ ₹ 32,050.26 करोड़ थी। राज्य शासन द्वारा संग्रहित कर की कुल प्राप्तियाँ ₹ 19,443.88 करोड़ थी जिसमें कर राजस्व ₹ 14,342.71 करोड़ एवं कर भिन्न राजस्व ₹ 5,101.17 करोड़ था। भारत शासन से प्राप्तियाँ ₹ 12,606.38 करोड़ थी (विभाज्य संघीय करों में राज्यांश ₹ 7,880.22 करोड़ और सहायता अनुदान ₹ 4,726.16 करोड़)। इस प्रकार राज्य शासन का अपना योगदान कुल राजस्व का 61 प्रतिशत रहा।

(कंडिका 1.1)

जून 2014 की स्थिति में जारी किये गये 2,645 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 10,419 लेखापरीक्षा प्रेक्षण जिनमें ₹ 6,090.69 करोड़ सन्निहित है, बकाया थे।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष 2013-14 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, परिवहन, वन और अन्य विभागीय कार्यालयों की 122 इकाईयों की नमूना जाँच में ₹ 1,459.36 करोड़ अवनिर्धारण/कम आरोपण राजस्व की हानि के 1,26,405 प्रकरण पाये गये। वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सम्बन्धित विभागों द्वारा 1,20,517 प्रकरणों में, ₹ 92.46 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। इसमें से वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग द्वारा ₹ 5.98 लाख की वसूली की गई।

(कंडिका 1.9)

II. वाणिज्यिक कर

कर निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 27.26 लाख का अधिक/गलत आगत कर छूट प्रदाय किया।

(कंडिका 2.3)

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर की गलत दर आरोपित करने से ₹ 1.64 करोड़ के मूल्य संवर्धित कर का कम/अनारोपण हुआ।

(कंडिका 2.4)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चार्टर्ड एकाउटेंट की आडिट रिपोर्ट का अवलोकन न किये जाने से ₹ 13.63 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.5)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना में उल्लेखित दर के अनुसार प्रवेश कर आरोपित करने में असफल रहने के कारण ₹ 67.05 लाख के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.7.10)

III. राज्य आबकारी

''आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण'' की निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ पाईः

आसवनी/बाटलिंग ईकाई और छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (सी.एस.बी.सी.एल) के मध्य लेन-देन तथा साथ में सी.एस.बी.सी.एल और खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य लेन-देन के पुनः सत्यापन हेतु तंत्र के अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क राशि ₹ 2.96 करोड़ की कम प्राप्त हुई।

(कंडिका 3.2.9)

न्यूनतम निर्धारित मात्रा से अधिक विक्रय की गई मदिरा पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ग्राहको से वसूल की गई अनुज्ञप्ति फीस को जमा कराने हेतु विभाग द्वारा कोई नियम नहीं बनाए जाने से ₹ 178.41 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 3.2.10)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्यात हेतु बंध पत्र का पंजीयन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की अवसूली ₹ 40.32 लाख।

(कंडिका 3.2.13)

आबकारी आयुक्त द्वारा विदेशी मदिरा की औसत डयूटी का कम निर्धारण किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 79.35 करोड़ के आबकारी शुल्क और अनुज्ञप्ति फीस का कम प्राप्त होना।

(कंडिका 3.2.14)

बैंक ड्राफ्ट के समाशोधन नहीं होने से प्रोसेस फीस की कम प्राप्ति ₹ 71.16 लाख।

(कंडिका 3.2.15)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्यात की सत्यापन प्रतिवेदन की विलंबित/नहीं प्राप्ति होने से शुल्क की अवसूली ₹ 98.58 लाख।

(कंडिका 3.2.16)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के मिनियेचर बोतल का निराकरण नहीं किए जाने से शुल्क ₹ 63.79 लाख की अवसूली।

(कंडिका 3.2.18)

IV. भू-राजस्व

कलेक्टर द्वारा रा.व.प्र.प प्रकरणों के विरूद्ध की गई वसूल राशि में प्रक्रिया शुल्क सम्मिलित करने में असफल रहने से राशि ₹ 11.23 लाख कम वसूली हुई।

(कंडिका 4.4)

कलेक्टर द्वारा आबंटित भूमि का मूल्यांकन बाजार भाव अनुसार न किये जाने से प्रब्याजि राशि ₹ 8.10 करोड़ तथा वार्षिक भू-भाटक ₹ 63.71 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 4.5)

V. वाहनो पर कर

चार परिवहन कार्यालयों में ₹ 76.75 लाख के व्यापार फीस का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

(कंडिका 5.4)

सात परिवहन कार्यालयों में डिफाल्टर वाहन स्वामियों से कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी नही करने से ₹ 2.34 करोड़ के कर की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 5.5)

चार परिवहन कार्यालयों में ₹ 1.52 करोड़ के व्यापार कर की कम/अवसूली हुई।

(कंडिका 5.7)

VI अन्य कर भिन्न राजस्व

वनमंडलाधिकारी द्वारा निरीक्षण शुल्क के वसूली में विफल होने के कारण राशि ₹ 13 लाख का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 6.4)

वन क्षेत्र से उत्खनित एवं परिवहित वन उत्पाद पर राशि ₹ 7.63 करोड़ की अभिवहन शुल्क की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 6.6)

उपभोक्ता काष्ठागारों में वनोपज की कमी और विभाग द्वारा की कमियों के कारणों का समाधान करने में उदासीन रहने से राशि ₹ 8.78 लाख की राजस्व अप्राप्ति हुई।

(कंडिका 6.7)

वनमंडलाधिकारी द्वारा वनोपज के विक्रय में शासन द्वारा प्रावधानित रियायती दर का पालन न कर वनोपज का विक्रय करने से राशि ₹ 36.09 लाख की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 6.8)

जिला खनिज अधिकारी द्वारा खनिपट्टों की निगरानी करने में विफल होने के कारण अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की राशि ₹ 12 लाख की अप्राप्ति हुई।

(कंडिका 6.12)

VII वानिकी एवं वन्य जीवन(व्यय)

''छत्तीसगढ़ में बांस का उत्पादन एवं उपचार'' के निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ पाईः

बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य का मूल्यांकन न किये जाने से राशि ₹ 26.47 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.1)

बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य अयोग्य क्षेत्रों में किये जाने से राशि ₹ 9.73 करोड़ का अनियमित/परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.3)

बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य में वन संरक्षकों द्वारा निर्धारित जांब दरों का पालन न किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.52 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.5)

बिगड़े बांस वनो के उपचार में विभाग द्वारा नियत किये गये प्रावधानों एवं जाब दरों का पालन नहीं करने से ₹ 73.96 लाख का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.6)

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जहाँ बांस की कटाई संभव नहीं थी, में बिगड़े बांस के सुधार का कार्य किये जाने के फलस्वरूप राशि ₹ 2.11 करोड़ का संदिग्ध/निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.8)

विभाग ने बांस रोपण कार्य पर राशि ₹ 28.26 करोड़ का व्यय किया। तथापि, वह रोपणों की सफलता/असफलता का मूल्यांकन कर पाने में असफल रहा।

(कंडिका 7.3.11.1)

पातन हेतु ड्यू बांस कूपों, जिनमें 1.91 लाख हेक्टेयर बांस क्षेत्र सन्निहित था, का पातन न किये जाने से राशि ₹ 39.10 करोड़ की राजस्व क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बांस के विदोहन हेतु विभाग के पास कोई योजना नहीं थी तथा अलाभकारी कूपों का उपचार नहीं किया गया।

(कंडिका 7.3.12.1)

बांस के अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन की मात्राओं में बहुत अधिक अंतर था जिसके कारण राशि ₹ 4.71 करोड तक के राजस्व का संग्रहण नहीं हो सका।

(कंडिका 7.3.12.2(अ))

विभागीय अनुदेशों एवं कार्य आयोजना के प्रावधानों के विपरीत अनुपयुक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करने से राशि ₹ 1.09 करोड़ का व्यय परिहार्य हुआ।

(कंडिका 7.4)

वृक्षारोपण के परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा लोक धन के व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय नियंत्रण की अनदेखी करने से राशि ₹ 3.20 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 7.7)

भाग- क

राजस्व

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम एवं सहायता अनुदान तथा इससे संबंधित विगत चार वर्ष के आँकड़े **तालिका 1.1.1** में वर्णित हैः

तालिका - 1.1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	**राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व**					
	• कर राजस्व	7,123.25	9,005.14	10,712.25	13,034.21	14,342.71
	• कर भिन्न राजस्व	3,043.00	3,835.32	4,058.48	4,615.95	5,101.17
	योग	**10,166.25**	**12,840.46**	**14,770.73**	**17,650.16**	**19,443.88**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम	4,380.66	5,425.19	6,320.44	7,217.60	7,880.22[1]
	• सहायता अनुदान	3,606.74	4,453.89	4,776.21	4,710.33	4,726.16
	योग	**7,987.40**	**9,879.08**	**11,096.65**	**11,927.93**	**12,606.38**
3.	**राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**18,153.65**	**22,719.54**	**25,867.38**	**29,578.09**	**32,050.26**
4.	**1 से 3 का प्रतिशत**	**56**	**57**	**57**	**60**	**61**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व (19,443.88 करोड़) कुल राजस्व का 61 प्रतिशत रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान शेष राजस्व 39 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

1.1.2 वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण नीचे **तालिका 1.1.2** में वर्णित हैः

---

[1] विवरण के लिय कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे वर्ष 2013-14 (कर राजस्व) तालिका 11 राजस्व का लघु शीर्षवार लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020- कॉरपोरेशन कर, 0021- आय कर कार्पोरेशन कर को छोड़कर, 0032- संपत्ति कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038- संघ उत्पाद शुल्क एवं 0044- सेवा कर के अंतर्गत लघु शीर्ष 901- राज्यों को समानुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के दर्ज राशि कर-राजस्व के अंतर्गत दिखाए गए है, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर, विभाज्य संघीय करों में राज्यांश में सम्मिलित किया गया।

तालिका - 1.1.2
संग्रहित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13 की तुलना में 2013-14 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	बजट अनुमान (ब.अ.)	3,447.12	4,524.13	6,000.00	7,310.20	8,436.00	15.40
		वास्तविक	3,712.16	4,840.79	6,006.25	6,928.65	7,929.51	14.45
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	ब.अ.	1,158.00	1,390.00	1,550.00	2,200.00	2,675.00	21.59
		वास्तविक	1,187.72	1,506.44	1,596.98	2,485.68	2,549.15	2.55
3.	विद्युत पर कर और शुल्क	ब.अ.	528.25	554.31	600.00	780.00	1,000.00	28.21
		वास्तविक	416.91	502.53	637.97	860.75	1,020.44	18.55
4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	ब.अ.	515.00	650.35	875.00	950.00	1,150.00	21.05
		वास्तविक	583.13	785.85	845.82	952.47	990.24	3.97
5.	माल और यात्रियों पर कर	ब.अ.	560.00	6.16	700.00	950.00	1,192.00	25.47
		वास्तविक	696.10	675.14	825.67	954.31	945.44	(-) 0.93
6.	वाहनों पर कर	ब.अ.	351.47	410.00	475.00	605.71	731.38	20.74
		वास्तविक	351.88	427.52	502.18	591.75	651.07	10.02
7.	भू-राजस्व	ब.अ.	120.36	170.00	250.00	346.00	415.00	19.94
		वास्तविक	159.68	247.37	270.56	234.11	226.06	(-) 3.44
8.	अन्य कर राजस्व	ब.अ.	11.54	13.90	12.14	19.27	25.62	32.95
		वास्तविक	15.67	19.50	26.82	26.49	30.80	16.31
	योग	ब.अ.	6,691.74	7,718.85	10,462.14	13,161.18	15,625.00	18.72
		वास्तविक	7,123.25	9,005.14	10,712.25	13,034.21	14,342.71	10.03

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

संबंधित विभागों द्वारा अंतर के कारण निम्न प्रतिवेदित किये गये:

विद्युत पर कर और शुल्कः वृद्धि (18.55 प्रतिशत) करों में वृद्धि एवं पिछली वर्षों के विद्युत शुल्क/उपकर की प्राप्ति से हुई।

वाहनों पर करः वृद्धि (10.02 प्रतिशत) नए वाहनों की पंजीकरण में वृद्धि के कारण हुई।

बिक्री, व्यापार आदि पर करः वाणिज्यिक कर विभाग ने अनुरोध किये जाने (अप्रैल 2014 और जून 2014), के बावजूद भी पूर्व वर्षों की तुलना में प्राप्तियों के अंतर के कारणों को सूचित नहीं किया।

1.1.3 वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक संग्रहित कर-भिन्न राजस्व के विवरण नीचे **तालिका 1.1.3** में वर्णित हैः

तालिका 1.1.3
संग्रहित कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13 की तुलना में 2013-14 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	अलौह-धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	ब.अ.	1,685.40	2,150.00	2,700.00	3,105.00	3,510.00	13.04
		वास्तविक	1,660.87	2,470.44	2,744.82	3,138.18	3,236.01	3.12
2.	अन्य	ब.अ.	887.89	832.62	852.07	624.54	1,048.86	67.94
		वास्तविक	710.21	666.76	418.96	513.45	729.70	42.12
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	ब.अ.	365.00	400.00	400.00	405.00	450.00	11.11
		वास्तविक	345.85	305.17	341.64	363.96	405.91	11.53
4.	ब्याज प्राप्तियाँ	ब.अ.	262.19	232.63	302.40	321.94	399.14	23.98
		वास्तविक	220.70	170.95	216.57	243.13	380.64	56.67
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	ब.अ.	129.00	285.40	282.71	391.46	426.11	8.85
		वास्तविक	105.37	222.00	336.49	357.23	348.64	(-)2.40
योग		व.अ.	3,329.48	3,900.65	4,537.18	4,847.94	5,834.11	20.34
		वास्तविक	3,043.00	3,835.32	4,058.48	4,615.95	5,101.17	10.51

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

वानिकी एवं वन्य जीवनः वृद्धि (11.53 *प्रतिशत*) वन उत्पाद की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई।

1.2 बकाया राजस्व का विश्लेषण

कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों में 31 मार्च 2014 तक बकाया राजस्व ₹ 809.01 करोड़ सूचित किया गया जिसमें से ₹ 452.45 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित था, जो **तालिका 1.2** में वर्णित हैः

तालिका 1.2
बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 तक बकाया राशि	31 मार्च 2014 तक पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	टिप्पणी
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	607.03	419.54	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वसूली की कार्यवाही जारी है।
2.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	131.38	2.67	पन्द्रह प्रकरणों में ₹ 63.15 करोड़ की आर.आर.सी. जारी की गई है और शेष राशि के लिए मांग पत्र जारी किया गया है।
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	30.45	21.87	ये प्रकरण उच्च न्यायालय, राजस्व मंडल और आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है।
4.	वाहनों पर कर	20.55	4.09	संबंधित वाहन मालिकों को वसूली के लिए मांग पत्र जारी किया गया है।
5.	मुद्रांक फीस एवं पंजीयन शुल्क	15.37	1.50	जिला पंजीयक मांग पत्र जारी करेगें और वसूली के लिए आवश्यक कदम उठायेगें।
6	वानिकी एवं वन्य जीव	3.15	1.70	विभाग द्वारा कारणों से अवगत नहीं कराया गया।
7.	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	1.08	1.08	खनन अधिकारियों को वसूली के विशेष पहल के लिए आदेश जारी किये गये हैं।
	योग	**809.01**	**452.45**	

(स्रोतः विभागो द्वारा प्रदाय किए गये अनुसार)

तालिका यह दर्शाती है कि पाँच वर्षों से अधिक का बकाया राशि ₹ 452.45 करोड़ थी जो कि कुल बकाया राशि का 56 प्रतिशत थी और इसकी वसूली के लिए कोई भी ठोस उपाय नहीं किये गये। विभागीय अधिकारियों द्वारा बकाया राशि ₹ 809.01 करोड़ लंबित था।

1.3 कर निर्धारण हेतु बकाया

वर्ष के प्रारम्भ में कर निर्धारण के लंबित प्रकरणों की जानकारी, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण वर्ष के दौरान निराकृत एवं वर्ष के अन्त में लंबित प्रकरण जैसा कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वैट, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासिता कर एवं निर्माण कार्य करार पर कर के संबंध में सूचित किया गया, **तालिका 1.3** में प्रदर्शित है।

तालिका 1.3
कर निर्धारण हेतु बकाया

राजस्व का शीर्ष	प्रारंभिक शेष	2013-14 के दौरान कर निर्धारण हेतु नए प्रकरण	कुल लंबित कर निर्धारण	2013-14 के दौरान निराकृत प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष प्रकरण	निराकरण का प्रतिशत (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
मूल्य संवर्धित कर	53,305	57,853	1,11,158	49,778	61,380	44.78
वृत्ति कर	5,866	10,915	16,781	5,741	11,040	34.21
प्रवेश कर	24,234	24,812	49,046	31,112	17,934	63.43

विलासिता कर	366	474	840	464	376	55.24
निर्माण कार्य करार पर कर	3,190	2,711	5,901	4,010	1,891	67.95
योग	**86,961**	**96,765**	**1,83,726**	**91,105**	**92,621**	**49.59**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आकड़े)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के अंत तक कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरणों का 50 प्रतिशत ही विभाग द्वारा निराकरण किया जा सका।

अधिकतम राजस्व हेतु शासन इन लंबित प्रकरणों के अतिशीघ्र निराकरण हेतु समयबद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1.4 विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों अंतिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवं विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर मांगों के विवरण **तालिका 1.4** में वर्णित हैः

तालिका 1.4
कर अपवंचन

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 तक लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2013-14 के दौरान के प्रकरण	कुल	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/अन्वेषण कर शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2014 तक लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	171	89	260	221	92.90	39
	योग	**171**	**89**	**260**	**221**	**92.90**	**39**

(स्रोतः विभागो द्वारा प्रदत्त आकड़े)

तालिका 1.4 से देखा जा सकता है कि वर्ष के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या, वर्ष के प्रारंभ में लंबित प्रकरणों की संख्या की तुलना में कमी हुई।

तालिका 1.4 से देखा जा सकता है कि विभाग ने 221 प्रकरणों का निराकरण किया, जो कि वर्ष 2013-14 के दौरान निराकरण हेतु कुल बकाया प्रकरणों के 85 प्रतिशत है।

1.5 लंबित प्रतिदाय प्रकरण

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2013-14 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदायों और वर्ष 2013-14 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या **तालिका 1.5** में वर्णित हैः

तालिका 1.5
लंबित प्रतिदाय प्रकरणों की जानकारी

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विवरण	विक्रय कर/वेट	
		संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावा	217	13.44
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावा	2,939	188.73
3.	वर्ष के दौरान अनुमत्य प्रतिदाय	2,300	175.33
4.	वर्ष के अंत में शेष बकाया	856	26.84

(स्रोतः विभागो द्वारा प्रदत्त आकड़े)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 73 प्रतिशत प्रकरणों में ही केवल प्रतिदाय प्रदाय किया गया।

छत्तीसगढ़ वैट कर अधिनियम यह प्रावधानित करता है कि यदि व्यवसायी को अधिक राशि प्रतिदाय आदेश के 60 दिनों के पश्चात् भी वापस नहीं किया जाता है तो प्रतिदाय दिनांक तक एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। अतः विलम्ब से भुगतान किए गये प्रतिदाय पर ब्याज का दायित्व आता है।

1.6 लेखा परीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़, शासन के विभागों के लेन-देन की नमूना जाँच का सामयिक निरीक्षण करता है तथा यह सत्यापित करता है कि महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों का संधारण निर्धारित नियमों और विधि के अनुसार किया जा रहा है। इन निरीक्षणों के अनुसरण में जाँच के दौरान पायी गयी अनियमितताएं जिनका स्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर विभागाध्यक्ष को जारी करते है तथा उसकी प्रति उच्च अधिकारियों को शीघ्र सुधार कार्य करने के लिए भेजा जाता है। कार्यालय प्रमुख/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित आपत्तियों पर अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, लोप और त्रुटियों को सुधार कर प्रारम्भिक उत्तर के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देना होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित किया जाता है।

जून 2014 तक जारी 2,645 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 10,419 कंडिकाओं में ₹ 6,090.69 करोड़ की राशि लंबित थी जो पिछले दो वर्षों के आकड़ों के साथ **तालिका 1.6** में दर्शित हैः

तालिका 1.6
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2012	जून 2013	जून 2014
निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,185	2,549	2,645
लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	8,428	9,943	10,419
सन्निहित राजस्व राशि *(₹ करोड़ में)*	4,495.26	5,930.53	6,090.69

1.6.1 30 जून 2014 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रेक्षण एवं उसमें सन्निहित राजस्व का विभागवार विवरण नीचे **तालिका 1.6.1** में दिया गया है:

तालिका 1.6.1

विभागावार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम	राजस्व की प्रकृत्ति		लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर		416	2,614	375.67
2.	वाणिज्यिक कर (उत्पाद)	राज्य उत्पाद		123	332	328.54
		मनोरंजन कर		65	85	1.97
3.	राजस्व	भू-राजस्व		553	1,684	457.08
4.	परिवहन	वाहनों पर कर		137	1,009	130.66
5.	वाणिज्यिक कर (पंजीयन)	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क		223	611	85.30
6.	खनिज संसाधन	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग		134	452	819.21
7.	वन	वानिकी एवं वन्य जीवन	प्राप्तियाँ	321	960	1,005.42
			व्यय	371	1,558	591.11
8.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क		13	62	1,644.41
9.	राजस्व मंडल		व्यय	1	10	0.13
10	अन्य कर विभाग	अन्य कर प्राप्तियाँ	राजस्व	288	1,042	651.19
योग				**2,645**	**10,419**	**6,090.69**

मार्च 2013-14 के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा के 85 निरीक्षण प्रतिवेदनों (69.67 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर विभाग प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुए निरीक्षण प्रतिवेदन की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि विभागाध्यक्षों का रवैया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रति गंभीर नहीं है।

विभागाध्यक्ष लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को गंभीरता से लें और निर्धारित अवधि में उत्तर उपलब्ध करावें।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकें

शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना (विभिन्न समय के दौरान) निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की गई। वर्ष 2013-14 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण तथा निराकृत कंडिकाओं का विवरण **तालिका 1.6.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6.2
विभागीय लेखापरीक्षा समिति के बैठकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष	बैठकों की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	राशि
1.	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	01	0	0
2.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	02	43	2.24
	योग	**03**	**43**	**2.24**

उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2013-14 के दौरान खनिज संसाधन और वाणिज्यिक कर विभाग ने क्रमशः एक और दो विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकें आहुत की गई जिसमें 43 कंडिकाएं जिनमें राशि ₹ 2.24 करोड़ सम्मिलित है, निराकृत की गयी। विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बावजूद भी खनिज संसाधन एवं वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं की अतिलंबिता की तुलना में नगण्य है। अन्य विभागों ने विभागीय लेखापरीक्षा बैठकों को आहुत करने की पहल नहीं की।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन लंबित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा सामयिक विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें।

1.6.3 लेखापरीक्षा को परीक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना

कर राजस्व/कर भिन्न राजस्व कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभागों को सूचना भेज दी जाती है जिससे कि वे संबंधित दस्तावेजों को लेखापरीक्षा जांच के लिए तैयार कर सकें।

वर्ष 2013-14 के दौरान 67 कर निर्धारण नस्ती, विवरणी प्रतिदाय रजिस्टर और अन्य संबंधित अभिलेखों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। उन प्रकरणों को **तालिका 1.6.3** में निर्धारित कर दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.3
अप्रस्तुत प्रकरणों की जानकारी

कार्यालय/विभाग का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षा किया जाना था	प्रकरणों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी	कर राशि
वाणिज्यिक कर(पंजीयन)	2013-14	39	लागू नहीं
वाणिज्यिक कर विभाग	2013-14	25	लागू नहीं
भू-राजस्व	2013-14	03	लागू नहीं
योग		**67**	

अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना लेखापरीक्षा को संवैधानिक दायित्व पूरा करने में बाधा पहुँचाता है और लेखापरीक्षा के कारण जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है उससे वंचित करता है।

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित होने वाली प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर छः सप्ताह के भीतर देना होता है। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए महालेखाकार द्वारा विभागों को भेजे गए प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर को संबंधित विभागों के सचिवों को अर्धशासकीय पत्र प्रेषित कर छः सप्ताह के अंदर उनका जवाब भेजने के लिए कहा गया था। शासन से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संबंधित कंडिका के अंत में इंगित किया गया है।

47 प्रारूप कंडिकाएं जो 25 कंडिकाओं में समाहित है, तथा दो निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक वृहत कंडिका संबंधित विभागों के सचिवों को मई 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य भेजा गया। **विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों द्वारा 20 प्रारूप कंडिकाओं का कोई जवाब नहीं भेजा गया तथा उन्हें जिन्हें विभागीय जबावों के बिना प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।**

1.6.5 लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुसरण सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि से तीन माह के अंदर प्रतिवेदन की सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को लेखा परीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदनों में सम्मिलित 131 कंडिकाएँ (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) राज्य विधान सभा के समक्ष फरवरी 2009 और मार्च 2013 के मध्य रखी गई थी। संबंधित विभागों का उन कंडिकाओं पर कार्यवाही की व्याख्यात्मक टीप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सापेक्ष में औसत चार माह के विलंब से प्राप्त हुई। अभी तक (31 मार्च 2014) पाँच विभागों (भू-राजस्व, खनिज संसाधन, राज्य आबकारी, वन और वित्त) से 31 मार्च 2004 से 2012 अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 13 कंडिकाओं के संबंध में कार्यवाही की व्याख्यात्मक टीप प्राप्त नहीं हुई है।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 1999-2000 से 2009-10 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 87 कंडिकाओं का चयन किया और अपने 2003-04 से 2012-13 के प्रतिवेदनों में 66 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ सम्मिलित की। तो भी लोक लेखा समिति के 14 अनुशंसाओं पर विभागों द्वारा कार्यवाही की टीप अनुशंसाएँ प्राप्त नहीं हुई जिनका विवरण **तालिका 1.6.5** में वर्णित है।

तालिका 1.6.5
अनुशंसाओं के सापेक्ष में अप्राप्त कार्यवाही की टीप (ए.टी.एन.) का विवरण

वर्ष	विभाग का नाम							कुल
	राज्य उत्पाद	ऊर्जा	पंजीयन	परिवहन	वाणिज्यिक कर	भौमिकी एवं खनिकर्म	राज्य उत्पाद	
1999-00	1	--	--	--	--	--	--	1
2000-01	--	--	1	--	--	--	--	1
2002-03	--	--	--	--	3	--	--	3
2004-05	--	1	--	--	--	1	--	2
2005-06	--	--	--	--	--	1	--	1
2006-07	--	--	--	--	1	--	--	1
2007-08	1	--	--	2	--	--	1	4
2008-09	--	--	--	1	--	--	--	1
योग	2	1	1	3	4	2	1	14

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण

विभागों/शासन के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखांकित विषयों को निराकृत करने गत 10 वर्ष की लेखापरीक्षा कंडिकाएँ और निष्पादन लेखापरीक्षा पर कार्यवाही करने हेतु एक विभाग का मूल्याकंन कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है।

अग्रेत्तर अनुच्छेद 1.7.1 और 1.7.2 में ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत राजस्व शीर्ष एवं विद्युत पर शुल्क की प्रगति के बारे में चर्चा की जा रही है जिसमें गत 10 वर्ष में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गये और ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2003-04 से 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लिए गए है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवदेनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षो के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाएँ और 31 मार्च 2014 के अनुसार उनकी स्थिति **तालिका 1.7.1** में नीचे दी गई है।

तालिका 1.7.1
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			तिमाही के दौरान निराकृत			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
		निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)
1.	2004-05	1	2	4.56	0	0	0.00	0	1	0.20	1	1	4.36
2.	2005-06	1	1	4.36	1	3	0.79	0	2	0.02	2	2	5.13
3.	2006-07	2	2	5.13	0	0	0.00	0	0	0.00	2	2	5.13
4.	2007-08	2	2	5.13	2	8	60.99	0	1	0.01	4	9	66.11
5.	2008-09	4	9	66.11	2	8	49.42	0	1	0.00	6	16	115.53
6.	2009-10	6	16	115.53	0	0	0.00	0	0	0.00	6	16	115.53
7.	2010-11	6	16	115.53	3	13	579.32	0	0	0.00	9	29	694.85
8.	2011-12	9	29	694.85	0	0	0.00	0	0	0.00	9	29	694.85
9.	2012-13	9	29	694.85	4	33	949.56	0	0	0.00	13	62	1,644.41
10.	2013-14	13	62	1,644.41	0	0	0.00	0	0	0.00	13	62	1,644.41

पुरानी कंडिकाओं के निराकरण हेतु शासन, विभाग और महालेखाकार कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करवाती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2004-05 के प्रारंभ में एक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन में दो कंडिकाएँ थी जो 2013-14 के अन्त तक बढ़कर 13 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन के 62 कंडिकाएँ हो गई। ऊर्जा विभाग के लिए कोई भी लेखापरीक्षा समिति बैठक अभी तक नहीं हुई है।

1.7.2 स्वीकृत प्रकरणों की वसूली

पिछले 10 वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो ऊर्जा विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूल की गई राशि नीचे **तालिका 1.7.2** में वर्णित है:

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	शामिल की गई कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की कुल राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं की राशि	वर्ष के दौरान वसूली की गई राशि	स्वीकृत प्रकरणों में 31.03.2014 तक वसूली की संचित स्थिति
2003-04	–	–	–	–	–	–
2004-05	–	–	–	–	–	–
2005-06	2	1.30	1	0.47	–	0.36
2006-07	–	–	–	–	–	–
2007-08	3	57.76	1	28.03	–	0.39
2008-09	3	23.79	2	21.51	–	17.50
2009-10	–	–	–	–	–	–
2010-11	1	1.13	1	1.13	–	0.99
2011-12	1	1,186.17	1	1,090.76	14.02	101.32
2012-13	–	–	–	–	–	–
योग	**10**	**1,270.15**		**1,141.90**	**14.02**	**120.56**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों में भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी है जबकि संबंधित बकायादारों से स्वीकृत प्रकरणों में बकाया राशि के लिए प्रयास किया जाना था। आगे मुख्य विद्युत निरीक्षक ऊर्जा विभाग के कार्यालय में बकाया प्रकरण एवं स्वीकृत लेखापरीक्षा आपत्तियों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। किसी भी उपयुक्त प्रणाली की अनुपस्थिति में विभाग स्वीकृत प्रकरणों की वसूली की निगरानी नहीं कर पाया।

विभाग को चाहिए कि स्वीकृत प्रकरणों में शामिल बकाया राशि की शीघ्र वसूली की प्रयास एवं निगरानी हेतु त्वरित कार्यवाही करें।

1.7.3 विभाग/शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षा पर बर्हिगमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है तथा विभागों/शासन के मंतव्यों को प्रतिवेदनों में समाहित किया जाता है।

नीचे दिये गए कंडिकाओं में ऊर्जा विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा में उठाए गए विषय पिछले पाँच लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए। अनुशंसाओं का विवरण और स्थिति **तालिका 1.7.3** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.7.3

प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
2011-12	विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण	5	1) शासन विचार करे कि ऐसी प्रणाली की स्थापना की जावे जिससे मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप में समय पर नियमित रूप से जमा किए जा सकें तथा एक सामयिक विवरण निर्धारित करे जो मुख्य विद्युत निरीक्षण द्वारा शासन को देय हो जिसमें देय जमा और शेष शुल्क का विवरण हो।	सभी संभागीय अधिकारियों का विवरण जमा करने हेतु सूचित किया जा चुका है।
			2) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम/ उपकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन करे ताकि उपकर का आरोपण दो विभिन्न जगहों पर न हो एवं जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार न पड़ें।	विभाग ने अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया।
			3) नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाने पर विद्यमान औद्योगिक नीति को वापिस लिया जाना सुनिश्चित करें।	विभाग ने अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया।
			4) विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट जारी किये जाने पर उद्योग विभाग से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।	विभाग ने अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया।
			5) विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा का गठन करें।	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करने के लिए शासन को एक पत्र मई 2013 को भेजा गया था।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अतंर्गत ईकाई कार्यालयों का वर्गीकरण उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम ईकाईयों में किया गया है, जो राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुरानी प्रवृत्ति और अन्य पैमानों पर निर्भर करता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी जोखिम विश्लेषण के आधार पर शासन की राजस्व प्राप्तियों के नाजुक विषय, कर प्रशासन जैसे कि बजट भाषण, राज्य अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्रीय), कर सुधार समिति की अनुसंशाएं, पिछले 5 वर्षो का राजस्व अर्जन, सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताएं, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पिछले 5 वर्षों में इसका प्रभाव आदि को सम्मिलित करते हुये की जाती है।

वर्ष 2013-14 के दौरान 456 लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों से 120 ईकाईयों की योजना बनाई गई और 122 ईकाईयों की लेखा परीक्षा की गई जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों का 26.75 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा साथ-साथ की गई इसके फलस्वरूप नौ योजित ईकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी जबकि पूर्व चयनित ईकाईयों से बाहर 11 ईकाईयों की लेखापरीक्षा की गई (***परिशिष्ट* 1.1**)।

इसके अलावा उपरोक्त दर्शाये लेखापरीक्षा के अनुपालन में, इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता की जाँच करने के लिए दो निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक वृहत प्रारूप कंडिका की गयी।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन, भू-राजस्व, खनन एवं खनिज प्राप्तियाँ, वाहनों पर कर, वन और अन्य विभागीय कार्यालयों के 122 ईकाईयों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच में अवनिर्धारण/ कम आरोपण/राजस्व

[2]

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम		लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	प्रकरणो की संख्या	राशि	स्वीकृत प्रकरण		वसूल की गई राशि	
						संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि कर		24	240	20.21	01	0.002	01	0.0085
2.	उत्पाद कर		05	2011	280.03	100	7.24	0	0
3.	भू-राजस्व		28	11,999	616.27	9,166	29.44	0	0
4.	वाहनों पर कर		09	1,10,930	6.13	1,10,930	6.13	0	0
5.	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग		07	639	25.46	144	4.71	04	0.0513
6.	वन और वन्य जीवन	राजस्व (16)	22	56	217.51	10	0.16	0	0
		व्यय(16+6)		209	284.95	39	41.15	0	0
7.	मुद्रांक फीस एवं पंजीयन शुल्क		27	321	8.80	127	3.63	0	0
	योग		122	1,26,405	1,459.36	1,20,517	92.462	5	0.0598

हानि के राशि ₹ 1,459.36 करोड़ के 1,26,405 प्रकरण पाए गए। वर्ष 2013-14 के दौरान संबंधित विभागों ने 1,20,517 प्रकरणों में सम्मिलित राशि ₹ 92.46 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया। वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग ने पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा आपत्तियों के पाँच प्रकरणों में ₹ 5.98 लाख वसूली की।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा (**आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण**) और एक वृहत कंडिका (**प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण**) सहित 19 कंडिकायें जिसमें अवनिर्धारण, कर के कम आरोपण/अनारोपण इत्यादि जिसमें ₹ 288.99 करोड़ सन्निहित है जिसमें से 257.76 करोड़ शासन का संभावित हानि होने से अवसूली योग्य है को **भाग 'क'** में सम्मिलित किया गया है एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा (**छत्तीसगढ़ में बांस का उत्पादन एवं उपचार**) सहित छः कंडिकायें जिसमें वन विभाग में गलत दर लगाना, मांग जारी नहीं करना, अनियमित/परिहार्य व्यय इत्यादि के राशि ₹ 123.42 करोड़ के प्रेक्षण सन्निहित है को **भाग 'ख'** में सम्मिलित किया गया है। विभागों/शासन ने ₹ 90.19 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 1.19 करोड़ की वसूली की गई। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2014)। इनकी चर्चा अनुवर्त्ती अध्याय दो से सात में की गई है।

दूसरा अध्याय: वाणिज्यिक कर

2.1 कर प्रशासन

वाणिज्यिक कर/ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम और नियम शासन स्तर पर सचिव द्वारा निर्मित एवं प्रशासित होते है। वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख आयुक्त होता है जिसकी सहायता हेतु वाणिज्यिक कर के चार अतिरिक्त आयुक्त, (अति.आ.) 12 उपायुक्त (उ.आ.) 26 सहायक आयुक्त (स.आ.), 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.), 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.) और 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि.) होते है। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध सात उपायुक्त, 16 स.आ., 52 वा.क.अ., 67 स.वा.क.अ. और 93 वा.क.नि. विभाग में वर्तमान में कार्यरत है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 के दौरान हमने मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.), केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) और प्रवेश कर (प्र.क.) से संबंधित 52 ईकाईयों में से 24 ईकाईयों के कर निर्धारण अभिलेखों के एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच की और कर के कम आरोपण और अन्य अनियमितताओं की सन्निहित राशि ₹ 20.21 करोड़ के 240 प्रकरणों को पाया जो कि निम्न श्रेणियों में **तालिका 2.1** में वर्णित है:

तालिका 2.1

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	कर का अवरोपण/अनारोपण	99	3.01
2	छूट/कटौती की त्रुटिपूर्ण प्रदाय	17	1.93
3	कर की त्रुटिपूर्ण दर का प्रयोग	34	1.32
4	कर योग्य आवर्त्त का गलत निर्धारण	12	0.87
5	अन्य अनियमितताएँ	77	11.92
6	**''प्रवेश कर के आरोपण एवं संग्रहण''** पर वृहत्त प्रारूप कंडिका	1	1.16
योग		**240**	**20.21**

वर्ष के दौरान विभाग ने कर योग्य आवर्त्त का गलत निर्धारण का ₹ 28,000 का एक प्रकरण स्वीकार किया। एक प्रकरण में ₹ 85,000 (ब्याज और शास्ति सहित) की वसूली की गई।

प्रारूप कंडिका के जारी होने के पश्चात विभाग ने ₹ 4.56 लाख की पूर्ण वसूली तीन प्रकरणों में की।

कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों जिसमें वृहत प्रारूप कंडिका **''प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण''** सम्मिलित कर ₹ 3.24 करोड़ के कमियों को पश्चावर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है:

2.3 गलत/अधिक आगत कर छूट प्रदाय करना

छत्तिसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (छ.ग.मू.सं.क.) अधिनियम के धारा 13(1) के अनुसार जब कोई पंजीकृत व्यवसायी अनुसूची III (निर्माण अथवा व्यवसाय में उपयोग के लिये भूमि एवं सिविल निर्माण जिसमें कार्यालय भवन तथा अन्य संबंधित निर्माण सम्मिलित है, पर किया गया पूंजीगत व्यय, फर्नीचर एवं फिक्शचर जिसमें वातानुकूलन तथा प्रशीतक सम्मिलित है, पेट्रोल और डीजल और मोटर कार, दो पहिया मोटरयान, उसके पूर्जे तथा उपसाधन इत्यादि) में विनिर्दिष्ट से भिन्न अनुसूची II के भाग I, II और IV में विनिर्दिष्ट कोई माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यवसायी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात ऐसे माल का अनुसूची II विनिर्दिष्ट किसी माल के राज्य में विनिर्माण के लिये उपयोग या उपभोग के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर विक्रय के लिए या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर व्यवसाय के दौरान पूँजीगत माल के रूप में उपयोग के लिये क्रय करता है तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर की छूट का दावा ऐसी रीति में ऐसी कालावधि के भीतर जैसा कि विहित की जाए, करेगा या ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

हमने नवम्बर 2012 और अक्टूबर 2013 के दो सहायक आयुक्तों के 741 कर निर्धारण प्रकरणों में से 263 प्रकरणों के नमूना जाँच में पाया कि कर निर्धारण अधिकारियों ने दो प्रकरणों में व्यवसायियों द्वारा क्रय पर ₹ 27.26 लाख का अधिक/गलत आगत कर छूट प्रदाय (अप्रैल 2011 और अगस्त 2011) किया जो निम्न वर्णित है।

तालिका 2.2

(₹ लाख में)

स. क्र.	ईकाईयों का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण माह व वर्ष)	देय आगत कर	प्रदाय आगत कर	प्रदाय अधिक आगत कर	प्रेक्षण की प्रकृति
1	स.आ.-II, संभाग-I, बिलासपुर	2007-08 (अप्रैल 2011)	0	19.15	19.15	व्यवसायी ने सेवाएं प्रदाय करने के लिए कम्प्युटर क्रय किया। किराया सेवाए अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य नहीं है अतः आगत कर छूट प्रदाय करना गलत है। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारी ने पूँजीगत माल के क्रय पर आगत कर छूट प्रदान किया।
2	स.आ. वाणिज्यिक कर, रायपुर	2007-08 (अगस्त 2011)	0	8.11	8.11	व्यवसायी से प्रांत बाहर ₹ 12.14 करोड़ का फेरो-एलायज माल अंतरण किया था जो प्रांत के अंदर क्रय किये गये कच्चे माल से निर्मित था जो कि कुल विक्रय (₹ 43.95 करोड़) का 27.63 प्रतिशत था। चूँकि व्यवसायी ने कर चुके माल से निर्मित माल का अंतरण किया था अतः संगत आगत कर कम किया जाना चाहिए था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014), शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि प्रकरणों को धारा 22 (1) में पुनः खोला जायेगा।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका 2.11 में समान तथ्य को उठाया गया था जिसमें शासन ने बताया कि तीन प्रकरणों में ₹ 1.02 करोड़ का मांग पत्र जारी किया गया। कमियों/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति विभाग के आंतरिक नियत्रंण प्रणाली की राजस्व क्षति को रोक पाने में असमर्थता होने को दर्शाती है।

2.4 मूल्य संवर्धित कर का अव/अनारोपण

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की धारा 8 वस्तुओं के वर्गीकरण के आधार पर अधिनियम के अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर कर का आरोपण को प्रावधानित करता है। परंतु जहाँ माल अनुसूची के किसी निर्दिष्ट प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आता है उस पर अवशिष्ट प्रविष्टि में दर्शित कर की सामान्य दर लागू होगी। अनुसूची II भाग IV प्रविष्टी क्रमांक 1 के अनुसार वैसे माल जो अनुसूची I और इस अनुसूची के भाग I (1 प्रतिशत) भाग II (4 प्रतिशत) और भाग III (25 प्रतिशत) में सम्मिलित नहीं है, पर कर की दर 12.5 प्रतिशत है।

हमने फरवरी 2012 से नवम्बर 2012 के मध्य 13[1] कर निर्धारण अधिकारियों के 16,593 कर निर्धारण प्रकरणों में से 3,945 प्रकरणों के नमूना जाँच के दौरान पाया कि कर निर्धारण के दौरान मई 2010 से अगस्त 2012 के बीच संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों ने 26 प्रकरणों में मालों के गलत वर्गीकरण कर मूल्य संवर्धित कर के कम दर का आरोपण किया। करारोपणीय कर की दर और करारोपित कर की दर का अंतर चार से 12.5 प्रतिशत के मध्य था। इससे ₹ 1.64 करोड़ के कर कम/अवसूली हुई। **(परिशिष्ट 2.1)**

हमारे द्वारा इंगित किये जाने (मई 2014) पर शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि छः प्रकरणों में ₹ 47.14 लाख का मांग पत्र जारी किया गया है और शेष 20 प्रकरणों को अधिनियम के धारा 22(1) के अन्तर्गत पुनः खोला जाएगा।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका 2.12 को समान तथ्य को इंगित किया गया था जिसमें शासन ने बताया कि चार प्रकरणों में ₹ 40.56 लाख के मांग पत्र जारी किया गया था। जिसमें दो प्रकरणों में ₹ 14.07 लाख वसूला जा चुका है। व्याप्त कमियों/अनियमितताएँ की पुनरावृत्ति विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की राजस्व क्षति को रोक पाने में असमर्थता को दर्शाती है।

---

[1] स.आ. कोरबा, स.आ.-V, संभाग- II, रायपुर, स.आ. (टी.एल.ध्रुव), रायपुर, स.आ. संभाग-I, रायपुर, स.आ. (के.के.आर्या) रायपुर, स.आ.-IV, रायपुर, वा.क.अ.-II, बिलासपुर, वा.क.अ.-I, कोरबा, वा.क.अ.-I रायगढ़ और वा.क.अ.- II,IV,V और IX रायपुर।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम

2.5 गलत छूट प्रदाय किये जाने से कर का कम आरोपण

केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम 1956 के धारा 8 सहपठित करारोपण विधान (संशोधन) अधिनियम, 2007 प्रभावी अप्रैल 2007 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवसायी द्वारा 'सी' फार्म समर्थित अंतरराज्यीय बिक्री तीन प्रतिशत की दर से करारोपणीय होगी। आगे शासन ने वैसे लघु उद्योग जिनका प्लांट एवं मशीनरी में निवेश एक करोड़ से कम हो, के द्वारा निर्मित एवं बिक्रीत माल पर कर की दर एक प्रतिशत से कम किया।

हमने सहायक आयुक्त-I, संभाग- I, बिलासपुर के 213 कर निर्धारण प्रकरणों में से 104 प्रकरणों के नमूना जाँच के दौरान पाया (अप्रैल 2012) कि एक व्यवसायी जो रसायनों के निर्माण व बिक्री का व्यवसाय करता था, ने अवधि 2007-08 में 'सी' फार्म समर्थित राशि ₹ 13.90 करोड़ का विक्रय किया। कर निर्धारण के निराकरण (मार्च 2011) के दौरान कर निर्धारण अधिकारी ने लघु उद्योग मानते हुए दो प्रतिशत की दर से ₹ 27.25 लाख कर आरोपित किया। आगे चार्टर्ड एकाउटेट के ऑडिट रिपोर्ट में हमने पाया कि कर निर्धारण के समय व्यवसायी का प्लांट व मशीनरी एक करोड़ से अधिक का था। अतः व्यवसायी रियायती दर के लिए पात्र नहीं था और तीन प्रतिशत की दर से ₹40.88 लाख आरोपणीय था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आडिट रिपोर्ट के अवलोकन में असफल होने से ₹ 13.63 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने (मई 2014) पर शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि प्रकरण धारा 22(1) में खोला जावेगा।

2.6 गलत कर की दर का आरोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के धारा 8 के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी जो अंतरराज्यीय व्यापार या व्यवसाय के अनुक्रम में अघोषित माल की बिक्री बिना 'सी' फार्म के करता है तो वह उस माल को प्रांतीय बिक्री में प्रचलित दर से कर का दायी होगा। अनुसूची II भाग IV प्रविष्टी क्रमांक 1 के अनुसार वैसे माल जो अनुसूची I और इस अनुसूची के भाग I, भाग II और भाग III में सम्मिलित नहीं है, पर कर की दर 12.5 प्रतिशत है। फर्नीचर अवशिष्ट माल होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।

हमने वा.क.अ.वृत-I, रायगढ़ के 3,068 के कर निर्धारण प्रकरणों में से 178 प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान पाया (मई 2013) कि एक व्यवसायी जो फर्नीचर के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय करता था ने वर्ष 2007-08 के दौरान प्रांत के बाहर ₹ 36.82 लाख का फर्नीचर का बिक्री बिना 'सी' फार्म समर्थित की थी। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के कर निर्धारण करते समय (अगस्त 2011) चार प्रतिशत की दर से ₹ 1.47 लाख का करारोपण किया। चूँकि फर्नीचर एक अवशिष्ट माल था अतः 12.5 प्रतिशत की दर से ₹ 4.60 लाख कर आरोपणीय था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसूची की प्रविष्टि का सत्यापन एवं उसके अनुरूप करारोपण करने में असफल रहने से ₹ 3.13 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने (मई 2014) पर शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि ₹ 5.34 लाख का मांग पत्र जारी हुआ है। वसूली पर जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

2.7 प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण

2.7.1 प्रस्तावना

वाणिज्यिक कर विभाग, छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की अनुसूची I,II एवं III, में उल्लेखित दरों के अनुसार प्रवेश कर का अरोपण एवं संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी है। विगत पाँच वर्षों में राज्य की कुल कर प्राप्ति के अनुपात में प्रवेश कर का सहभाग 5.64 और 8.50 प्रतिशत के मध्य था। छत्तीसगढ़, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976, छत्तीसगढ़ राज्य प्रवेश कर अधिनियम के रूप में परिभाषित कर अंगीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी व्यवसायी द्वारा उसके व्यापार के अनुक्रम में उपभोग, उपयोग या विक्रय हेतु, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर और अनुसूची में वर्णित किसी मात्रा का उपयोग, उपयोग करने हेतु किन्तु विक्रय हेतु नहीं, को स्थनीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रवेश कर आरोपणीय है। पुनः छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4-अ के अनुसार किसी दूसरे माल के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित बढ़े हुये दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। शासन द्वारा समय समय पर घोषित औद्योगिक नीति के तहत व्यवसायी को कुछ निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति करने पर प्रवेश कर की देयता से छूट है। शासन द्वारा भी कुछ शर्तों की पूर्ति करने पर अधिसूचनाओं द्वारा प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।

2.7.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

हमने प्रवेश कर के आरोपण एवं संग्रहण हेतु विभाग के प्रवर्तन तंत्र और निहित प्रक्रिया की दक्षता एवं प्रभावकारिता के मूल्यांकन हेतु 52 कर निर्धारण अधिकारियों में से 10 उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारियों[2] के कर निर्धारण प्रकरणों का चयन सामान्य यादृच्छिक चयन के आधार पर किया। लेखापरीक्षा अप्रैल 2014 से जून 2014 के मध्य सम्पन्न की गई। लेखापरीक्षा के दौरान 2,643 कर निर्धारण प्रकरणों में से 1,936 प्रकरणों की जाँच की गई। प्रारूप प्रतिवेदन शासन को अगस्त 2014 में प्रेषित किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन सितम्बर 2014 में हुआ जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। शासन की ओर से अतिरिक्त प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग और विभाग की ओर से आयुक्त उपस्थित थे। बहिर्गमन सम्मेलन और अन्य रीति से प्राप्त उत्तरों को संबंधित कंडिकाओं में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

---

[2] उपायुक्त (मुख्यालय) रायपुर, स.आ.-III, दुर्ग, स.आ., रायगढ़, स.आ. (मुख्यालय) संभाग-I, रायपुर, स.आ.-I, संभाग-II, रायपुर, वा.क.अ.-II, दुर्ग, वा.क.अ.-II, कोरबा और वा.क.अ.-V,VII,VIII रायपुर।

2.7.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखा परीक्षा यह निर्धारित करने हेतु की गई थी कि:

- क्या अधिनियमों/नियमो/प्रक्रियाओं आदि में विहित प्रावधानों के अनुरूप प्रवेश कर के आरोपण एवं संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में पर्याप्त प्रणाली विद्यमान थी;
- क्या अधिनियमों एवे नियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप छूट/रियायत प्रदान की गई थी एवं
- क्या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए कर निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।

2.7.4 लेखापरीक्षा मानदंड

वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नांकित अधिनियमों, नियमों एवं परिपत्रों का उपयोग लेखापरीक्षा मानदंड हेतु किया गया है:

- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976; और
- शासन/विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनायें/आदेश.

2.7.5 अभिस्वीकृत्ति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के सहयोग को अभिस्वीकृत करता है।

2.7.6 प्रवेश कर से प्राप्तियों की प्रवृत्ति

प्रवेश कर से वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ, राज्य की इस अवधि की कुल कर प्राप्तियों के साथ निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका 2.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	अंतर आधिक्य (+)/कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2009-10	560.00	605.65	45.65	8.15	7,123.25	8.50
2010-11	616.00	508.31	(-)107.69	(-)17.48	9,005.14	5.64
2011-12	700.00	823.75	123.75	17.68	10,712.25	7.69
2012-13	950.00	952.25	2.25	0.23	13,034.21	7.30
2013-14	1192.00	945.44	(-)246.54	(-)20.68	14,342.72	6.59

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14 में वास्तविक प्राप्तियों में 17 प्रतिशत से अधिक अंतर था। वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से 17.48 प्रतिशत से 20.68 प्रतिशत तक कम थी जबकि 2011-12 में 17.68 प्रतिशत अधिक

थी जो बजट अनुमानों को वास्तविक रूप से तैयार करने की कमी की ओर इंगित करता है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) की बजट अनुमान और वास्तविक में भारी अंतर प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान करना तथा वस्तुओं के मूल्य में अस्थिरता के कारण है। पुनः भिलाई स्टील प्लांट का प्रवेश कर के भुगतान का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित होने के कारण भी अंतर है।

2.7.7 प्रवेश कर का बकाया

हमने विभाग (आयुक्त) से प्रवेश कर का बकाया का वर्षवार विवरण उपलब्ध करने हेतु अनुरोध किया था (अप्रैल 2014)। बहिर्गमन सम्मलेन (सितम्बर 2014) के दौरान भी शासन ने इसे 10 दिवस में उपलब्ध कराने हेतु आश्वासित किया था। किन्तु वांछित विवरण अभी भी अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रदर्शित होता है कि प्रवेश कर के बकाया की वसूली समय पर किए जाने हेतु निगरानी तंत्र विभाग में नहीं है।

2.7.8 उद्योग विभाग से समन्वय का अभाव

सितम्बर 2005 की अधिसूचना क्रमांक 41 के अनुसार नयी औद्योगिक ईकाईयों को अधिसूचना में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति करने पर प्रवेश कर के भुगतान से पूर्ण छूट है। पूनः अधिसूचना के परिशिष्ट III (बी)(iii) के अनुसार छूट का लाभ लेने पर उत्पादन में भारी कमी स्वीकार्य नहीं है। भारी कमी से तात्पर्य यह है कि विगत पाँच वर्षों से समान उत्पाद का औसत उत्पादन या स्थापित क्षमता से 60 प्रतिशत तक जो भी कम हो।

शासन द्वारा समय समय पर घोषित औद्योगिक नीति के अनुसार उद्योगों को कुछ निबंधनों एवं शर्तो की पूर्ति करने पर प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन निश्चित अवधि हेतु देय है। उद्योग विभाग छूट प्रमाण पत्र जारी करता है और वाणिज्यिक कर विभाग प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है।

सहायक आयुक्त III, दुर्ग के 239 कर निर्धारण प्रकरणों में से 192 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि एक व्यवसायी, जो कास्ट आयरन इंगोट मोल्ड, बेस प्लेट आदि का निर्माण एवं विक्रय करता था, को अप्रैल 2005 से अप्रैल 2010 तक नये उद्योग के रूप में प्रवेश कर के भुगतान हेतु छूट जारी (जून 2007) की गई थी। उद्योग की स्थापित क्षमता 9000 मी.ट. थी। पुनः उद्योग की बेलेन्स शीट की जाँच में पाया गया कि उद्योग का उत्पादन उसकी स्थापित क्षमता के अनुपात में 24.11 प्रतिशत से 33.16 प्रतिशत के मध्य था जो निम्नानुसार है।

तालिका 2.4

वर्ष	स्थापित क्षमता (मी.ट. में)	स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत (मी.ट. में)	वास्तविक उत्पादन (मी.ट. में)	उत्पादन का प्रतिशत
2005-06	9000	5400	2329.025	25.88
2006-07	9000	5400	2169.930	24.11
2007-08	9000	5400	2984.210	33.16

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ से ही निर्धारित प्रतिशत से काफी कम था। अत परिशिष्ट III की शर्त iii (बी) के अनुसार कंपनी छूट हेतु पात्र नहीं थी। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण को उद्योग विभाग को प्रेषित करने के बजाय प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की (अगस्त 2011)। इस प्रकार उद्योग विभाग के साथ समन्वय के अभाव में न केवल प्रवेश कर के ₹ 8.92 लाख की छूट प्रदान की गई किन्तु उद्योग को अदेय लाभ भी दिया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) की सत्यापन पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

2.7.9 स्पष्ट प्रावधान न होना

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की धारा 4-अ सहपठित सितम्बर 2003 की अधिसूचना क्र. 84 के अनुसार हाइ स्पीड डीजल आइल, केरोसिन एवं सालवेंट, जिस पर मूल्य सवर्धित कर देय नहीं है, प्रवेश कर 25 प्रतिशत की दर से आरोपणीय है।

सहायक आयुक्त, रायगढ़ के 519 कर निर्धारण प्रकरणों में से 487 प्रकरणों की नमूना जाँच मे हमने देखा कि एक व्यवसायी जो विस्फोटक का निर्माण करता था, का कर निर्धारण अप्रैल 2011 और नवम्बर 2013 में किया गया, ने वर्ष 2007-08 और 2009-10 में ₹ 36 लाख का ओर्गेनिक कम्पोजीट सालवेंट राज्य के बाहर से क्रय किया। अधिसूचना के अनुसार 25 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर ₹ 9 लाख आरोपणीय था। किन्तु अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था की किस प्रकार का सालवेंट उपरोक्त दर से आरोपणीय है। अधिसूचना में स्पष्टता के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी ने इसे केमिकल मानकर एक प्रतिशत की दर से ₹ 36,000 का कर आरोपित किया और शासन को ₹ 8.64 की प्राप्ति प्रवेश कर के रूप में नहीं हो सकी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि अधिसूचना को देखकर प्रकरण का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

शासन राजस्व को दृष्टिगत रखकर स्पष्ट अधिसूचना जारी करना सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है।

2.7.10 प्रवेश कर की गलत दर का अनुप्रयोग

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की धारा 4-अ सहपठित अप्रैल 2003 की अधिसूचना क्र. 20 के अनुसार स्टील पाइप का उपयोग या उपभोग किसी दूसरे वस्तु के निर्माण में किए जाने पर पाँच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है।

सहायक आयुक्त कोरबा के 768 कर निर्धारण प्रकरण जो सितम्बर 2008 से अप्रैल 2011 के मध्य निर्धारित किए गए थे में से 768 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि दो व्यवसायी जो मशीनरी पार्ट्स का निर्माण एवं कोल बेनेफिकेशन का कार्य करते थे, का दर निर्धारण मई 2013 में हुआ था उन्होने अवधि 2005-06 से 2007-08 के दौरान क्रमशः ₹ 25.10 करोड़ एवं ₹ 1.20 करोड़ का स्टील पाइप राज्य के बाहर से क्रय कर किसी दूसरे वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त किया। अप्रैल 2003 की अधिसूचना 20 के अनुसार प्रवेश कर ₹ 1.31 करोड़ आरोपणीय था। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 25.10 करोड़ के क्रय पर 2.5 प्रतिशत की दर से ₹ 62.75 लाख एवं ₹ 1.20 करोड़

की क्रय पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 1.20 लाख का प्रवेश कर आरोपित किया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना में उल्लेखित दर के अनुसार प्रवेश कर आरोपित करने से असफल रहने के कारण ₹ 67.05 लाख के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि ₹ 67.53 लाख की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया गया है।

2.7.11 प्रवेश कर का कम आरोपण/अनारोपण

2.7.11.1 मार्च 2006 की अधिसूचना क्रमाक 17 के अनुसार केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 14 के उपधारा (iv) की श्रेणी (iv) और (v), हुप्स एवं स्ट्रीप्स जो श्रेणी (vi) में सम्मिलित है, यदि इन का निर्माण राज्य में स्थित री-रोलिंग मिल्स द्वारा किया गया है तो प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

सहायक आयुक्त III दुर्ग के 239 कर निर्धारण प्रकरणों में से 192 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि एक व्यवसायी जो आइरन एवं स्टील का क्रय विक्रय करता था ने ₹ 2.49 करोड़ के वेस्ट एवं स्क्रेप, कटिंग, प्लेट मिल्स एवं शियरिंग का क्रय स्थानीय क्षेत्र के बाहर से कया। चुँकी यह वस्तुएँ केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 14 की उपधारा IV की श्रेणी (i) और (xiv) में वर्णित है, 1.5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर 3.74 लाख आरोपणीय था। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे री-रोलिंग उत्पाद मानकर प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की। इस प्रकार, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना के अनुरूप कार्य न किए जाने के फलस्वरूप ₹ 3.74 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

बर्हिगर्मन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि अधिनियम की धारा के अनुसार प्रकरण को पुनः खोला जावेगा और आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

2.7.11.2 छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अनुसार किसी व्यवसायी द्वारा उसके व्यापार के अनुक्रम में उपयोग, उपभोग या विक्रय हेतु अनुसूची II में वर्णित माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर प्रवेश कर आरोपणीय है। पुनः जो माल अनुसूची I और II में सम्मिलित नहीं है उसे अनुसूची III के अन्तर्गत एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। प्रविष्टि क्रमांक 27(बी), 29, 35 और 54 के अनुसार ईटा, बालू, एयर कंडीशनर एवं मशीनरी पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। पेकिंग मटेरियल और दरवाजे एवं खिडकियाँ अनुसूची III में सम्मिलित है।

उपायुक्त रायुपर के 270 कर निर्धारण प्रकरणों में से 150 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि एक व्यवसायी द्वारा छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची II एवं III में उल्लेखित ₹ 9.64 करोड़ के माल का क्रय कर उपयोग किया। अधिनियम के अनुसार, एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर ₹ 9.64 लाख आरोपणीय था। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बगैर किसी आधार के ₹ 5.20 लाख का प्रवेश कर आरोपित (जनवरी 2012) किया, जिसके फलस्वरूप प्रवेश कर ₹ 4.44 लाख का कम आरोपण हुआ (**परिशिष्ट 2.2**)।

बर्हिगर्मन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि अधिनियम की धारा 22 (1) के अनुसार प्रकरण को पुनः खोला जावेगा।

2.7.11.3 छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अनुसार किसी व्यवसायी द्वारा उसके व्यापार के अनुक्रम में उपयोग, उपभोग या विक्रय हेतु अनुसूची II में वर्णित माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

आठ कर निर्धारण अधिकारियों[3] के 3,117 कर निर्धारण प्रकरणों में से 2,074 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि 20 प्रकरणों में दिसम्बर 2009 और नवम्बर 2013 के मध्य निर्धारित करते समय संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 16.20 करोड़ के माल का गलत वर्गीकरण कर कम दर से प्रवेश कर का आरोपण किया। आरोपणीय एवं आरोपित की गई दर में अंतर 0.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक था। इसके परिणामस्वरूप 19.99 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ (**परिशिष्ट 2.3**)।

बर्हिगर्मन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि दो प्रकरण धारा 22 (1) के तहत पुनः खोले गए है तथा 17 प्रकरणों में कार्यवाही की जावेगी। शेष एक प्रकरण में कहा कि, पास पास एक माउथ फ्रेशनर है और उसमें सुपारी या कत्था नहीं होने से उसे पान मसाला नहीं माना जा सकता। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पास पास के पकेट पर 'माउथ फ्रेशनर विथ कत्था' लिखा है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उसमें कत्था एक घटक है।

2.7.11.4 छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम 1976 की धारा 3 के अनुसार किसी व्यवसायी द्वारा उसके व्यापार के अनुक्रम में उपयोग, उपभोग या विक्रय हेतु अनुसूची III में वर्णित माल को उपभेग या उपयोग करने हेतु किन्तु विक्रय करने के लिए नहीं, का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है।

चार कर निर्धारण अधिकारियों[4] के 572 कर निर्धारण प्रकरणों में से 408 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि 10 प्रकरणों में अगस्त 2011 से अक्टूबर 2013 के मध्य निर्धारित करते समय संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 12.78 करोड़ के माल का गलत वर्गीकरण कर कम दर से प्रवेश कर का आरोपण किया। आरोपणीय एवं आरोपित की गई दर में अंतर 0.5 प्रतिशत से एक प्रतिशत तक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.78 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ (**परिशिष्ट 2.4**)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि सात प्रकरणों को धारा 22 (1) के तहत पुनः खोला गया है। तथा शेष तीन प्रकरणों में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

---

3 उपायुक्त (मुख्यालय) संभाग-I, रायपुर, स.आ.-II, दुर्ग, स.आ., कोरबा, स.आ. रायगढ़, स.आ.-I, संभाग-II, रायपुर, वा.क.अ., अंबिकापुर, वा.क.अ. -II, दुर्ग और वा.क.अ.-V रायपुर।

4 उपायुक्त (मुख्यालय) संभाग-II, रायपुर, स.आ. रायगढ़, स.आ.-I, संभाग-I, रायपुर, और स.आ. (मुख्यालय) संभाग-II, रायपुर।

2.7.12 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा (आ.ले.प.) विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक प्रमुख घटक है और इसे सामान्यतः समस्त नियंत्रणों पर नियंत्रण रखने के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निहित प्रणालियाँ समुचित रूप से कार्यरत है। किन्तु हमने देखा कि विभाग में आ.ले.प. कार्यरत नहीं था जिससे राजस्व की क्षति को रोका जा सके।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन शीघ्र किया जावेगा।

शासन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन शीघ्र करने पर विचार कर सकता है।

2.7.13 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा अनुपालन एवं प्रणाली की कई कामिया देखी जिसमें अधिनियम/अनुसूची की प्रविष्टि और अधिसूचना में स्पष्टता के अभाव के कारण राजस्व की क्षति हुई जिसकी चर्चा उपरोक्त कंडिकाओं में की गई है और इस ओर शासन/विभाग का ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है। हमने देखा कि:

- उद्योग विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग में समन्वय के अभाव में प्रवेश कर के भुगतान से अनियमित छूट प्रदान की गई।
- अधिसूचना में सालवेंट के प्रकार से संबंधित स्पष्टीकरण नहीं होने से प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ और
- आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के अभाव में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अधिनियम/अनुसूची के प्रविष्टि के अनुसार निर्धारण किए जाने पर निगरानी रखने में असफल रहा।

3.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2013-14 में 27 कार्यालयों में से 15 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 2011 प्रकरणों में राशि ₹ 280.03 करोड़ के आबकारी शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण/शास्ति और अन्य अनियमितताएं शामिल थी जो **तालिका 3.1** में वर्णित हैः

तालिका - 3.1

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**''आबकारी राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण''** पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	263.58
2.	आबकारी शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	43	12.20
3.	भाण्डागारों मे स्पिरिट का न्यूनतम स्कंध रखने में विफल रहने पर शास्ति का अनारोपण	3	3.15
4.	अन्य अनियमितताएं	1,964	1.10
	योग	**2,011**	**280.03**

वर्ष के दौरान, विभाग द्वारा 100 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 7.24 करोड़ के आबकारी शुल्क के अनारोपण/कम अनारोपण एवं अन्य अनियमितताओं इत्यादि को स्वीकार किया।

"आबकारी राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें राशि ₹ 263.58 करोड़ सन्निहित है निम्न कंडिकाओं में वर्णित है।

3.2 आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण

मुख्यांश

- आसवनी/बाटलिंग ईकाई और छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (सी.एस.बी.सी.एल) के मध्य लेन-देन तथा साथ में सी.एस.बी.सी.एल और खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य लेन-देन के पुनः सत्यापन हेतु तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क राशि ₹ 2.96 करोड़ की कम प्राप्त हुई।

(कंडिका 3.2.9)

- न्यूनतम निर्धारित मात्रा से अधिक विक्रय की गई मदिरा पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ग्राहकों से वसूल की गई अनुज्ञप्ति फीस को जमा कराने हेतु विभाग द्वारा कोई नियम नहीं बनाए जाने से ₹ 178.41 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 3.2.10)

- रसायनिक परीक्षण से संबंधित देशी मदिरा नियम के नियमों का पालन नहीं किए जाने से मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त देशी मदिरा का जारी किया जाना।

(कंडिका 3.2.11.2)

- भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्यात हेतु बंध पत्र का पंजीयन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली ₹ 40.32 लाख।

(कंडिका 3.2.13)

- आबकारी आयुक्त द्वारा विदेशी मदिरा की औसत डयूटी का कम निर्धारण किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 79.35 करोड़ की डयूटी और लायसेंस फीस का कम प्राप्त होना।

(कंडिका 3.2.14)

- बैंक ड्राफ्ट के समाशोधन नहीं होने से प्रक्रिया शुल्क की कम प्राप्ति ₹ 71.16 लाख।

(कंडिका 3.2.15)

- भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्यात की सत्यापन प्रतिवेदन की विलंबित/नहीं प्राप्ति होने से शुल्क की अवसूली ₹ 98.58 लाख।

(कंडिका 3.2.16)

- भारत निर्मित विदेशी मदिरा के मिनियेचर बोतल का निराकरण नहीं किए जाने से शुल्क ₹ 63.79 लाख की अवसूली।

(कंडिका 3.2.18)

3.2.1 प्रस्तावना

राज्य आबकारी से प्राप्त राजस्व में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं इसके अंतर्गत जारी किए गए नियमों तथा अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार आरोपित अथवा आदेशित शुल्क, फीस अथवा राजसात के द्वारा होने वाली आय समाहित होती है। इसमें मदिरा के निर्माण, धारण तथा विक्रय, भांग तथा पोस्ता शीर्ष द्वारा होने वाली आय भी सम्मिलित है। विभाग मदिरा दुकानों को संधारित करता है तथा निजी अनुज्ञप्तिधारियों को इन दुकानों से देशी/विदेशी मदिरा, भांग तथा पोस्ता विक्रय करने की अनुमति देता है। मदिरा के निर्माण हेतु आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।

3.2.2 विभागीय संरचना

सचिव सह आबकरी आयुक्त आबकारी विभाग के प्रमुख है। आबकारी नीतियों के पालन एवं बनाने हेतु वे उत्तरदायी है। मुख्यालय स्तर पर उनकी सहायता दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त और एक सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है। विभाग के अन्तर्गत तीन संभाग है, जिसके प्रमुख उपायुक्त है, जो संभाग अन्तर्गत जिला कार्यालयों, आसवनियों और बाटलिंग ईकाईयों का पर्यवेक्षण करते है। 27 जिलों में जिले के जिलाधीश आबकारी प्रशासन के प्रमुख है और उनकी सहायता के लिए जिला कार्यालयों/आसवनियों में सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी पदस्थ होते है।

छत्तीसगढ़ में तीन आसवनी, नौ बाटलिंग संयंत्र और विदेशी मदिरा के विशेषाधिकार वाले पांच बाटलिंग संयंत्र है। आसवनी और भण्डारागार शासन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निजी व्यक्तियों द्वारा धारित की जाती है। राज्य के अन्तर्गत 26 भण्डागार है। आसवनी/बाटलिंग संयंत्र/भण्डागार के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षक द्वारा की जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड की भूमिका

शासन ने निर्णय (नवम्बर 2001) लिया कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा का थोक आपूर्ति सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जावेगा। सी.एस.बी.सी.एल. भारत निर्मित विदेशी मदिरा के क्रय/प्रदाय और भण्डागारों में भण्डार रखने पूर्ण रूप से अधिकृत है। एक खुदरा विक्रेता चाही गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा का शुल्क भुगतान करने के पश्चात जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी से परिवहन पास प्राप्त करने के पश्चात सी.एस.बी.सी.एल. खुदरा विक्रेता को भारत निर्मित विदेशी मदिरा प्रदाय करता है।

3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा इस दृष्टि से की गई थी कि:

- क्या विभाग में आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस के निर्धारण एवं वसूली और शासकीय खजाने में जमा हेतु पर्याप्त एवं सक्षम प्रक्रिया विद्यमान है;

- क्या आबकारी नीतियों के उपबंध प्रभावकारी रूप से लागू है और राजस्व रिसन रोकने में पर्याप्त है; और
- क्या आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विभाग में विद्यमान है और वे पर्याप्त एवं प्रभावकारी है।

3.2.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

नीचे दर्शाये गए अधिनियमों और नियमों का उपयोग लेखापरीक्षा के मापदण्ड हेतु किया गया है:

- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915;
- छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002;
- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995;
- छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996;
- छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995; और
- आबकारी विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देश।

3.2.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और प्रक्रिया

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (छत्तीसगढ़ शासन) के कंडिका 3.2 में ''आबकारी राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण'' पर समीक्षा की गई थी जिसमें मुख्यतः विभागीय प्रयोगशाला का स्थापित न किया जाना सीलबंद बोतली में मदिरा परिवहन अधिक मार्ग हानि इत्यादि का उल्लेख किया गया था।

वर्तमान में हमने 2009-10 से 2013-14 के अभिलेखों की नमूना जांच कर **''आबकारी राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण''** पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पन्न की। कार्यालय आबकारी आयुक्त, 27 में से 11[1] जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी, 14 में 6[2] बाटलिंग ईकाई तीन में से दो[3] आसवनियों का चयन का ध्यान सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया यह मूल्यांकन करने के लिए कि आबकारी राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उल्लेखित प्रक्रियाएं तंत्र में दक्ष एवं प्रभावी रूप से विभाग में कार्य कर रही है। लेखापरीक्षा मार्च 2014 से जून 2014 के मध्य सम्पन्न की गई। लेखापरीक्षा के दौरान

---

1 अंबिकापुर, बिलासपुर, बस्तर, जांजगीर-चांपा, कवर्धा, कोरबा, महासमुन्द, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव

2 मेसर्स एजिस बेवरेजेस प्रा.लि., मेसर्स क्राउन डिस्टलरीज प्रा.लि., मेसर्स गोल्डन प्रिंस वाइन इंडिया प्रा.लि., मेसर्स लीजेन्ड डिस्टलरीज प्रा.लि., मेसर्स रायपुर बाटलिंग कम्पनी और मेसर्स सर्वेश्वरी बाटलिंग और बेवरेजेस प्रा.लि.।

3 मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट प्रा.लि. और मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि.।

कई प्रणाली/अनुपालन कमियाँ पाई गई जो अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है। राज्य आबकारी विभाग के सचिव सह आयुक्त के साथ अन्तर्गमन सम्मेलन 2 मई 2014 को सम्पन्न हुआ जिसमें लेखापरीक्षा का क्षेत्र, कार्यप्रणाली और लेखापरीक्षा उद्देश्य की चर्चा की गई। शासन एवं विभाग को प्रारूप प्रतिवेदन 24 जुलाई 2014 को प्रेषित की गई। बर्हिगमन सम्मेलन 22 अगस्त 2014 को सम्पन्न की गई जिसमें लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, निष्कर्ष और अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। शासन की ओर से आयुक्त सह सचिव राज्य आबकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान प्राप्त उत्तर और अन्य समय पर प्राप्त उत्तरों को सम्यक रूप से संबंधित कंडिकाओं में जोड़ा गया है।

3.2.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारियों एवं अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु राज्य आबकारी विभाग के सहयोग को अभिस्वीकृत करता है।

3.2.7 राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान राज्य आबकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल कर प्राप्तियों का विवरण नीचे दिए गए तालिका में दिया गया है:

तालिका - 3.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+)/ कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल प्राप्तियों के साथ प्रतिशत
2009-10	1,158.00	1,187.72	29.72	2.57	7,123.25	16.67
2010-11	1,390.00	1,506.44	116.44	8.38	9,005.14	16.73
2011-12	1,550.00	1,596.98	46.98	3.03	10,712.25	14.91
2012-13	2,200.00	2,485.68	285.68	12.99	13,034.21	19.07
2013-14	2,675.00	2,549.15	(-) 125.85	(-) 4.70	14,342.71	17.77

(स्रोतःछत्तीसगढ़ शासन वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2009-10 से 2012-13 के दौरान कुल प्राप्तियों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियां का प्रतिशत 16.67 से 19.07 प्रतिशत बढ़ गया। जबकि, 2013-14 के दौरान प्राप्तियां 17.77 प्रतिशत घट गई। विभाग ने सूचित किया कि राजस्व में कमी का कारण पिछले साल के मुकाबले मदिरा दुकानों के आवंटन में आवेदन पत्रों की संख्या कम प्राप्त हुई है।

3.2.8 बकाया राजस्व का विश्लेषण

अवधि 2009-10 से 2013-14 के दौरान राजस्व बकाया की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका -3.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान वसूली	बकाया का अंतिम शेष
2009-10	23.26	2.42	0.08	25.60
2010-11	25.60	0.37	0.67	25.30
2011-12	25.30	0.04	0.46	24.88
2012-13	24.88	6.57	0.41	31.04
2013-14	31.04	0.00	0.59	30.45

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदाय आंकड़े अनुसार)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि पुराने बकाया वसूली हेतु आवश्यक प्रयास नहीं किए गए। पांच वर्षो के दौरान बकाया राशि ₹ 23 करोड़ से ₹ 31 करोड़ के विरूद्ध ₹ 8 लाख से ₹ 67 लाख की वसूली की गई। समय पर बकाया की वसूली हेतु शासन आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

दुकानों का व्यवस्थापन

15 मार्च 2002 से छत्तीसगढ़ शासन ने ''छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यस्थापन नियम 2002'' बनाए है। जब कोई नई अनुज्ञप्ति किसी स्थानीय क्षेत्र में जारी की जानी होती है तब अनुज्ञप्ति अधिकारी (जिलाधीश) दैनिक सामाचार पत्र के माध्यम से उस क्षेत्र में विज्ञप्ति जारी करता है। अगर एक दुकान/समूह हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होता है, तब जिलाधीश, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के साफ्टवेयर के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन का चयन करता है। 2009-10 से 2013-14 के लिए शासन द्वारा व्यवस्थापित भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा के दुकानों/समूहों का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है:

तालिका -3.4

वर्ष	स्वीकृत दुकानों की संख्या	व्यवस्थापित दुकानों की संख्या	अव्यवस्थापित दुकानों की संख्या	अव्यवस्थापित दुकानों का प्रतिशत
2009-10	1074	1074	निरंक	निरंक
2010-11	1054	1054	निरंक	निरंक
2011-12	815	815	निरंक	निरंक
2012-13	731	727	4	0.01
2013-14	719	719	निरंक	निरंक

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि विभाग ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान दुकानों के व्यवस्थापन के लक्ष्य को प्राप्त किया है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रणाली की कमियाँ

छत्तीसगढ़ शासन ने भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खरीदी एवं भण्डारण के लिए सी.एस.बी.सी.एल. को एकमात्र एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया है। खुदरा विक्रेता वांछित भारत निर्मित विदेशी मदिरा का शुल्क जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी का भुगतान करने के पश्चात् मदिरा का उठान करते है।

समय समय पर जारी किए गए आबकारी नीतियों के अनुसार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की गणना पिछले वर्ष दुकान के प्रथम छः माह के मदिरा के वास्तविक मांग और खपत के आधार पर की जाती है।

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी वार्षिक आबकारी नीति वर्णित करता है कि 2011-12 तक राज्य के भीतर देशी/विदेशी मदिरा से प्राप्त होने वाला राजस्व दो भागों में होगा जैसे 60 प्रतिशत लायसेंस फीस और 40 प्रतिशत शुल्क। आगे, 2012-13 के पश्चात यह संशोधित कर क्रमशः 65 प्रतिशत और 35 प्रतिशत किया गया।

अनेक प्रणाली कमियाँ जो लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैः

3.2.9 आकड़ों के पुनः सत्यापन में पाई गई कमियाँ

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 (झ) और (ञ) के अनुसार एफ.एल.9/एफ.एल.9 ए अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा भरने हेतु अनुज्ञप्ति जिसमें मदिरा विनिर्माण और विदेशी मदिरा की बोतल में भराई की जाती है) एफ.एल.10 (एक विदेशी मदिरा का भण्डारण और वितरण हेतु अनुज्ञप्ति) को मदिरा विक्रय अथवा स्थानान्तरण करते है। छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी सी.एस.बी.सी.एल है। आगे, आबकारी आयुक्त द्वारा 2011-12 में 2012-13 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर औसत शुल्क ₹ 71.50 प्रतिशत प्रू.ली. तथा 2013-14 में ₹ 90/- प्रति प्रू.ली. निर्धारित किया गया।

हमने एफ.एल.9/एफ.एल.9ए तथा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारियों के विदेशी मदिरा के प्राप्ति एवं प्रेषण की जानकारी एकत्र की। सत्यापन के दौरान हमने एल.एल.-10 में विदेशी मदिरा के प्राप्ति में कमी और अधिकता पाई जो कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैः

3.2.9.1 आसवनी/बाटलिंग इकाई से सी.एस.बी.सी.एल. तक विदेशी मदिरा के प्रेषण/प्राप्ति के सत्यापन हेतु तंत्र का अभाव

एफ.एल. 9/9ए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार, 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹ 1.62 करोड़ प्रू.ली. विदेशी मदिरा सी.एस.बी.सी.एल को प्रेषित की गई। लेकिन सी.एस.बी.सी.एल. ने सूचित किया कि ₹ 1.58 करोड़ प्रू.ली. विदेशी मदिरा प्राप्त हुई थी। यह दर्शाता है कि सी.एस.बी.सी.एल. को ₹ 3.86 लाख प्रू.ली. विदेशी मदिरा

कम प्राप्त हुई। न ही सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा लेन-देन का सत्यापन कराया गया ना ही आबकारी आयुक्त द्वारा विदेशी मदिरा के प्रेषण/प्राप्ति के पुनः सत्यापन के निर्देश दिए गए। अतः लेन-देन पर निगरानी तंत्र के अभाव में, विभाग अनियमितताओं को नहीं खोज पायी जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.81 करोड़ के शुल्क की अवसूली हुई (***परिशिष्ट 3.1***)।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि आसवनी/बाटलिंग ईकाई से प्रेषणें का मिलान सी.एस.बी.सी.एल. के अभिलेखों से किया जावेगा और लेखापरीक्षा को सूचित की जावेगी। आगे, एक तंत्र स्थापित किया जावेगा जिससे लेन-देन का सामयिक निगरानी की जावेगी।

3.2.9.2 सी.एस.बी.सी.एल. और खुदरा विक्रेता के मध्य लेन-देन का सत्यापन नहीं किए जाने के कारण शुल्क की कम वसूली

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/वेदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 के नियम 14 के अनुसार विदेशी मदिरा का खुदरा अनुज्ञप्तिधारी संबंधित खजाने में चालान भुगतान करने के पश्चात सी.एस.बी.सी.एल. से विदेशी मदिरा प्राप्त करता है। आगे, अनुज्ञप्तिधारी संबंधित जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी के समक्ष चालान प्रस्तुत करने के पश्चात परमिट जारी करता है। परमिट में उल्लेखित मात्रा के अनुसार सी.एस.बी.सी.एल. मदिरा प्रदाय करता है। विभाग के अन्तर्गत ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिसमें परमिट में उल्लेखित मात्रा और सी.एस.बी.सी.एल. से वास्तविक उठाई गई मदिरा का पुनः सत्यापन किया जाए।

चयनित 11 में से 6[4] ईकाईयों के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पंजी की जांच के दौरान हमने पाया कि 322 में से 15 खुदरा विदेशी मदिरा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 16.29 लाख प्रू.ली. भारत निर्मित विदेशी मदिरा और 6.99 लाख बल्क लीटर माल्ट शुल्क के भुगतान के पश्चात 2011-12 और 2013-14 में प्रदाय किया गया। आगे, सी.एस.बी.सी.एल. से प्राप्त जानकारी अनुसार पुनः सत्यापन करने पर पाया गया कि 2011-12 और 2013-14 के मध्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा ₹ 16.43 लाख प्रू.ली तथा माल्ट ₹ 7.20 लाख बल्क लीटर का उठान किया गया। अतः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा ₹ 0.14 लाख प्रू.ली. तथा ₹ 0.21 लाख बल्क लीटर माल्ट का अधिक उठान बिना शुल्क भुगतान के किया गया। तंत्र के अन्दर कोई प्रणाली नहीं था जिससे विभागीय आकड़ों का मिलान सी.एस.बी.सी.एल. के अभिलेखों द्वारा प्रदाय मात्रा से की जाए। लेन-देनों को सत्यापन/निगरानी करने में जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी भी असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप शुल्क की अवसूली ₹ 15.42 लाख की हुई। (***परिशिष्ट 3.2***)

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि जि.आ.अ./स.आ.अ. को उनके द्वारा जारी परमिटों के पुनः सत्यापन के निर्देश दिए जा चुके है।

---

[4] स.आ.आ. बिलासपुर, जांजगीर-चाँपा, कोरबा, रायगढ़ और जि.आ.अ. बस्तर और सरगुजा।

हम अनुशंसा करते है कि शासन एक तंत्र विकसित करे जिसमें आसवनी/बाटलिंग ईकाई और सी.एस.बी.सी.एल. के साथ ही सी.एस.बी.सी.एल. और खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य लेन-देन के पुनः सत्यापन किया जा सके। त्वरित मिलान और परिशुद्धता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

3.2.10 न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक विक्रय की स्थिति में क्रेताओं से एकत्रित अनुज्ञप्ति फीस नहीं वसूलने से विक्रेताओं को अनुचित लाभ

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 2 (5) के अनुसार फुटकर बिक्री की दुकान से देशी/विदेशी मदिरा के बिक्री के अन्य विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए अनुज्ञप्ति दिए जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि है। आगे, छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2002 (यथा समय समय पर संशोधित) के नियम 15 और 17 के अनुसार सचिव सह आयुक्त किसी ब्रांडवार विक्रय मूल्य और मास के लिए क्रमशः न्यूनतम निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा का उठान तय करता है।

नियम 16 वर्णित करता है कि देशी/विदेशी मदिरा शुल्क भुगतान करने के पश्चात वर्ष में दुकान के लिए निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा से अधिक मदिरा का उठान कर सकता है। देशी/विदेशी मदिरा का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक मात्रा उठान करने पर अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति फीस वसूल करने हेतु कोई नियम नहीं बनाए गए है। इसके आगे, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदाय की गई जानकारी अनुसार विक्रय दर में लैंडिग प्राइस, सी.एस.बी.सी.एल. का लाभांश, शुल्क, अनुज्ञप्ति फीस इत्यादि शामिल है।

न्यूनतम निर्धारित मात्रा के निर्धारण संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच और चयनित 11 जिलों के देशी/विदेशी मदिरा के उठान में हमने पाया कि 2011-12 से 2013-14 के दौरान सी.एस.बी.सी.एल. और सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के अभिलेख अनुसार 1177 से 1121 दुकानों द्वारा विदेशी मदिरा, विदेशी मदिरा माल्ट और देशी मदिरा क्रमशः 52.29 लाख प्रू.ली., 31.62 लाख ब.ली. और 102.21 लाख प्रू.ली. न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक उठाई गई। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिक उठाई गई मात्रा पर शुल्क का भुगतान किया गया, क्रेताओं से मदिरा विक्रय से प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस की राशि जमा नहीं की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग ने अनुज्ञप्ति फीस वसूल कर जमा करने के नियम, जबकि विक्रय न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक होती है, नहीं बनाए है। अतः शासन राशि ₹ 178.41 करोड़ (***परिशिष्ट 3.3***) के राजस्व से वंचित रहा।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि अन्य राज्यों की नीतियों विश्लेषित की जावेगी और अगर जरूरी हुआ तो राज्य के आबकारी नीति में सुधार किया जावेगा।

हम अनुशंसा करते है कि शासन अनुज्ञप्ति फीस, अनुज्ञप्तिधारी से एकत्र करने हेतु नियम लाए जहाँ विक्रय न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक होती है। शासन यह भी सुनिश्चित करें कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान क्रेताओं से एकत्र की गई अनुज्ञप्ति फीस की वसूली हो।

3.2.11 विभागीय प्रयोगशाला का आस्तित्व न होना

3.2.11.1 शासकीय प्रयोगशाला में अनाज के प्रकरण में विवरण योग्य शर्करा की जांच न होना

छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995 का नियम 5(4) वर्णित करता है कि विभागीय प्रयोगशाला या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर, आसवनी अधिकारी, अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा की गणना करेगा जो कि न्यूनतम विहित आधार पर आसवक द्वारा उत्पादित की जानी चाहिए। विहित न्यूनतम मात्रा से कम प्राप्ति होने की दशा में आसवनी अधिकारी आसवक का स्पष्टीकरण मांगेगा और अपने अभिमत के साथ संबंधित संभाग के उपायुक्त को भेजेगा। अगर आवश्यक हुआ तो उपायुक्त आबकारी आवश्यक जांच करेगी और जांच प्रतिवेदन को आबकारी आयुक्त को आगामी आदेश के लिए प्रस्तुत करेगा।

दो आसवनियों (मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट प्रा.लि. और मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि.) के किण्वन एवं आसवन पंजी के नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि आसवनियाँ अनाज अर्थात चावल से अल्कोहल का उत्पादन कर रही थी। दोनों आसवनियों ने 2009-10 से 2013-14 के मध्य 2,371 सेटअप में 1,194.02 लाख प्रू.ली. अल्कोहल का निर्माण किया। मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेण्ट प्रा.लि. और मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि. में सेटअप में किण्वण योग्य शर्करा की मात्रा 57.60 से 64.92 और 41.85 से 63.63 प्रतिशत क्रमशः रही, जो निम्न तालिका में दर्शित है:

तालिका -3.5

असवनी का नाम	वर्ष	उपयोगिता अनाज (क्विंटल में)	सेटअप की संख्या	किण्वण योग्य शर्करा का प्रतिशत	प्राप्ति (प्रू.ली.)
मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेण्ट प्रा.लि., मुंगेली	2009-10	1,93,995	265	57.60 से 62.60	1,13,28,276.30
	2010-11	3,44,805	430	61.46 से 62.44	2,02,53,197.00
	2011-12	3,53,295	429	61.70 से 64.62	2,13,82,042.70
	2012-13	3,41,400	418	62.48 से 64.86	2,07,49,769.80
	2013-14	3,94,633	530	63.09 से 64.92	2,41,11,820.00
		16,28,128	**2,072**		**9,78,25,105.80**
मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि., बिलासपुर	2009-10	91,090	100	49.28 से 60.45	50,40,855.80
	2010-11	53,140	43	57.25 से 60.76	31,44,840.90
	2011-12	93,220	65	41.85 से 61.49	54,67,700.70
	2012-13	70,330	46	57.51 से 63.63	40,78,395.10
	2013-14	71,729	45	53.39 से 61.00	38,45,607.70
		3,79,509	**299**		**2,15,77,400.20**
महायोग		**20,07,637**	**2,371**		**11,94,02,506**

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान कि किण्वण योग्य शर्करा की प्रतिशत बढ़ गई और यह मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि. बिलासपुर की तुलना में मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेण्ट प्रा.लि. मुंगेली में अधिक थी। यद्यपि दोनों आसवनियाँ अल्कोहल के निर्माण के लिए अनाज का उपयोग कर रही थी किण्वण योग्य शर्करा के प्रतिशत में काफी अन्तर (2013-14 में 53.39 और 63.09) था। विभागीय प्रयोगशाला के अभाव में, आसवक द्वारा प्रदाय की गई जानकारी विभाग मान रही थी।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि शासकीय प्रयोगशाला के स्थापना प्रक्रियाधीन है।

3.2.11.2 देशी स्पिरिट नियम के प्रावधानों का पालन न होने से उपमानक स्तर का देशी स्पिरिट का प्रदाय होना।

छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4 (1) निर्दिष्ट करता है कि देशी स्पिरिट अच्छी गुणवत्ता (क्वालिटी) तथा ऐसे विनिर्देश की होगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाए। आगे, वह रसायनिक विश्लेषण के अध्याधीन होगी और यदि वह मानवीय उपभोग के लिए उपमानक स्तर का या अनुपयुक्त पाया जाए, तो आबकारी आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश के अधीन उसे यथास्थिति पुनः आसवित किया जायेगा या प्रतिक्षेपित और नष्ट कर दिया जाएगा। आगे, छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995 के नियम 4 (3) प्रदाय करता है कि आसवनी में विनिर्मित स्पिरिट के प्रत्येक बैच के नमूनों का भी उसके प्रदाय करने के पूर्व प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाएगा। नमूने आसवनी के आसवनी अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन लिए जाएंगे।

26 भण्डागारों में से हमने 15 भण्डागारों की जांच की और पाया कि बिलासपुर भण्डागार के परमिट जारी पंजी में 9,047.25 प्रू.ली. देशी स्पिरिट माह जुलाई 2011 में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ₹ 4.89 लाख शुल्क भुगतान करने के पश्चात उठाई गई थी। जबकि, उपभोक्ताओं द्वारा उपमानक स्तर का होने की शिकायत करने पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देशी मदिरा को भण्डारण अधिकारी को वापस किया गया। उपमानक स्पिरिट नमूनों की जांच (मार्च 2013) फॉरेनसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल) रायपुर में की गई और यह पाया गया कि वह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त था। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें आसवनी से भण्डारागार तक देशी मदिरा के प्रेषण के प्रकरण में रसायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः विभाग पूर्ण रूप से आसवक के निजी प्रयोगशाला द्वारा जारी रसायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन पर निर्भर था जिसके परिणाम स्वरूप उपमानक स्तर का मदिरा का उत्पादन और बाजार में प्रदाय किया गया। अन्य नमूना जांच भण्डागारों में इस तरह के प्रकरण नहीं पाए गए।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि आसवनी में पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी से पूर्ण जानकारी मांगी गई है। तदनुसार जानकारी के आधार पर आसवक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। आगे, यह भी सूचित किया गया कि शासकीय प्रयोगशाला के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

हम अनुशंसा करते है कि शासन जोखिम को दूर करने हेतु विभागीय प्रयोगशाला की स्थापना करें।

3.2.12 अधिष्ठापित क्षमता से अधिक अल्कोहल का उत्पादन

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, रायपुर के पत्र 2010,2012 और 2013 में मेसर्स रायपुर बांटलिंग कम्पनी, रायपुर की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की उत्पादन क्षमता अवधि 2011-12,2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः 53.75 लाख, 45 लाख और 45 लाख लीटर प्रति स्वीकृत थी।

14 बाटलिंग इकाईयों में से हमने 6 ईकाईयों की जांच की और मेसर्स रायपुर बाटलिंग कम्पनी, रायपुर के किण्वण एवं आसवन पंजी तथा प्रोफार्मा 6[5] वार्षिक प्रतिवेदन में हमने पाया कि कम्पनी से 2011-12,2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत क्षमता 53.75 लाख, 45 लाख और 45 लाख लीटर प्रति वर्ष के विरूद्ध क्रमशः 66.63 लाख लीटर, 71.20 लाख लीटर और ₹ 80.08 लाख लीटर उत्पादन किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कम्पनी ने इन तीन वर्षों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा का स्वीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन किया गया। जबकि, विभाग और पर्यावरण बोर्ड दोनों ही बाटलिंग कम्पनी द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा का वास्तविक उत्पादन की गणना करने में असफल रहे। आगे, हमने पाया कि अन्य पांच बाटलिंग ईकाईयों में अधिष्ठापित क्षमता के अन्दर ही अल्कोहल का उत्पादन किया जा रहा था।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि शर्तो का उल्लंघन होने पर शास्ति के प्रावधानों को ज्ञात करने हेतु पर्यावरण बोर्ड को पत्र लिखा जा चुका है। सचिव ने सूचित किया कि बाटलिंग ईकाई में पदस्थ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

3.2.13 भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्यात में निष्पादित बंध-पत्र का पंजीयन न होना

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 12(4) प्रावधानित करता है कि निर्यातकर्त्ता निर्यात की जाने वाली विदेशी मदिरा की सम्पूर्ण मात्रा पर उदग्रहण योग्य विहित शुल्क जमा करेगा या उस रकम के बराबर राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थानीय शाखा की बैंक गारंटी देगा या उस रकम के लिए समुचित शोधनक्षम प्रतिभूति के साथ बंध पत्र निष्पादित करेगा। आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के धारा 33 और 35 सहपठित अनुसूची I-ए (15) प्रावधानित करता है कि प्रत्येक लोक अधिकारी सम्यक रूप से प्रकरणों को परिबद्ध करेगा (अधिसूचना क्रमांक 196-छः-एस.आर.-80 अमुद्रांकित दिनांक 20 मार्च 1980 द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के उद्देश्य से सभी शासकीय विभागों को लोकसेवा कार्यालय घोषित किया गया) बंध पत्र एक प्रभार्य लिखत है जिस पर मूल्य या राशि के चार प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है।

---

[5] आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिवेदन जिस पर मदिरा के उत्पादन का विवरण उल्लेखित है।

मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट प्रा.लि., मुंगेली के बंध नस्ती एफ.एल.-23 के नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि अवधि 2013-14 में विदेशी मदिरा के निर्यात हेतु ₹ 10 करोड़ का बंध-पत्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित की गई। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार, बंध पत्र को पंजीबद्ध करने हेतु मुद्रांक शुल्क ₹ 40 लाख और पंजीयन फीस ₹ 0.32 लाख आरोपित किया जाना था। जबकि, जिला आबकारी अधिकारी बंध-पत्र की पंजीबद्ध कराने में असफल रहें जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की वसूली ₹ 40.32 लाख नहीं हो सकी।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि दस्तावेजों कों पंजीबद्ध करने हेतु आसवक को निर्देश जारी किए जा चुके है क्योंकि इससे शासन भी मुद्रांक शुल्क से लाभान्वित होगा।

3.2.14 विदेशी मदिरा का औसत शुल्क का गलत निर्धारण

''छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002'' के नियम 14(सी) के अनुसार विदेशी मदिरा का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा और शुल्क दर आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। इसके अनुसार, आबकारी आयुक्त द्वारा विदेशी मदिरा का औसत शुल्क दर अवधि 2009-10 से 2012-13 तक के लिए ₹ 71.50 प्रति प्रू.ली. तथा वर्ष 2013-14 के ₹ 90 प्रति प्रू.ली. नीचे उल्लेखित हैः

तालिका -3.6

अवधि 2009-10 से 2012-13			
मदिरा का एक्स-फैक्ट्री दर (प्रति पेटी)	शुल्क दर (प्रति प्रू.ली.)	मदिरा का प्रस्तावित उठान (प्रतिशत में)	शुल्क (₹ रूपये में)
₹ 600 तक	₹ 70	95	66.50
₹ 600 से ₹ 900 तक	₹ 90	2.5	2.25
₹ 901 और उससे उपर	₹ 110	2.5	2.75
योग		**100**	**71.50**
अवधि 2013-14			
₹ 700 तक	₹ 85	81	68.85
₹ 701 से ₹ 1000 तक	₹ 100	9	9.00
₹ 1001से ₹ 1500 तक	₹ 115	7	8.05
₹ 1501 से ₹ 2000 तक	₹ 130	2	2.60
₹ 2001 एवं उससे उपर	₹ 150	1	1.50
योग		**100**	**90.00**

अवधि 2009-10 से 2013-14 के मध्य हमने विदेशी मदिरा का प्राइस रेंजवार उठान की जानकारी सी.एस.बी.सी.एल. से प्राप्त किया। सी.एस.बी.सी.एल. ने सिर्फ 2011-12 से 2013-14 की जानकारी प्रदाय की लेकिन साफ्टवेयर में तकनीकी कारणों से 2009-10 से 2010-11 की जानकारी प्रदाय करने में असफल रही।

सभी चयनित 11 सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पंजी के नमूना जांच के दौरान हमने अवधि 2009-10 से 2010-11 के लिए सहायक आयुक्त आबकारी कोरबा और राजनांदगांव से प्राइस रेंजवार विदेशी मदिरा उठान की जानकारी एकत्र की। अन्य सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी ने

जानकारी प्रदाय करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। तदनुसार, हमने इन दो कार्यालयों में पाया कि औसत शुल्क कोरबा और राजनांदगांव में क्रमशः ₹ 80.78 और ₹ 76.24 थी। इसी प्रकार, 2011-12 में यह क्रमशः 86.97 और ₹ 76.88 थी। आगे, चयनित सभी 11 जिलों में 2011-12 में 329 मदिरा दुकानों द्वारा ₹ 2.96 करोड़ प्रू.ली. मदिरा विक्रय पश्चात औसत शुल्क ₹ 82.9 थी। यद्यपि 2011-12 में औसत शुल्क ₹ 82.9 प्राप्त की गई थी, आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए औसत शुल्क ₹ 71.50 निर्धारित किया गया था। अतः पिछले वर्ष से प्राप्त औसत शुल्क को ध्यान में न रखते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा गलत औसत शुल्क निर्धारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप शुल्क राशि ₹ 27.77 करोड़ और अनुज्ञप्ति फीस ₹ 51.58 करोड़ की कम वसूली हुई।

हमने यह भी पाया कि विभाग द्वारा 2013-14 और 2014-15 में औसत शुल्क क्रमशः ₹ 90 और ₹ 100 पुनरीक्षित किया गया। जबकि यह पिछले वर्षों के लिए ध्यान में नहीं रखा गया।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि 2013-14 से भारत निर्मित विदेशी मदिरा हेतु सही कदम उठा लिए गए है। जबकि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 2011-12 की आपत्ति पर कोई टीप नहीं की गई।

हम अनुशंसा करते है कि शासन एक तंत्र की स्थापना करें जिससे पिछले वर्ष से प्राप्त औसत शुल्क के आधार पर औसत शुल्क की गणना की जावें।

अनुपालन कमियां

3.2.15 प्रक्रिया शुल्क की कम वसूली

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 के नियम छः नियम छः अनुसार मदिरा दुकानों के समूह के प्रति आवेदन पर 4,000 प्रक्रिया शुल्क देय है। प्रक्रिया शुल्क न तो अनुज्ञप्ति फीस में समाहित की जायेगी, न ही अनुज्ञप्ति न प्रदाय किये जाने की स्थिति में वापस होगी।

सहायक आबकारी आयुक्त, जांजगीर-चांपा की प्रक्रिया शुल्क नस्ती की नमूना जांच में हमने पाया कि वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिए क्रमशः 52,206; 68,384; 83,414 एवं 1,04,577 आवेदन मदिरा दुकानों के समूहो के अनुज्ञप्ति के आवंटन के लिए प्राप्त हुए थे। इसी के अनुसार विभाग को ₹ 20.88 करोड़, ₹ 27.35 करोड़, ₹ 33.37 करोड़ एवं ₹ 41.83 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुए थे तथा उन्हें क्लियरिंग के लिए बैंक भेजा गया। मार्च 2014 के अंत तक प्रक्रिया शुल्क के ₹ 19.60 लाख, ₹ 49.60 लाख, ₹ 0.20 लाख एवं ₹ 1.76 लाख के बैंक ड्राफ्ट बैंक द्वारा क्लीयर नहीं किये गये थे, इस कारण ₹ 71.16 लाख की प्रक्रिया शुल्क की कम वसूली हुई।

बर्हिगमन सम्मेलन (अगस्त 2014) के दौरान, शासन द्वारा कहा गया कि लेन-देन प्रक्रियाओं का सत्यापन कराया जायेगा एवं शासकीय कोष में राशि जमा कराने हेतु कदम उठाये जायेगे। सचिव ने विश्वास दिलाया कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

हम यह संस्तुति करते है कि शासन को बैंक ड्राफ्ट के समाशोधन हेतु उचित प्रयास करने चाहिए ताकि शासकीय खाते में राजस्व उचित तरीके से जमा हो सके।

3.2.16 निर्यात की गई आई.एम.एफ.एल. की देरी से प्राप्त हुई सत्यापन प्रतिवेदन पर ड्यूटी की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 12 के अनुसार भारत से विदेशी मदिरा के निर्यात की अनुमति प्रदान की जा सकती है यदि ड्यूटी का भुगतान कर दिया गया हो या बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी गई है। तदुपरांत, नियम 13 के अनुसार अनुज्ञापी द्वारा आयात करने वाली ईकाई से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी तथा प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जो परमिट समाप्त होने के 21 दिन के अन्दर परमिट जारी करेगा। यदि अनुज्ञापी ऐसा करने में असफल रहता है तो निर्यात की जाने वाली मदिरा पर लगने वाले ड्यूटी उससे वसूलनीय होगी।

प्रेषित माल रजिस्टर की जांच में हमने पाया कि मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंगेली द्वारा उनको जारी किये गये 129 परमिटों में 50 परमिटों पर जनवरी से फरवरी 2014 के दौरान ₹ 3.25 लाख प्रूफ लीटर का निर्यात किया गया, इसमें से 16 परमिट जिनमें 1,09,537.65 प्रूफ लीटर शामिल था, की लेखापरीक्षा अवधि (अप्रैल 2014) तक गतव्य इकाइयों से सत्यापन रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई थी। शेष 34 परमिटों में सत्यापन रिपोर्ट 21 दिन की तय समय सीमा के बाद प्राप्त हुई थी। तथापि, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ड्यूटी वसूलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इस कारण 16 प्रकरण जहाँ परमिट नहीं प्राप्त हुए थे (1,09,537,65 प्रूफ लीटर X 90 = 98,58,389) के आबकारी शुल्क राशि ₹ 98.58 लाख की वसूली नहीं हो सकी।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आक्षेप स्वीकार किया गया एवं जानकारी दी कि संबंधित सहायक आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्तों को नियम के प्रावधानों के पालन हेतु निर्देश दे दिए गये है।

3.2.17 आई.एम.एफ.एल. के निर्यात में बिना अनुमति हानि स्वीकार करना

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16 के अनुसार बोतलबंद विदेशी मदिरा के सभी निर्यात में अधिकतम 0.25 प्रतिशत की हानि की अनुमति है, चाहे दूरी कितनी भी हो। यदि हानि इस सीमा से अधिक होगी, तो अधिक हानि की ड्यूटी अनुज्ञापी से वसूलनीय होगी।

प्रेषित माल नस्ती की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंगेली द्वारा अगस्त 2011 से दिसम्बर 2013 के बीच 1,071 प्रकरणों में 470 प्रकरणों में आसवक द्वारा 30.26 लाख प्रूफ लीटर का निर्यात किया गया और 20,717 प्रूफ लीटर की हानि का जबकि 7,565 प्रूफ लीटर की हानि की अनुमत्य थी। तथापि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 0.25 प्रतिशत की हानि की सीमा को संज्ञान में लिए बिना 13,152 प्रूफ लीटर की हानि की अनुमति दी गई। इसके कारण ₹ 11.63 लाख की शुल्क वसूल नहीं हो पाई (**परिशिष्ट *3.5***)।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा कहा गया (अगस्त 2014) कि प्रकरणों की जांच की जायेगी और उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3.2.18 भारत निर्मित विदेशी मदिरा की अविक्रित होने से शुल्क की अवसूली

आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार (फरवरी 2012) भारत निर्मित विदेशी मदिरा का 90 मिली की छोटी बोतल में बिक्री प्रतिबंधित है। तदुपरांत, यह भी निर्देशित किया गया (अक्टूबर 2013) कि विदेशी मदिरा 9 एवं 9ए बोटलिंग ईकाईयों द्वारा समय समय पर 90 मिली की अविक्रीत बोतलों को एफ.एस.एल., रायपुर द्वारा स्वीकृत उपरांत 180 मि.ली, 375 मि.ली 750 मि.ली. की बोतलों में मानवीय खपत के लिए पुनः बोटलिंग किया जाये।

6 ईकाईयों में से 4[6] बोटलिंग ईकाईयों के स्पिरिट स्कंध पंजी की नमूना जांच पर हमने पाया कि वर्ष 2011-12 के दौरान 90 मि.ली. छोटे बोतलों की 70,879.5 प्रूफ लीटर मदिरा अविक्रीत रही। फरवरी 2012 के आयुक्त के निर्देश के विपरीत जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा एफ.एस.एल. से स्वीकृति उपरांत 180 मि.ली, 375 मि.ली एवं 750 मि.ली की बोतलों में पुनः बोटलिंग के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इस कारण ₹ 63.79 लाख के शुल्क की वसूली नहीं हो पायी।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन (अगस्त 2014) द्वारा कहा गया कि 90 मि.ली बोतलों में बंद मदिरा की पुनः बोटलिंग का कार्य करेगे उनका प्रयोगशाला में परीक्षण किया जायेगा ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे।

3.2.19 बोटलिंग ईकाईयों में राजस्व ताला न प्रदाय किया जाना

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 5(4) के अनुसार भण्डार आसव ऐसे कमरे या भवन में रखे जाने चाहिए जहाँ केवल एक द्वार हो। ऐसे कमरे या भवन को 'स्पिरिट रूम', 'गोदाम' की संज्ञा दी गई है और उसे राजस्व ताले की सुरक्षा में रखा जाना चाहिए (ये राजस्व टिकट होते है जिन्हें कमरे के सामान्य तालो पर चिपकाया जाता है)। नियम 7 (1) के अनुसार विदेशी मदिरा को बोटल में भरने की सभी क्रियाओं को आबकारी विभाग के प्रभारी अधिकारी के निरीक्षण में किया जाना चाहिए। बोतलबंद विदेशी मदिरा अलग कमरे में रखी जानी चाहिए जिन्हें बोतलबंद मदिरा का भण्डार कहा जायेगा और राजस्व ताले से सुरक्षित रखा जायेगा। बोटलिंग कमरे में बोटलिंग आसव रखे जायेंगे और उनमें निर्मित विदेशी मदिरा भंडारित की जायेगी। सभी स्पिरिट की सुरक्षा राजस्व ताले द्वारा की जानी चाहिए।

हमारे द्वारा रायपुर के 6 बोटलिंग ईकाईयों में से तीन[7] ईकाईयों की जाँच में पाया गया कि इन कंपनियों द्वारा बोटलिंग हाल, बोतलबंद मदिरा के भंडार, स्पिरिट रूम, मदिरा एकल कमरे के लिए राजस्व ताले के स्थान पर सामान्य ताले का प्रयोग किया जा रहा है। इस कारण राजस्व हानि की पूर्ण संभावना है। तथा विभागीय व्यक्तियों के अतिरिक्त अनाधिकृत व्यक्तियों को भी पहुंच हो सकती है।

---

6 मेसर्स एजिस बेवरेजस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गोल्डन प्रिन्स वाइन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रायपुर बोटलिंग कम्पनी और मेसर्स सर्वेश्वरी बोटलिंग और वेबरेज प्राइवेट लिमिटेड

7 मेसर्स क्राउन डिस्टलरीज लिमिटेड, मेसर्स रायपुर बोटलिंग कंपनी और मेसर्स सर्वेश्वरी बोटलिंग और बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा कहा गया (अगस्त 2014) कि संबंधित ईकाईयों को राजस्व ताले जारी किये जायेगे।

3.2.20 जारी किये गये होलोग्राम की जानकारी न प्रदाय किया जाना

एफ.एल. 10 एवं देशी मदिरा 2डी अनुज्ञप्ति की शर्त 2 के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा के निर्माता को बोटलिंग ईकाई में निर्मित की गई प्रत्येक बोतल के ढक्कन पर होलोग्राम चिपकाना होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने अवधि 2009-10 से 2013-14 के दौरान डिस्टलरी एवं बोटलिंग ईकाईयो में उपयोग संबंधी जानकारी एकत्रित की। हमारे द्वारा (नवम्बर 2013) आबकारी आयुक्त द्वारा डिस्टलरी एवं बोटलिंग ईकाईयों को जारी किये गये होलोग्राम संबंधी जानकारी मांगी, किन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई। अतः उपरोक्त का प्रतिसत्यापन संभव नहीं हो पाया।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा कहा गया (अगस्त 2014) कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित किये गये साफ्टवेयर द्वारा होलोग्राम की निगरानी की जायेगी।

3.2.21 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन में मौजूद एक ऐसा प्रणाली है जिसके द्वारा संगठन अपनी गतिविधियों का मूल्यांकन कर सकता है तथा समुचित कार्यवाही कर सुधारात्मक कार्यवाही कर सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली को अंगीकृत करता है, नियमों, मेन्युलों की समीक्षा करता है, अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करता है तथा उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

विभाग में एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा 2005-06 से अस्तित्व में है। वित्त विभाग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर इसमें पदस्थ किये जाते है तथा लिपिकीय स्टाफ विभाग के भीतर से ही पदस्थ किये जाते है। शाखा द्वारा 2009-10 से 2013-14 के दौरान किसी ईकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई।

3.2.21.1 आंतरिक लेखापरीक्षा में पदस्थ मानव संसाधन शक्ति

विभिन्न पद स्वीकृत एवं उनके विरूद्ध पदस्थ कर्मचारी (2009-10 से 2013-14) जिनको विभाग की इकाइयों की लेखापरीक्षा का कार्यभार दिया गया है, उनका विवरण इस प्रकार है:

तालिका -3.7

वर्ष	स्वीकृत पद				कुल	पदस्थ कर्मचारी				कुल
	संयुक्त निदेशक (वित्त)	सहायक लेखाधिकारी	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-3		संयुक्त निदेशक (वित्त)	सहायक लेखाधिकारी	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-3	
2009-10	1	2	1	1	5	1	1	निरंक	1	3
2010-11	1	2	1	2	6	1	1	निरंक	1	3
2011-12	1	2	1	2	6	1	1	निरंक	1	3
2012-13	1	2	1	2	6	1	1	निरंक	2	4
2013-14	1	2	1	2	6	1	1	निरंक	2	4

अतः उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत पांच वर्षों में लेखाधिकारी एवं सहायक ग्रेड-2 की पदस्थापना में कमी रही है।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा कहा गया (अगस्त 2014) कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभावी बनायी जायेगी।

शासन द्वारा समय-समय पर डिस्टलरी, बोटलिंग ईकाई एवं अधीनस्थ कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु प्रावधान बनाने चाहिए।

3.2.21.2 संभाग स्तर पर उड़नदस्ता

उड़नदस्ता कार्यालयों की स्थापना 1 जुलाई 1999 में की गई थी। बस्तर, बिलासपुर एवं रायपुर में मंडल स्तर पर तीन उड़नदस्ते है। उपायुक्त उड़नदस्ते के प्रभारी होते है तथा एक सहायक आयुक्त, एक कार्यकारी अधिकारी एवं लिपिकीय स्टाफ उनकी सहायता के लिए पदस्थापित रहता है। उनके कार्य में जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी के कार्यो की जाँच करना, जिलों में पदस्थ फील्ड स्टाफ की जाँच करना तथा उनके क्षेत्राधिकार की डिस्टलरी तथा गोदामों तथा महत्वपूर्ण आबकारी केन्द्रों की जाँच करना होता है। उपायुक्त उड़न दस्ता, बस्तर, बिलासपुर एवं रायपुर से संबंधित लक्ष्यों की स्थिति तथा निरीक्षण की स्थिति इस प्रकार हैः

तालिका -3.8

मंडल का नाम	वर्ष	निरीक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध निरीक्षण	रजिस्टर्ड अपराधों की संख्या
बस्तर	09-10 से 13-14	614	390	573
बिलासपुर	09-10 से 13-14	720	1,520	1,472
रायपुर	09-10 से 13-14	289	164	2,696

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बस्तर एवं रायपुर में निरीक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके है तथा 36.5 प्रतिशत एवं 43.26 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। जबकि बिलासपुर मंडल द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उपायुक्त, बस्तर द्वारा जानकारी दी गई कि उपनिरीक्षकों की पदस्थापना न होने तथा नक्सलियों द्वारा समय-समय पर की गयी हड़ताल के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। तदुपरांत, उपायुक्त रायपुर द्वारा जानकारी दी गई कि

जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी सहायक आयुक्त की पदस्थापना न होने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा कहा गया (अगस्त 2014) कि लक्ष्य विभागीय मैनुअल के अनुसार तय किये गये है।

हमारे द्वारा संस्तुति की जाती है कि शासन द्वारा उड़न दस्तों को सशक्त बनाया जाये तथा लक्ष्य के अनुसार निर्धारित निरीक्षण पूर्ण किये जायें।

3.2.21.3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संधारण

विभाग को निम्न अभिलेखों/पंजी संधारित करते हैः

(i) डिस्टलरी में - कच्चे माल की प्राप्ति एवं उपयोग से संबंधित रजिस्टर (डी-5) डिस्टलिशन रजिस्टर (डी-9) स्प्रिट/इ.एन.ए का जारी करना।

(ii) बोटलिंग ईकाई में - प्रेषित माल रजिस्टर (डी-19), वैट रजिस्टर (डी-10), स्पिरिट खाता (डी-11), बोटलिंग रजिस्टर (डी-12), सीलबंद बोतलबंद मदिरा का जारी रजिस्टर (डी-17) आदि।

(iii) गोदाम में - प्रेषित माल रजिस्टर (डी-19), स्पिरिट खाता (डी-11), बोटलिंग रजिस्टर (डी-12), बोतलबंद मदिरा का जारी रजिस्टर (डी-17), मासिक स्पिरिट खाता (डी-23) आदि।

(iv) जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी - अनुज्ञापी रजिस्टर (जी-1), मांग एवं संग्रहण रजिस्टर (जी-2), ड्यूटी और अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान हेतु चालान आदि।

नमूना लेखापरीक्षा में हमने पाया कि सभी लेखापरीक्षित ईकाईयों में रिकार्ड संधारित किये जा रहे एवं सभी लेन-देन उचित तरीके से दर्ज किये जा रहे है।

3.2.22 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा कई अनुपालन एवं प्रणाली की कमियाँ उजागर की गई जिसके कारण राजस्व हानि हुई जैसा कि उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित किया गया है और इस पर शासन/विभागीय स्तर पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैः

- सी.एस.बी.सी.एल. में डिस्टलरी/बोटलिंग ईकाईयों द्वारा भेजे जाने वाली विदेशी मदिरा की प्राप्ति का प्रतिसत्यापन का तंत्र अस्तित्व में न होना एवं इसी के साथ सी.एस.बी.सी.एल. द्वारा खुदरा विक्रेताओं को भेजी जाने वाली विदेशी मदिरा का प्रतिसत्यापन तंत्र अस्तित्व न होने से विदेशी मदिरा की कम प्राप्ति/अधिक भेजा जाना हुआ इसमें ड्यूटी की हानि हुई।
- विभाग के पास प्रक्रिया शुल्क की एवज में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट के समाशोधन हेतु कोई तंत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण ड्राफ्ट शासकीय कोष में जमा नहीं हो पाए।

- मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित कंडिका 3.2 में इंगित किये जाने के बावजूद विभाग द्वारा नमूना जाँच प्रयोगशाला नहीं स्थापित हो पाई जिसके कारण मिलावटी मदिरा की खपत की अत्यधिक संभावना है।
- यद्यपि शासन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित की गई है किन्तु शासन की राजस्व की सुरक्षा हेतु कोई भी डिस्टलरी, बोटलिंग ईकाई एवं अधीनस्थ कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने में विभाग असफल रहा है।

चौथा अध्यायः भू-राजस्व

4.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर भू-राजस्व विभाग का प्रमुख, प्रमुख सचिव होता है। इनकी सहायता के लिए आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू-अभिलेख (आ.बं.भू.अभि.) तथा चार संभागीय आयुक्त (सं.आयु.) होते है, संभागों के अंतर्गत शामिल जिलों के ऊपर संभागीय आयुक्त, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखते है। प्रत्येक जिले में, विभाग की गतिविधियों को कलेक्टर प्रशासित करता है। जिले में एक या अधिक सहायक कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर जिले के उप संभागों के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर को सहायता प्रदान करते है।

4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, (आं.ले.प.शा) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, और सामान्य तौर पर सभी नियंत्रणों के ऊपर नियंत्रण के रूप में परिभाषित है। यह संगठन को आश्वासन देने योग्य बना है क निर्धारित पद्धतियां उचित रूप से कार्यशील है। हमने यह देखा की विभाग में कोई भी आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई नहीं है जिससे राजस्व अपवंचन का खतरा बना रहेगा।

4.3 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने वर्ष 2013-14 के दौरान भू-राजस्व विभाग के 165 इकाईयों में से 28 इकाईयों की नमूना चांच की और भू-राजस्व और प्रब्याजी की वसूली न होना, उपकरों का अनारोपण, प्रक्रिया शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण, आर.आर.सी. के विरूद्ध वसूली में देरी तथा अन्य अनियमिततायें से संबंधित 11,999 प्रकरणों के राशि ₹ 616.27 करोड़ की राशि इंगित किये जिसका वर्गीकरण नीचे **तालिका 4.1** में वर्णित है।

तालिका 4.1

(₹ राशि करोड़ में)

सं.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	भू-भाटक एवं प्रब्याजी का अवरूद्ध रहना	93	575.45
2.	उपकरों का अनारोपण/अवसूली	6	0.65
3.	प्रक्रिया शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	26	0.04
4.	राजस्व वसूली प्रमाणपत्र के विरूद्ध वसूली में विलंब	1,925	25.07
5.	अन्य अनियमितताएं	9,949	15.06
	योग	**11,999**	**616.27**

हमाने द्वारा वर्ष के दौरान, भू-भाटक एवं प्रब्याजी की वसूली न होना, प्रक्रिया शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण, उपकर का अनारोपण/अवसूली, राजस्व वसूल प्रमाण पत्र के संग्रहण में विलंब इत्यादि के इंगित 9,166 प्रकरणों में जो ₹ 29.44 करोड़ थी, को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। लेकिन विभाग द्वारा कोई भी वसूली नहीं की गई।

कुछ उल्लेखित मामले जिनमें ₹ 8.99 करोड़ समाहित है, को निम्न कंडिकाओं में वर्णित हैः

4.4 प्रक्रिया व्यय की अवसूली

छ.ग. लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम 1988 के नियम 4 (अ) अनुसार मूल राशि की वसूली पर तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय आरोपण कर वसूली की जावेगी।

हमने कार्यालय जिलाध्यक्ष, अंबिकापुर के (मई 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य) राजस्व वसूली प्रमाणक (रा.व.प्र.) पंजी के अवधि अक्टुबर 2010 से मार्च 2013 तक के जांच में पाया कि जिलाध्यक्ष, द्वारा रा.व.प्र. के विरूद्ध ₹ 3.74 करोड़ की वसूली की गई। इस वसूलनीय राशि के विरूद्ध तीन प्रतिशत के दर से राशि ₹ 11.23 लाख प्रक्रिया शुल्क की राशि आरोपणीय थी। विभाग द्वारा न तो रा.व.प्र. में प्रक्रिया व्यय की राशि को सम्मिलित किया गया और न ही कोई राशि वसूल की गई। अतः रा.व.प्र. की वसूल राशि में प्रक्रिया व्यय सम्मिलित न करने से राशि ₹ 11.23 लाख वसूली नहीं हुई।

हमने शासन/विभाग को (अप्रैल 2014) को उनके अभिमत हेतु प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

हमने लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों (राजस्व प्राप्तियों) वर्ष 2007-08, 2010-11 एवं 2012-13 के कंडिका क्र. 6.2, 5.8.8 एवं 4.7 क्रमशः माध्यम से भी उक्त तथ्य उठायें थें। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 के कंडिका 6.2 में आक्षेपित राशि ₹ 6.35 लाख के विरूद्ध ₹ 3.55 लाख की वसूली की। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 के कंडिका 5.8.8 के संबंध में विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

4.5 भू-भाटक एवं प्रव्याजी का कम आरोपण

राजस्व पुस्तिका परिपत्र के कंडिका 26 अनुसार आवंटित नजूल भूमि का मूल्यांकन छ.ग. बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांत में वर्णित मूल्य या पुनरक्षित न्यूनतम मूल्य जो भी अधिकतम हो, के आधार पर किया जायगा। आगे छ.ग. बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांत के फार्म 3 के उपबंध 10 अनुसार यह प्रावधानित करता है कि अगर भूमि मूख्य मार्ग 20 मीटर के अंदर है तो उसे मुख्य मार्ग से लगा मानकर भूमि का मूल्यांकन किया जावें। अगर कोई क्रेता मुख्य मार्ग से लगा 46 मीटर से अधिक का भूमि क्रय करता है तो संपूर्ण भूमि का मूल्यांकन मूख्य मार्ग से लगा हुआ मानकर किया जावेगा। नजूल भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजन हेतु महत्वपूर्ण नहीं है। छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, के आदेश दिनांक नवम्बर 2009 के अनुसार भण्डारण निगम को भण्डारगृह निर्माण करने हेतु भूमि का आवंटन के अधिकार का प्रत्याजयोन जिले के कलेक्टर को दिया गया है। पट्टाधारक से बाजार मूल्य का 75 प्रतिशत प्रब्याजि एवं प्रब्याजि का 50 प्रतिशत के 7.5 प्रतिशत भू-भाटक वसूलनीय थी।

कार्यालय जिलाध्यक्ष (नजूल शाखा), जांजगीर-चांपा के भू-आवंटन अभिलेखों के जांच (मई 2013) में हमने पाया कि अक्टुबर 2012 एवं अप्रैल 2013 के मध्य 12.72 हे. परिमापित भूमि का आवंटन पट्टा विलेख द्वारा किया गया। अग्रेतर जांच में देखा गया कि अभिलेखों में संलग्न नक्शा अनुसार उक्त आवंटित भूमि मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांत अनुसार उक्त भूमि का मूल्य ₹ 12.67 करोड़ था। अतः इस पर बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत राशि ₹ 9.50 करोड़ प्रब्याजि तथा प्रब्याजि का 7.5 प्रतिशत दर से ₹ 71.26 लाख वार्षिक भू-भाटक वसूलनीय थी। परन्तु कलेक्टर द्वारा

उक्त भूमि को मुख्य मार्ग से भिन्न मानकर मूल्यांकन कर प्रब्याजि राशि ₹ 1.40 करोड़ एवं राशि ₹ 7.55 लाख वार्षिक भू-भाटक वसूल की गई। कलेक्टर द्वारा आवंटित भूमि का मूल्यांकन बाजार भाव अनुसार न किये जाने से प्रब्याजि राशि ₹ 8.10 करोड़ तथा वार्षिक भू-भाटक ₹ 63.71 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये (मई 2013) जाने पर कलेक्टर ने अपने उत्तर में कहा (मई 2013) कि प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण निरीक्षण अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार किया गया था। इस संबंध में जांच उपरांत उचित कार्यवाही कर सूचित की जायेगी।

हमने शासन/विभाग के अभिमत हेतु प्रतिवेदित किया (जून 2014); उनके उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

4.6 अमुद्रांकित विलेखों का स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक लोक अधिकारी सम्यक रूप से अमुद्रांकित प्रकरणों को परिबद्ध करेगा तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 38 के अनुसार कार्यवाही करेगा। इसी तरह उक्त अधिनियम की धारा 35 अनुसार अगर कोई विलेख उचित मुद्रांकित न हो तो उसे अस्वीकृत करने का साक्ष्य माना जावेगा। पंजीयन अधिनियम के धारा 17 (1) (ब) यह प्रावधानित करता है कि अन्य निर्वसीयती लिखत जिनसे यह तात्पर्यित हो या जिनका प्रवर्तन ऐसा हो कि वे स्थावर सम्पत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति में एक सौ रूपए या उससे अधिक मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित चाहे समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में चाहे भविष्य में, सृष्ट घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करती हो, का पंजीयन आवश्यक है। आगे शासन ने समस्त राजस्व अधिकारियों को दिसम्बर 2009 में निर्देशित किया है कि अपंजीकृत दस्तावेजों के संपत्ति का नामांतरण उचित नहीं है।

कार्यालय तहसीलदार लोरमी, पाटन, कसडोल एवं मस्तुरी के नामांतरण संबंधित अभिलेखों के जांच में पाया गया कि 11 प्रकरणों में सहसम्पत्तिकर्त्ता ने अपने दुसरे सहसम्पत्तिकर्ता को अपने अधिकार का हस्तांतरण किया। अतः इन दस्तावेजों को हकत्याग विलेख माना जाना चाहिए था। पंजीकरण अधिनियम के अनुसार इन विलेखों को पंजीकृत किया जाना था, जिससे उक्त संपत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 2.86 करोड़ के हस्तांतरण करने पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 13.76 लाख वसूलनीय थी। जबिक उन पक्षकारों ने बिना किसी आधार के विलेखों को ₹ 50 का मुद्रांकित कर संपादित किया और उपपंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत नहीं किया। और तहसीलदारों को बिना उपपंजीयक को प्रेषित किये बिना विलेख संपादित किया। तहसीलदारों ने उक्त दस्तावेजों को शेष मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु बगैर जिला पंजीयक को प्रेषित किये बिना अमुद्रांकित दस्तावेजों को मान्य कर संपत्तियों को नामंतरण किया गया। अतः तहसीलदारों द्वारा शासन के अधिनियमों एवं निर्देशों का पालन न करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की राशि ₹ 13.76 लाख का कम वसूली हुई (**परिशिष्ट 4.1**)।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014) शासन ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2014) कि चार प्रकरणों में राशि ₹ 8.61 लाख की मांग जारी की गई है। वसूली की जानकारी शासन से अप्राप्त है। शेष प्रकरणों में शासन से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

अध्याय पाँचः वाहनों पर कर

5.1 कर प्रशासन

मोटरयानों पर कर के उद्ग्रहण पर प्रशासन शासन स्तर पर प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त (प.आ.) द्वारा किया जाता हैं जिन्हे मुख्यालय स्तर पर सहायता प्रदान करने हेतु एक अतिरिक्त प.आ., एक सहायक आयुक्त एवं एक उप संचालक (वित्त) होते हैं। इसके अतिरिक्त चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ) दो अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अति.क्षे.प.अ.) और 16 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ) परिवहन आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में होते हैं। इसके अतिरिक्त 10 जांच चौकी सबंधित क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के पर्यवेक्षी नियंत्रण में कार्यरत हैं।

5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण जो कानूनी, नियमों और विभागीय निर्देशों के समुचित प्रवर्तन के उचित आश्वासन प्रदान करते हैं एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमिततओं की रोकथाम में मदद करते हैं, आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन को निर्धारित प्रणालियों के अनुपालन आश्वस्त करने के लिए सक्षम बनाता है।

हमने देखा कि एक स्वीकृत पद के विरूद्ध, वर्ष 2013-14 में आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा में एक अधिकारी पदस्थापित था। वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग द्वारा लेखापरीक्षा हेतु 17 चयनित इकाइयों में से 11 इकाइयो की लेखा परीक्षा की गई।

5.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2013-14 में हमने परिवहन विभाग के 20 इकाइयों में से नौ इकाइयों जिसमे परिवहन आयुक्त (व्यय) भी सम्मिलित हैं के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें ₹ 6.13 करोड़ के 1,10,930 प्रकरणों में व्यापार कर का कम उद्ग्रहण, कर और शास्ति का उद्ग्रहण न होना तथा अन्य अनियमितताएं पायी गयी जो निम्नानुसार **तालिका 5.1** में श्रेणीवार वर्गीकृत हैः

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	व्यापार कर/व्यापार फीस की कम वसूली	1,09,034	2.79
2.	कर एवं शास्ति की कम वसूली	1,647	3.23
3.	अन्य अनियमितताएं	249	0.11
	योग	1,10,930	6.13

वर्ष 2013-14 के दौरान, विभाग ने लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए समस्त प्रकरणो को मान्य किया किन्तु कोई वसूली नहीं की गई।

राशि ₹ 4.69 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे कंडिकाओं में दिये गए हैं।

5.4 व्यापार प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर फीस की अवसूली/कम वसूली

केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, के नियम 34 (1) के अनुसार व्यापार प्रमाण पत्र के नवीन अथवा नवीनीकरण आवेदन के साथ नियम 81 में वर्णित फीस भी संलग्न होनी चाहिए। व्यापार फीस ₹ 50 प्रति मोटर साइकल/मोपेड और ₹ 200 प्रति अन्य वाहन की दर से आरोपणीय हैं।

चार परिवहन कार्यालयों[1] के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2010 से मार्च 2013) में हमने पाया कि 2010-11 से 2012-13 के मध्य 78,271 मोटर साईकल/मोपेड और 19,364 अन्य वाहन पंजीकृत किए गए थे। नियमानुसार इन वाहनों से ₹ 77.86 लाख व्यापार फीस वसूलनीय थी। कन्तु क्षे.प.अ. बिलासपुर जि.प.अ. बैकुंठपुर और जशपुर द्वारा मात्र ₹ 1.11 लाख आरोपित एवं वसूल किया गया, जि.प.अ. रायगढ़ द्वारा कोई व्यापार फीस आरोपित और संग्रहीत नहीं की गई। परिणामस्वरूप ₹ 76.75 लाख के व्यापार फीस का कम आरोपण/अनारोपण हुआ। (**परिशिष्ट *5.1***).

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2013 और अक्तूबर 2013 के मध्य) विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 2.58 लाख की वसूली की गई हैं।

हमने प्रकरण को शासन के अभिमत हेतु प्रतिवेदित किया (मई 2014); उनका उत्तर अप्राप्त हैं (दिसम्बर 2014)।

समान प्रकरण 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 5.9 तथा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 5.10 में प्रतिवेदित किया गया था और विभाग द्वारा कंडिका 5.10 के संदर्भ में ₹ 35.66 लाख की वसूली की थी तथा शेष में वसूली की कार्यवाही प्रगति पर हैं, किन्तु विभाग में यही समान अनियमिताएँ पुनः पाई जा रही हैं। इसलिए शासन को चाहिए की आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करे ताकि ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

5.5 यात्री यान एवं माल यान के स्वामियों से कर की अवसूली

छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 3 एवं 5 के अनुसार वाहन जो कि राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग हेतु रखे गए हैं पर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लेखित दर के अनुसार कर आरोपित किया जावेगा। यात्री यान के संबंध में मासिक कर तथा माल यान/ट्रक और मेक्सी कैब हेतु त्रैमासिक रूप से कर आरोपणीय हैं। पुन, यदि शोध्य कर का संदाय नहीं किया गया हैं तो वाहन स्वामी शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए कर की असंदत रकम के एक बारहवें की दर से किन्तु रकम से अनधिक ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो अधिनियम की धारा 13 (1) के अनुसार अधिरोपित की गई हैं। यदि कोई वाहन स्वामी शोध्य कर शास्ति अथवा दोनों का संदाय करने में असफल रहता हैं तो कराधान अधिकारी को चाहिए कि मांग पत्र जारी कर राशि को भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करे। संदर्भित अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी किसी निश्चित समयावधि के लिए अपने वाहन को ऑफ रोड

---

1 क्षे.प.अ. बिलासपुर, जि.प.अ. बैकुंठपुर, जशपुर और रायगढ़

रखना चाहता हैं तो उसे वह समयावधि प्रारम्भ होने के पूर्व प्रारूप "ट" में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होता है।

हमने सात परिवहन कार्यालयों[2] जिसमे 71,764 पंजीकृत यान थे के मांग एवं जमा पंजी की नमूना जांच अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2013 के मध्य की तथा पाया कि नमूना जाँच के 9,722 यानों में से 780 यानों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2010 से मार्च 2103 तक का यान कर ₹ 2.34 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 5.2**)। इन वाहन स्वामियाँ द्वारा आँफ रोड घोषणापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके बावजूद क्षे.प.अ. और जि.प.अ. द्वारा इन डिफाल्टर वाहन स्वामियों से कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी करने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ के कर की वसूली नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त कर के असंदत राशि पर शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे कहा की ₹ 61.71 लाख की वसूली गई हैं तथा शेष प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही प्रगति पर हैं वसूली की जानकारी अपेक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

हमने प्रकरण को शासन के अभिमत हेतु प्रतिवेदत किया (मई 2014); उनका उत्तर अप्राप्त हैं (दिसम्बर 2014)।

यद्यपि इसी प्रकार की अनियमितता 31 मार्च 2012 को समाप्त हुये वर्ष हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में लेखापरीक्षा कंडिका क्र. 5.10.1 और 31 मार्च 2013 को समाप्त हुये वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में लेखापरीक्षा कंडिका क्र. 5.11 में सम्मिलित की गई थी तथा विभाग ने ₹ 60.58 लाख की वसूली की थी और शेष वसूली की कार्यवाही प्रगति पर थी, किन्तु विभाग में यही समान अनियमितता पुनः पाई जा रही हैं। इसलिए शासन को चाहिए की आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करे ताकि ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

5.6 वाहन कर का कम आरोपण

छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यात्री यान के प्रत्येक स्वामी पर उसके द्वारा राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग हेतु रखे गए यान पर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सरल क्रमांक 4 पर अंकित दरों के अनुसार कर आरोपणीय हैं। यदि शोध्य कर का संदाय नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए कर की असंदत रकम के एक बारहवें की दर से किन्तु रकम से अनधिक ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो अधिनियम की धारा 13 (1) के अनुसार अधिरोपित की गई हैं। यदि कोई वाहन स्वामी शोध्य कर शास्ति अथवा दोनों का संदाय करने में असफल रहता हैं तो कराधान अधिकारी को चाहिए कि मांग-पत्र जारी कर राशि को भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करे।

---

[2] क्षे.प.अ. अम्बिकापुर, बिलासपुर और रायपुर, जि.प.अ. बैकुंठपुर, दंतेवाड़ा, जशपुर और रायगढ़

क्षे.प.अ. बिलासपुर एवं जि.प.अ. रायगढ़ के कराधान अभिलेखों की अप्रैल 2013 से अगस्त 2013 के की गई नमूना जांच में हमने पाया कि 1,361 यान पंजीकृत थे। इसमें से लेखापरीक्षा द्वारा 64 यानों की नमूना जांच की गईं तथा 12 प्रकरणों में पाया गया की इन यानों द्वारा अप्रैल 2010 से मार्च 2013 के मध्य तय की गई दूरी के अनुपात में करारोपण न किया जाकर ₹ 28.05 लाख का एकमुश्त करारोपण बगैर किसी आधार पर किया गया था। इन यानों के द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी के अनुसार यान स्वामियों पर ₹ 34.26 लाख का कर आरोपणीय था परिणामस्वरूप वाहन कर ₹ 6.21 लाख का कम आरोपण हुआ (**परिशिष्ट 5.3**)। इसके अतिरिक्त अदेय राशि पर राशि पर शास्ति भी आरोपणीय थी।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (अप्रैल 2014) में कहा कि, एक प्रकरण में ₹ 4,800 की वसूली की गई हैं। शेष प्रकरणों में उत्तर अपेक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

हमने प्रकरण को शासन के अभिमत हेतु प्रतिवेदित किया (मई 2014); उनका उत्तर अप्राप्त हैं (दिसम्बर 2014)।

5.7 व्यापार कर की कम वसूली

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम की धारा 4 सहपठित केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 33 के अनुसार व्यवसायियों जिसे मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं वह अपने व्यापार के अनुक्रम में अपने कब्जें में रखे गए वाहनों के संदर्भ में व्यापार कर का भुगतान करेगा। पुनः छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम की तृतीय अनुसूची में व्यवसायियों के कब्जे में उनके व्यापार के अनुक्रम में रखे गए प्रथम सात वाहन एवं सात वाहन के लाट के लिए व्यापार कर की दर निर्धारित हैं। केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 43 (1) अनुसार व्यवसाय प्रमाण पत्र के प्रत्येक धारक को दोहरी प्रति में एक रजिस्टर फॉर्म 19 में संधारित करना होगा जो कि एक सजिल्द पुस्तक होगी एवं पन्ने एक क्रम से होगे। आगे नियम 43 के उप नियम 3 के अनुसार रजिस्टर एवं दोहरी प्रति पंजीयन अधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

चार परिवहन कार्यालयों[3] के व्यापार कर पंजी की अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2013 के मध्य की गई नमूना जांच में हमने पाया कि आटोमोबाइल व्यवसायी द्वारा अपने सबंधित परिवहन अधिकारियों से व्यापार पत्र प्राप्त किया था। तथापि हमने पाया कि परिवहन अधिकारियों के पास व्यवसायियाँ के कब्जे में रखे वाहनों के सबंध में कोई अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा था परिणामस्वरूप व्यवसायियों के पास रखे वाहनों की वास्तविक संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। व्यवसायियों द्वारा इस सबंध न तो काई विवरणी प्रस्तुत की, न ही विभाग द्वारा विवरणी प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही की और देय कर की वसूली की। किन्तु लेखा परीक्षित अवधि (अप्रैल 2010 से मार्च 2013) में विभिन्न श्रेणी के 90,549 वाहन पंजीकृत किए गए थे (**परिशिष्ट 5.4**)। इन पंजीयन कार्यालयों में पंजीकृत वाहनो के आधार पर ₹ 1.57 करोड़ व्यापार कर व्यवसायियों से

[3] क्षे.प.अ. बिलासपुर, जि.प.अ बैकुठपुर, जशपुर और रायगढ़

वसूलनीय था। इसके विरूद्ध मात्र ₹ 4.97 लाख का व्यापार कर आरोपित किया गया एवं वसूल किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ के व्यापार कर की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2013 के मध्य) विभाग ने कहा कि राशि ₹ 5.36 लाख की वसूली की गई।

हमने प्रकरण को शासन के अभिमत हेतु प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2013 से दिसम्बर 2013); उनका उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

छठवां अध्यायः अन्य कर भिन्न राजस्व

खण्ड कः वानिकी एवं वन्य जीवन

6.1 कर प्रशासन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं) प्रधान सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वन विभाग के प्रमुख होते है, जो कि मुख्यालय में आठ अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक (अ.प्र.मु.व.सं) एवं 16 मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं) के सहायता से कार्य संचालित करते है।

6.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, (आं.ले.प.श.) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह संगठन को आश्वासन देने योग्य बनाता है कि निर्धारित पद्धतियां उचित रूप से कार्यशील है।

हमने देखा कि वर्ष 2013-14 में आं.ले.प.श. में कुल पांच स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र तीन ही कार्यरत थे। वर्ष 2013-14 के दौरान आं.ले.प.श. द्वारा 15 इकाईयों का निरीक्षण हेतु योजना बनाई गई जिसमें से सभी 15 इकाईयों निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण प्रतिवेदेनों जारी किये गये। हालाकि आं.ले.प.श. द्वारा ₹ 23.94 लाख का वित्तीय अनियमिततायें इंगित किये, विभाग ने यह बताया कि स्थानीय कार्यालयों से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी।

6.3 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने 2013-14 में वन प्राप्तियों के 16 इकाईयों के अभिलेखों के नमूना जांच किये जिसमें से वनोपज के अवरोध मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय किये जाने के कारण कम प्राप्ति, वनोपज की कमी/गुणवत्ता में ह्रास के कारण राजस्व की अप्राप्ति/कम प्राप्ति, काष्ठ का कम उत्पादन आदि के 56 प्रकरणों जिनमें ₹ 217.51 करोड़ सन्निहित थी, पाये जो कि निम्नानुसार **तालिका 6.1** में वर्णित हैः

तालिका 6.1

(₹ करोड़ में)

स.क्रं	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अवरोध मूल्य से कम मूल्य पर वनोपज के विक्रय करने से राजस्व की कम प्राप्ति	11	0.79
2	वनोपज के गुणवत्ता में ह्रास/कमी के कारण राजस्व की अप्राप्ति	12	11.47
3	काष्ठ के कम उत्पादन से राजस्व हानि	6	1.44
4	अन्य अनियमिततायें	27	203.81
	योग	56	217.51

वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग ने राशि ₹ 16.13 लाख के 10 प्रकरणों स्वीकार किये।

कुछ उल्लेखित प्रकरणों जिसमे राशि ₹ 8.28 करोड़ सन्निहित थी, को पश्चातवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

6.4 अन्य विभागों/संस्थाओं को प्रदायित वनोपज का निरीक्षण शुल्क की राशि वसूल न करना

वन वित्तीय नियम के नियम 50 अनुसार वन विभाग द्वारा अन्य विभागों/गैर शासकीय संस्थाओं को प्रदायिक वनोपज के मूल्य का 10 प्रतिशत राशि निरीक्षण शुल्क के रूप में वसूलेगा। साथ ही अन्य विभागों से प्राप्तियों को विभाग राजस्व में लेखांकन करेगा। शासन के निर्देशानुसार (जूलाई 2002), अति विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा का दायित्व लोक निर्माण विभाग को होगा।

पाँच[1] वनमंडलाधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2013 से अगस्त 2013 के मध्य) में हमने देखा कि व.मं.अ. ने 2009 एवं 2012 के मध्य अति विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों अन्य विभागों एवं गैर-शासकीय संस्थाओं के एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु ₹ 1.84 लाख बांसों एवं ₹ 1.02 लाख बल्लियों का प्रदाय लोक निर्माण विभाग को किया। तत्संबंधी वर्षो के बाजार मूल्य अनुसार इन वनोपजों का मूल्य राशि ₹ 1.30 करोड़ था। इन प्रदायित वनोपजों के मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से राशि ₹ 13.00 लाख इन विभागों/संस्थाओं से निरीक्षण शुल्क के रूप में वसूलनीय थी। संबंधित विभागों/संस्थाओं द्वारा इन वनोपजों को वन विभाग को लौटा दिया गया, लेकिन निरीक्षण शुल्क के वसूल हेतु व.मं.अ. द्वारा कोई प्रयास नही किये गये। व.मं.अ. द्वारा निरीक्षण शुल्क के वसूली में विफल होने के कारण राशि ₹ 13 लाख का अनारोपण हुआ ***(परिशिष्ट 6.1)***।

हमारे द्वारा इंगित (अप्रैल से अगस्त 2013) किये जाने पर, व.मं.अ. ने उत्तर में कहा कि निरीक्षण शुल्क की वसूली हेतु संबद्ध संस्थाओं से संपर्क किया जावेगा। हालांकि इस संबंध में कोई भी प्रगति विभाग द्वारा हमें सूचित नहीं किया गया है।

हमने शासन/विभाग को सूचित (जनवरी 2014) कर दिया; उनसे उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2014)।

6.5 निस्तार काष्ठागार में वनोपज की कमी

6.5.1 शासन के आदेश (जून 1990) अनुसार काष्ठागार में विक्रय हेतु रखे गये जलाऊ काष्ठ में प्रथम में प्रथम वर्ष 15 प्रतिशत तक के सुखत मान्य की गयी। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह सुखत उसी जलाऊ लकड़ी के लिए मान्य की जावेगी जो उसी वर्ष विशेष में निर्मित होकर विक्रय डिपो में प्राप्त होती है। यह सुखत सिर्फ जलाऊ काष्ठ के लिए ही मान्य होगा न कि बांस एवं बल्लियों के लिए। आगे छ.ग. वित्तीय संहिता के नियम 22 (1) के अनुसार हानि के प्रकरण की सूचना तत्काल शासन एवं महालेखाकार को प्रेषित की जावेगी।

तीन[2] वनमंडलों के अभिलेखों के जांच (अप्रैल से दिसम्बर 2012) में हमने पाया कि पांच[3] निस्तार काष्ठागारों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन अनुसार व.मं.अ., बस्तर एवं

---

1 धमतरी, कोरबा, महासमूंद, राजनांदगांव एवं सरगुजा (दक्षिण)

2 बस्तर, जशपुर एवं कोरिया।

3 बमनी, नागरनार एवं नेगानार (बस्तर) कांसाबेल एवं पत्थलगांव (जशपुर)

जशपुर वनमंडल में 2008 से 2011 के मध्य 3,049 बांस एवं 70 बल्लियों की कमी पाई गई। आगे 13[4] निस्तार काष्ठागारों के भौतिक सत्यापन प्रतिवदेनों में 264.65 जलाऊ चट्टों तथा 928.189 क्विंटल जलाऊ काष्ठ में अनुमत्य सीमा से अधिक सुखत मान्य किया गया। इन वनोपजों का तत्संबंधी वर्ष में मूल्य ₹ 3.71 लाख था। अतः निस्तार काष्ठागारों में वनोपज की कमी तथा अनुमत्य सीमा से अधिक सुखत मान्य करने से राजस्व राशि ₹ 3.71 लाख की कम प्राप्ति हुई **(परिशिष्ठ 6.2)**। उक्त प्रकरण को व.मं.अ. द्वारा शासन एवं महालेखाकार को भी सूचित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा इंगित (अक्टुबर 2013) किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में कहा कि बस्तर वनमंडल ने ₹ 1.40 लाख की वसूली कर ली है। कोरिया वनमंडल के संबध में यह कहा गया कि शासन के निर्देशानुसार (जुलाई 2006) अनुमत्य सीमा तक के वनोपज के वजन में कमी करने पर भी कोई कमी नहीं आई है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आसना एवं बोरपादर निस्तार काष्ठागारों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में सुखत के कारण वनोपज की कमी का स्पष्ट उल्लेख था। साथ ही 15 प्रतिशत का सुखत सिर्फ नये चट्टों के लिए ही मान्य है। जशपुर वनमंडल से उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

6.5.2 वनमंडलाधिकारी (व.मं.अ.), सरगुजा (दक्षिण) के अभिलेखों के जांच (जनवरी 2012) में हमने पाया कि दो[5] निस्तार काष्ठागारों के जून 2010 एवं जून 2011 के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों में 1,585 बांस एवं 1,080 बल्लीयों की कमी पाई गई। अग्रेतर जांच में देखा गया कि तीन[6] निस्तार काष्ठागारों में अनुमत्य सीमा से 1,739.1 क्विंटल जलाऊ काष्ठ का अधिक सुखत मान्य किया गया। तत्संबंधी वर्ष में इन वनोपज का मूल्य 3.73 लाख था। अतः निस्तार काष्ठागारों में वनोपज की कमी एवं अनुमत्य सीमा से अधिक सुखत मान्य करने पर राजस्व ₹ 3.73 लाख की कम वसूली हुई ***(परिशिष्ठ 6.3)***। जबकि व.मं.अ. ने हानि को शासन एवं महालेखाकार को प्रतिवेदित नहीं किया।

हमारे द्वारा इंगित (नवम्बर 2013) किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (जून 2014) में कहा कि हानि की मांग ₹ 3.65 लाख के विरूद्ध राशि ₹ 0.54 लाख की वसूली कर ली गई है।

6.6 वनोत्पाद के परिवहन पर अभिवहन शुल्क की वसूली न होना

भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 2(4)(ख) के अनुसार खान से प्राप्त सभी उपज जो वन क्षेत्र में है वह वनोपज कहलाएगा। अतः व्यपवर्तित वनभूमि से प्राप्त खनिज भी वनोपज कहलाएगा। छ.ग. अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 यथासंशोधित 2002 के नियम 3 अनुसार किसी भी वनोपज का वन भूमि से वन विभाग द्वारा जारी वैध अभिवहन पास के बिना परिवहन नहीं किया जाएगा। अभिवहन पास जारी करने हेतु राशि ₹ 7 प्रति टन की दर से शुल्क वसूल की जाएगी। आगे वन संरक्षण अधिनियम

---

4 अडवाल, असना, बाकावान्ड, बामनी, बोरपादार और नगरनार (बस्तर वनमंडल) कांसाबेल, कुनकुरी, पन्डरीपानी और पत्थलगांव (जशपुर वनमंडल) और छिन्दडांड़, चिरमिरी और पटना (कोरिया वनमंडल)।

5 गांधी नगर एवं लातोरी

6 गांधी नगर, कमलेश्वरपुर एवं करंजी

1980 के अनुसार गैर-वनीय प्रयोजन हेतु हस्तांतरित भूमियों का स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात वे वन भूमि ही रहेंगी। अतः खनन प्रयोजन हेतु हस्तांतरित वनभूमि से प्राप्त खनिज वनोपज ही कहलायेगा।

व.मं.अ. कोरबा एवं सरगुजा (दक्षिण) के वन भूमि के व्यपवर्तन से संबंधित अभिलेखों के नमूना जांच में हमने देखा कि कोयला एवं बाक्साईट की छह खदानें[7] वन क्षेत्र के अंतर्गत थी। खनिज संसाधन विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी अनुसार इन खदानों 94.33 लाख टन कोयला (2010-11 से 2012-13) एवं 14.60 लाख टन बाक्साईट (2008-09 से 2012-13) का वनक्षेत्र से उत्खनन कर परिवहित किया गया। चूंकि यह खनिज वनभूमि से उत्खनित किये गये थे, तो यह वनोपज की श्रेणी में आते है तथा इसके परिवहन हेतु अभिवहन पास जारी कर अभिवहन शुल्क राशि ₹ 7.63 करोड़ वसूल किया जाना था। परन्तु विभाग द्वारा वन क्षेत्र से उत्खनित खनिजों के परिवहन पर न तो अभिवहन पास जारी किये गये न ही संबंधित संस्थानों से अभिवहन शुल्क की वसूली की गई।

हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र), छ.ग. शासन के समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2010 एवं 2011 के क्रमशः कंडिका 7.4.12 एवं 8.9 के माध्यम से इंगित किया था। लोक लेखा समिति के अनुशंसा (अक्टूबर 2012) पर विभाग द्वारा कंडिका 7.4.12 के परिपेक्ष्य में राज्य के समस्त वृत्तों को 2002-03 से अभिवहन शुल्क वसूली हेतु मांग जारी किया गया (मार्च 2013)। हमारे द्वारा विभाग द्वारा जारी किये गये वसूली मांगों के जांच किये जाने पर पाया गया कि सूची में आक्षेपित खदानें शामिल नहीं थी परिणामस्वरूप राशि ₹ 7.63 करोड़ की अभिवहन शुल्क की वसूली नहीं हो सकी ***(परिशिष्ठ 6.4)***।

हमारे द्वारा इंगित (जनवरी 2012 से जूलाई 2013) किये जाने पर व.मं.अ. सरगुजा (दक्षिण) ने उत्तर में कहा (जूलाई 2013) की कोयले के उत्खन्न के अभिवहन शुल्क की वसूली हेतु मांग की गई है (जून 2013) एवं बाक्साईट उत्खन्न के अभिवहन शुल्क की वसूली के संबंध में उच्चधिकारियों से मार्गदर्शन लेने के बाद ही वसूल की जावेगी। व.मं.अ., कोरबा ने अपने उत्तर में कहा कि व.सं. बिलासपुर ने निर्देशित (मार्च 2013) किया है कि अभिवहन शुल्क की वसूली कार्य आयोजना में वर्णित आरक्षित/संरक्षित वनों से उत्खनित खनिजों पर ही किया जायेगा। चूंकि कोयला का उत्खनन संरक्षित एवं राजस्व वन क्षेत्रों से किया गया है, अभिवहन शुल्क की वसूली संरक्षित वन क्षेत्रों से उत्खनित खनिजों की मात्रा को सुनिश्चित किये जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

व.मं.अ., कोरबा का उत्तर मान्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (दिसम्बर 1996) स्पष्ट किया है कि भारतीय वन अधिनियम के अनुसार कोई भी वन जो शासकीय अभिलेख में सम्मिलित है, चाहे उसका स्वामित्व कोई भी हो वह इन अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित होगे और छ.ग. अभिवहन (वनोपज) नियम के अनुसार अभिवहन शुल्क की वसूली हेतु राजस्व वन क्षेत्र एवं आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र में कोई भी अंतर नहीं किया गया है। लोक लेखा समिति के अनुशंसा के बाद भी अन्य हेतु वसूली की कार्यवाही में इन खदानों से अभिवहन शुल्क की वसूली हेतु मांग न किया जाना विभाग

---

[7] कोरबा (राजगमार ऑपन कॉस्ट, मानिकपुर, अंडरग्राउंड कोयला की खदानें), सरगुजा (दक्षिण) (मैनपाट बॉक्साइट खदान और गायत्री और रेहर, अमीरा और महन आपन कॉस्ट खदानें)।

में राजस्व रिसाव रोकने हेतु के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी को इंगित करता है। इस संबंध में आगे की कार्यवाही की प्रगति अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

उक्त आक्षेप शासन/विभाग(नवम्बर 2013) को सूचित किया गया; उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2014)।

6.7 उपभोक्ता काष्ठागार में वनोपज की कमी

प्र.मु.व.सं. के आदेश (जुलाई 2002) अनुसार प्रत्येक निस्तार/उपभोक्ता काष्ठागारों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष के दिनांक 30 जून को किया जायगा। भौतिक सत्यापन दौरान अगर कोई वनोपज की कमी पाई जाती है तो उसकी जांच की जावेगी तथा जिम्मेदारी तय कर उचित कार्यवाही की जावेगी। आगे छ.ग. वित्त संहिता के नियम 22 (1) के अनुसार प्रत्येक हानि प्रकरणों को शासन तथा महालेखाकार को सूचित किया जायगा।

30 जून 2010 की स्थिति में पिथौरा उपभोक्ता काष्ठागार (व.मं.अ., महासमुंद) के भौतिक सत्यापन की नमूना जांच में हमने देखा कि 13,951 बांस 139 बल्लियों, 775 खूंटे एवं 453 जलाऊ चट्टे की कमी पाई गई। आगे नीलामी हेतु 13,591 बांस में से 8,333 बांसों का परिवहन 14 दिसम्बर 2010 को विक्रय काष्ठागार में किया गया। अतः शेष बांस उपभोक्ता काष्ठागार में मौजूद होने चाहिए थी। लेकिन 30 जून 2011 के भौतिक सत्यापन में न तो शेष बांसों का अवशेष बताया गया न ही वर्ष के दौरान इस काष्ठागार से कोई विक्रय होना। साथ ही यह भी देखा गया कि एक ही काष्ठागार में दो लगातार वर्षो में भौतिक सत्यापन में पाई गई कमियों का विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अतः विभाग द्वारा की कमियों के कारणों के उदासीनता को संबोधन न करने से राशि ₹ 8.78 लाख की राजस्व अप्राप्ति हुई ***(परिशिष्ठ 6.5)***।

हमारे द्वारा इंगित (मई 2013) किये जाने पर, व.मं.अ. ने उत्तर (मई 2013) में कहा कि प्रकरण परीक्षण पश्चात् कर सूचित किया जायेगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2014)।

प्रकरण शासन/विभाग को सूचित (नवम्बर 2013) किया गया; उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2014)।

6.8 निस्तार काष्ठागार से वनोपज के विक्रय में राजस्व की कम प्राप्ति

प्र.मु.व.सं के आदेश (जुलाई 2011) के अनुसार प्रत्येक निस्तार/उपभोक्ता काष्ठागार का माह के अंत में भौतिक सत्यापन किया जायेगा। प्रत्येक वनमंडल हर वर्ष निस्तार पत्रिका जारी करती है, जिसमें निस्तार/उपभोक्ता काष्ठागार से विक्रय किये जाने वाले वनोपज की रियायती दर घोषित होती है।

व.मं.अ., धमतरी के अभिलेखों के नमूना जांच (अगस्त 2013) में हमने देखा कि वनमंडल ने अक्टूबर 2011 एवं जनवरी 2013 के मध्य 7,368 जलाऊ चट्टे 1,27,163 बांस एवं 4,351 बल्लियों का विक्रय किया एवं विक्रय मूल्य के रूप में राशि ₹ 56.91 लाख की प्राप्ति हुई। निस्तार पत्रिका में तत्संबंधी वर्ष के मूल्य के आधार पर गणना करने पर उक्त वनोपज का विक्रय मूल्य राशि ₹ 93 लाख था। अतः वनमंडल ने वनोपज का विक्रय शासन द्वारा प्रावधानित रियायती दर का पालन न कर कम दर से

किया गया। परिणामस्वरूप वनोपज के विक्रय पर राशि ₹ 36.09 लाख की कम प्राप्ति हुई ***(परिशिष्ट 6.6)***।

हमारे द्वारा इंगित (अगस्त 2013) किये जाने पर व.मं.अ. द्वारा अपने उत्तर में कहा कि प्रकरण को परीक्षण उपरांत पृथक से सूचित किया जायेगा।

प्रकरण शासन/विभाग को सूचित (नवम्बर 2013) किया गया; उनके उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

खण्ड खः अलौह खनिज एवं खनिकर्म उद्योग

6.9 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, खनिज संसाधन विभाग संबंधित खनन अधिनियमों एवं नियमों के क्रियान्वयन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। संचालनालय स्तर पर आयुक्त सह-संचालक, भौतिकी एवं खनिकर्म (सं.भौ.ख) खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख है जिनकी सहायता हेतु एक अतिरिक्त संचालक, खनिज प्रशासन (अति.स.ख.प्र.) 26 जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.), 19 सहायक खनिज अधिकारी (स.ख.अ.) एवं 65 खनिज निरीक्षक (ख.नि.) होते है। उल्लेखित स्वीकृत पद के विरूद्ध विभाग में एक अति.सं.ख.प्र., 15 जि.ख.अ., 11 स.ख.अ. एवं 25 ख.नि. कार्यरत थे।

6.10 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, (आं.ले.प.श.) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह संगठन को आश्वासन देने योग्य बना है कि निर्धारित पद्धतियां उचित रूप से कार्यशील है।

हमने देखा कि वर्ष 2013-14 में स्वीकृत पद एक सह संचालक एवं चार लेखापरीक्षक के विरूद्ध आं.ले.प.शा. मे मात्र एक लेखापरीक्षक ही कार्यरत थे। वर्ष 2013-14 के दौरान 19 इकाईयों के निरीक्षण प्रस्तावित थे जिसमें से 17 इकाईयों का लेखापरीक्षा कर निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये। जबकि एक भी वित्तीय अनियमितता इंगित नहीं किये गये, मात्र सुझावात्मक टीप जारी किये गये।

6.11 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने 2013-14 में खनिज संसाधन विभाग के 16 इकाईयों में से सात इकाईयों की नमूना जांच की एवं 639 प्रकरणों में राशि ₹ 25.46 करोड़ के खनिज पट्टाधारकों से राज्यांश एवं ब्याज का कम निर्धारण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण/प्राप्ति, अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण एवं अन्य अनियमितातायें को इंगित किया, जो कि निम्न **तालिका 6.2** में वर्णित हैः-

तालिका 6.2

(₹ करोड़ में)

सं.क.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राज्यांश एवं ब्याज का कम निर्धारण	116	5.93
2.	मुदांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/कम प्राप्ति	2	0.004
3.	अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण	37	0.11
4.	अन्य अनियमितताएँ	484	19.42
	योग	**639**	**25.46**

वर्ष के दौरान विभाग ने कम निर्धारण एवं अन्य कमियों के 144 प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 4.71 करोड़ सम्मिलित थें, को स्वीकार करते हुए चार प्रकरणों में राशि ₹ 5.13 लाख की वसूली की।

प्रारूप कंडिका जारी करने के बाद विभाग ने वर्ष 2014-15 में 30 प्रकरणों में राशि ₹ 4.75 लाख की वसूली की गई।

एक उल्लेखित प्रकरण जिसमें राशि ₹ 12 लाख सम्मिलित है उसका विवरण पश्चातवर्ती कंडिका में उल्लेखित किया गया है।

6.12 अनिवार्य भाटक एवं उस पर ब्याज की राशि का वसूल न होना

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (1) (क) के अनुसार पट्टाधारक प्रथम वर्ष को छोड़कर प्रति वर्ष इस नियम के अधिसूची IV के दर अनुसार प्रत्येक वर्ष अनिवार्य भाटक की अग्रिम राशि वर्ष के प्रथम माह के 20 तारीख के पहले भुगतान करेगा। नियम 30(1) (ए) यह प्रावधानित करता है कि अगर पट्टाधारक नियत तिथि तक अनिवार्य भाटक भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसे देय तिथि से भुगतान तिथि तक की विलंब अवधि हेतु 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

हमने जि.ख.अ., दंतेवाड़ा, राजनांदगांव एवं उपसंचालक, खनिज, रायपुर (नवम्बर 2013 से जनवरी 2014) के 533 प्रकरणों में से 304 प्रकरणों के खतौनी एवं खनिपट्टा नस्तियों की नमूना जांच में पाया कि 19 प्रकरणों में वर्ष 2007 से 2014 के मध्य पट्टाधारकों द्वारा राशि ₹ 7.27 लाख के अनिवार्य भाटक का भुगतान नहीं किया गया। उसके बावजूद जि.ख.अ. द्वारा अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 7.27 लाख एवं उस पर परिगणित ब्याज की राशि ₹ 4.73 लाख की वसूली हेतु कोई मांग जारी नहीं की। जि.ख.अ. द्वारा खनिपट्टों का अनुश्रवण करने में विफल होने के कारण अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की राशि ₹ 12 लाख की अप्राप्ति हुई (**परिशिष्ट 6.7**)।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने (जून 2014) पर विभाग ने कहा (सितम्बर 2014) कि चार प्रकरणों में राशि ₹ 1.05 लाख की वसूल की गई एवं उ.सं.ख., रायपुर द्वारा सात पट्टाधारकों को वसूली की मांग जारी की गई है। आगे जि.ख.अ., राजनांदगांव ने राशि ₹ 33,080 की राशि वसूल की है एवं जि.स.अ., दंतेवाडा द्वारा दो पट्टाधारकों से राशि ₹ 1.77 लाख की वसूली हेतु मांग की गई है।

उक्त प्रकरण शासन को (मई 2014) सूचित किया गया; उनके उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2014)।

भाग- ख

व्यय

सातवां अध्यायः वानिकी एवं वन्य जीवन(व्यय)

7.1 प्रस्तावना

प्रमुख सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वन विभाग का प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) होता है जिसकी सहायता हेतु मुख्यालय स्तर पर आठ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अ.प्र.मु.व.सं.) तथा 16 मुख्य वन सरंक्षक (मु.व.सं.) होते है।

7.2 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने छत्तीसगढ़ राज्य में बांस के उत्पादन एवं उपचार की लेखापरीक्षा की जिसमें राशि ₹ 117.38 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है। साथ ही वर्ष 2013-14 में वन विभाग की 60 में से 22 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। हमने बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य का मूल्यांकन न किये जाने, अयोग्य क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य किये जाने, बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य किये जाने के दौरान वन संरक्षकों द्वारा निर्धारित जाँब दरों का पालन न किये जाने तथा परिहार्य व्यय आदि अनियमितताओं के राशि ₹ 284.95 करोड़ के 209 प्रकरण पाये जिनका विवरण निम्न **तालिका 7.1** में वर्णित हैः

तालिका 7.1

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	''**छत्तीसगढ़ में बांस का उत्पादन एवं उपचार**'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	117.38
2	अनियमित व्यय	99	88.33
3	परिहार्य व्यय	13	12.22
4	निष्फल व्यय	13	5.52
5	अधिक व्यय	50	36.87
6	अन्य अनियमितताएं	33	24.63
योग		209	284.95

वर्ष के दौरान विभाग ने राशि ₹ 41.15 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले अनियमित/निष्फल/अधिक व्यय एवं अन्य अनियमितताओं के 39 प्रकरणों को स्वीकार किया।

निष्पादन लेखापरीक्षा को शासन को भेजे जाने के पश्चात एक प्रकरण में राशि ₹ 36.69 लाख की वसूली हुई।

''**छत्तीसगढ़ में बांस का उत्पादन एवं उपचार**'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें राशि ₹ 117.38 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है तथा राशि ₹ 5.67 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों का वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

7.3 छत्तीसगढ़ में बांस का उत्पादन एवं उपचार

मुख्यांश:

बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य का मूल्यांकन न किये जाने से राशि ₹ 26.47 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.1)

बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य अयोग्य क्षेत्रों में किये जाने से राशि ₹ 9.73 करोड़ का अनियमित/परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.3)

बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य में वन संरक्षकों द्वारा निर्धारित जाँब दरों का पालन न किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.52 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.5)

पूर्व में उपचारित क्षेत्र का पुनः उपचार किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 54.86 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.7)

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जहाँ बांस की कटाई संभव नहीं थी, में बिगड़े बांस के सुधार का कार्य किये जाने के फलस्वरूप राशि ₹ 2.11 करोड़ का संदिग्ध/निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.8)

विभाग ने बांस रोपण कार्य पर राशि ₹ 28.26 करोड़ का व्यय किया। तथापि, वह रोपणों की सफलता/असफलता का मूल्यांकन कर पाने में असफल रहा।

(कंडिका 7.3.11.1)

बांस रोपणों हेतु अयोग्य क्षेत्रों का चयन किये जाने से राशि ₹ 22.51 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.11.2)

पातन हेतु ड्यू बांस कूपों, जिनमें 1.91 लाख हेक्टेयर बांस क्षेत्र सन्निहित था, का पातन न किये जाने से राशि ₹ 39.10 करोड़ की राजस्व क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बांस के विदोहन हेतु विभाग के पास कोई योजना नहीं थी तथा अलाभकारी कूपों का उपचार नहीं किया गया।

(कंडिका 7.3.12.1)

बांस के अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन की मात्राओं में बहुत अधिक अंतर था जिसके कारण राशि ₹ 4.71 करोड तक के राजस्व का संग्रहण नहीं हो सका।

(कंडिका 7.3.12.2)

औद्योगिक बांस के विक्रय हेतु की गई निविदा की शर्तो का पालन सुनिश्चित न किये जाने से राशि ₹ 19.23 लाख के राजस्व की क्षति हुई।

(कंडिका 7.3.13)

7.3.1 प्रस्तावना

बांस एक जल्दी बढ़ने वाला, विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ, पुर्ननवीकृत होने वाला, बहुपयोगी एवं कम लागत का वनोत्पाद है। इसकी बहुरूपी उपयोगिताओं एवं सामान्य जन तक पहुंच के कारण इसे हरा सोना कहा गया है। विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार राज्य का कुल वन क्षेत्र 59,772 वर्ग किमी है जिसमें से बांस आच्छादित क्षेत्र 11,368 वर्ग किमी है।

(भानुप्रतापपुर (पूर्व) वनमंडल में स्थित एक बांस कूप)

कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार बांस वन क्षेत्रों को चार वर्ष के चक्र में उपचारित किया जाना है। उपचारों में बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य[1], बांस वनों का विदोहन आदि सम्मिलित है। प्रत्येक चार वर्ष में बांस का विदोहन तथा बिगड़े बांस वनों में सुधार कार्य केवल उत्पादन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि बांस के अग्रेतर विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योकि यदि विकसित बांसों को सही समय पर विदोहित नहीं किया गया तो भिर्रों में बांस आपस में उलझ जायेगें और जल्द ही भिर्रों समाप्त हो जायेगें। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्य आयोजना में भी प्रावधानित किया गया है कि बांस क्षेत्रों का उपचार समयबद्ध रूप से किया जावें।

7.3.2 विभागीय संरचना

वन विभाग की विभागीय संरचना निम्नानुसार हैः

प्रमुख सचिव (वन)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (8) एवं मुख्य वन संरक्षक (16)

वन संरक्षक (6) - रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, बस्तर, दुर्ग एवं सरगुजा

वनमंडलाधिकारी (37)

---

[1] बिगड़े बांस वन सुधार कार्यवृत्त के अंतर्गत उन कक्षों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें प्रति हेक्टेयर 50 से 100 बिगड़े बांस के भिर्रे हो। ऐसे क्षेत्र का उपचार करते समय खाली क्षेत्रों में बांस रोपण तथा उपलब्ध भिर्रों में सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है।

7.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई थी कि:

- बिगड़े बांस वनों के सुधार का कार्य, कार्य आयोजना में विहित प्रावधानों तथा विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया गया तथा उसके परिणामों को प्राप्त किया गया;
- कार्य आयोजना के प्रावधानों, विभागीय मानकों एवं निर्देश के अनुरूप बांस रोपण का कार्य किया गया;
- बांस का उत्पादन तथा विदोहित बांसो का परिवहन नियमों, प्रावधानों तथा विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया गया, तथा
- बांसों का नीलामी, निविदा, निस्तार/बंसोड आदि के माध्यम से विक्रय नियमों, प्रावधानों तथा विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया गया।

7.3.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

निम्न अधिनियमों, नियमों आदि के प्रावधानों को लेखापरीक्षा के मापदण्ड के रूप में प्रयोग किया गया है:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियम;
- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न वनमंडलों की कार्य आयोजनाएँ;
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, एवं
- विभाग एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय जारी किये गये निर्देश, मार्गदर्शिकाएँ, मानक इत्यादि।

7.3.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

वानिकी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी 37 क्षेत्रीय वनमंडलों में 15 वनमंडलों[2] का चयन सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति से किया गया। क्रियान्वयन ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच के साथ ही वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि हेतु विभाग प्रमुख स्तर पर योजना निर्माण तथा राशियों के आबंटन संबंधी अभिलेखों को भी देखा गया । दिनांक 5 मई 2014 को हुए अंतर्गामी सम्मेलन में प्रमुख सचिव, वन विभाग के साथ लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं कार्य पद्धति पर चर्चा की गई। मसौदा प्रतिवेदन राज्य शासन एवं विभाग को 14 अगस्त 2014 को प्रेषित किया गया। दिनांक 16 सितम्बर 2014 को बर्हिगामी सम्मेलन हुआ जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों, निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा हुई। शासन का प्रतिनिधित्व प्रमुख सचिव, वन विभाग द्वारा किया गया तथा विभाग की ओर से प्र.मु.व.सं. तथा अ.प्र.मु.व.सं. उपस्थित हुए। बर्हिगामी सम्मेलन के दौरान तथा अन्य समयों पर प्राप्त उत्तरों को यथोचित कंडिकाओं में समाहित किया गया है।

---

[2] बस्तर, भानुप्रतापपुर (पूर्व), बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कटघोरा, खैरागढ़, कोरिया, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, सुकमा, सूरजपुर एवं सरगुजा।

7.3.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारियां एवं अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु वन विभाग के सहयोग को अभिस्वीकृत करता है।

7.3.7 बिगड़े बांस वनों पर किया गया व्यय

राज्य में बिगड़े बांस वनों के विकास एवं वृद्धि हेतु राज्य शासन ने एक विशिष्ट मद ''6724-बिगड़े बांस वनों का पुनरोद्धार'' का प्रावधान किया है। 2008-09 से 2013-14, की अवधि में विभाग ने बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य पर राशि ₹ 219.60 करोड़ का व्यय किया जिसका विवरण निम्न **तालिका 7.2** में दिया गया हैः

तालिका 7.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य का कुल योजनागत बजट	कुल योजनागत व्यय	बिगड़े बांस वनों के उपचार हेतु आवंटन	किया गया व्यय	बिगड़े बांस वनों पर किया गया व्यय कुल योजनागत व्यय के प्रतिशत के रूप में
2008-09	230.21	202.03	21.44	21.33	10.56
2009-10	231.70	215.16	25.77	25.78	11.98
2010-11	237.34	212.7	28.83	28.81	13.54
2011-12	281.94	265.49	42.52	42.08	15.85
2012-13	334.97	307.39	48.91	48.68	15.84
2013-14	440.28	431.96	53.66	52.92	12.25
योग	**1,756.44**	**1,634.73**	**221.13**	**219.60**	

(स्रोतः अ.प्र.मु.व.सं.(विकास/योजना)द्वारा संधारित प्रपत्र 7)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2008-09 एवं 2013-14 के मध्य विभाग का योजनागत व्यय राशि 1,634.73 करोड़ था जिसमें से बांस वनों के उपचार पर राशि ₹ 219.60 करोड़ का व्यय किया गया। कुल योजनागत व्यय में से बांस वनों के उपचार पर होने वाले व्यय का हिस्सा बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है तथा इस पर किया गया व्यय कुल योजनागत व्यय के 10.56 प्रतिशत से 15.85 प्रतिशत के मध्य था।

7.3.8 बांस का उत्पादन तथा उत्पादन पर किया गया व्यय

वर्ष 2008-09 से 2013-14 के मध्य राज्य में बांस के वास्तविक उत्पादन का विवरण निम्न **तालिका 7.3** में दिया गया हैः

तालिका 7.3

(मात्रा नोशनल टन[3] में)

वर्ष	औद्योगिक बांस[4]		व्यापारिक बांस		योग	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
2008-09	37933	35505	27866	23563	65799	59068
2009-10	38006	22334	36212	15902	74218	38236
2010-11	21606	18720	25151	12626	46757	31346
2011-12	20573	22117	15587	15899	36160	38016
2012-13	19575	19426	17445	14776	37020	34202
2013-14	11009	17074	16072	11009	27081	28083

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 को छोड़कर विभाग उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि 2008-09 से 2013-14 की अवधि में बांस के उत्पादन में गिरावट आई है, 2008-09 में 59,068 नोशनल टन (नो.ट.) बांस का उत्पादन हुआ जबकि 2013-14 में 28,083 नो.ट. बांस का उत्पादन हुआ, अर्थात उक्त अवधि में उत्पादन में 52 प्रतिशत की गिरावट आई।

वर्ष 2008-09 से 2013-14 की अवधि में विभाग ने बांस के उत्पादन पर राशि ₹ 73.89 करोड़ का व्यय किया जिसका विवरण तालिका 7.4 में दिया गया है:

तालिका 7.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	आवंटन	व्यय
2008-09	15.20	14.51	11.25
2009-10	16.22	12.36	10.31
2010-11	15.20	10.72	8.67
2011-12	13.85	13.85	12.12
2012-13	13.85	12.69	11.48
2013-14	22.15	21.61	20.06
योग	**96.47**	**85.74**	**73.89**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

7.3.9 बांस के राजकीय व्यापार से राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2013-14 की अवधि में बांस के राजकीय व्यापार से राजस्व की प्रवृत्ति का विवरण **तालिका 7.5** में दिया गया है:

---

[3] बांस की मात्रा का मापन नोशनल टन में किया जाता है। एक नोशनल टन, 2400 रनिंग मी बांस के समतुल्य होता है।

[4] कटे हुए बांस को दो समूहो में वर्गीकृत किया जाता है- औद्योगिक एवं व्यापारिक। बांस के एक और दो मी. लम्बाई के छोटे तथा पतले बांस जिनका व्यवसायिक मूल्य कम होता है, को औद्योगिक बांस की श्रेणी में 20 नगों के बंडल में रखा जाता है। लम्बे बांसो को व्यापारिक बांसो में वर्गीकृत कर उनकी लम्बाई के अनुसार 3.30 मी, 4.60 मी, 5.50 मी, 6.50 मी एवं 7.30 मी की श्रेणी में काष्ठागारों में रखा जाता है।

तालिका 7.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	
	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति
2008-09	9.37	8.14
2009-10	10.65	10.72
2010-11	12.66	9.85
2011-12	12.65	11.71
2012-13	12.81	14.55
2013-14	14.24	15.08
योग	**72.38**	**70.05**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विभाग 2008-09, 2010-11 एवं 2011-12 में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। हमने देखा कि यद्यपि 2009-10 एवं 2012-13 में बांस का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा था किन्तु राजस्व प्राप्तियां लक्ष्य से अधिक थी। इसी प्रकार, 2011-12 में उत्पादन लक्ष्य से अधिक था किन्तु विभाग राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्व लक्ष्य के निर्धारण का बांस के उत्पादन से कोई संबंध नहीं है।

उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि विगत छः वर्षो में विभाग ने बांस के उत्पादन पर औसतन राशि ₹ 12.32 करोड़ का वार्षिक व्यय किया जबकि बांस से होने वाली औसत वार्षिक आय मात्र ₹ 11.68 करोड़ था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने बिगड़े बांस वनों के उपचार, बांस रोपण, बांस के उत्पादन तथा विक्रय से संबंधित कई अनियमितताएं पाई जिनका विवरण अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

7.3.10 बिगड़े बांस वनों का उपचार

7.3.10.1 बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार कार्य का मूल्यांकन न किया जाना

कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार बिगडे बांस वनों के पुनरोद्धार (अतिव्यापी) कार्यवृत्त का उद्देश्य बांस भिर्रों की सफाई एवं भिर्रों में मिट्टी चढ़ाई द्वारा बिगड़े बांस वनो का पुनरोद्धार करना है जिससे बांस वनों की उत्पादकता बढ़ सके तथा ग्रामीणों एवं उद्योगों को बांस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। प्र.मु.व.सं. ने भी समस्त क्षेत्रीय अधिकारियो को निर्देशित किया था (जुलाई 2011) कि बिगड़े बांस वनों में कार्य किये जाने के चार वर्ष पश्चात एक राजपत्रित अधिकारी उसका मूल्यांकन करेगा और यदि क्षेत्र उत्पादन योग्य पाया जावे तो वहां पर बांस विदोहन किया जावे। अन्यथा, विफलता के कारणों को अभिलिखित करते हुए आवश्यक वानिकी[5] कार्य किये जायेगें।

---

5 वानिकी कार्यो के अंतर्गत वन में होने वाली समस्त गतिविधियां सम्मिलित है तथा रोपण कार्य, सफाई, पुनरोद्धार से संबंधित कार्य इत्यादि।

चौदह वनमंडलों[6] की बजट नस्तियों, प्रगति प्रतिवेदनों, परियोजना प्रतिवेदनों तथा भुगतान प्रमाणकों की नमूना जांच में हमने देखा कि वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में क्रमशः 30,984.818 हेक्टेयर तथा 39,416.803 हेक्टेयर बिगड़े बांस वन क्षेत्रों में बांस भिर्रा सफाई एवं भिर्रों मे मिट्टी चढ़ाई का कार्य कर उपचार किया जाकर क्रमशः राशि ₹ 9.81 करोड़ तथा ₹ 16.60 करोड़ का व्यय किया गया। प्रावधानानुसार, राजपत्रित अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्रों का मूल्यांकन कर तदानुसार प्रतिवेदित किया जाना चाहिये था कि वहां बांस का विदोहन किया जाना है अथवा अग्रेत्तर वानिकी कार्य किया जावेगा। जबकि हमने देखा कि उपचार के चार वर्ष पश्चात अर्थात 2012-13 एवं 2013-14 में

(उपचारित एवं अनुपचारित बिगड़े बांस वनों के तुलनात्मक चित्र)

उक्त वर्णित उपचारित क्षेत्रों का विभाग द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। अग्रेत्तर, वनमंडलों में उक्त उपचारित क्षेत्रों में बांस के विदोहन के संबंध में कोई योजना नहीं थी। अतः उपचार के चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी उपचारित क्षेत्र उत्पादन योग्य नहीं हो सका। उपचारों के परिणामों के मूल्यांकन में विभाग की निष्क्रियता के कारण उपचार की सफलता या विफलता का आंकलन नहीं किया जा सका। साथ ही, यह क्षेत्र उत्पादक क्षेत्रों में परिवर्तित नहीं हो सके और मूल्यांकन न होने के कारण उपचार की विफलता के कारणों तथा आगे किये जाने वाले वानिकी कार्यों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार कार्य का मूल्यांकन न किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 26.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ(***परिशिष्ट 7.1***).

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष से आंशिक रूप से सहमत होते हुए सूचित किया कि कुछ उपचारित क्षेत्रों में निरीक्षण का कार्य नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये पर उक्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया तथा कुल 70,401 हेक्टेयर उपचारित क्षेत्र में से 12,689 हेक्टेयर क्षेत्र को विदोहन योग्य पाया गया। इसमें से 926 हेक्टेयर क्षेत्र में विदोहन का कार्य किया गया है तथा शेष क्षेत्र में वर्तमान वर्ष में विदोहन करा लिया जावेगा। उत्तर स्वयमेव ही उपचार कार्य की निगरानी एवं मूल्यांकन में विभाग की विफलता की ओर इंगित करता है जिसके कारण कुल उपचारित क्षेत्र का मात्र 18 प्रतिशत ही विदोहन योग्य हो सका। साथ, 2008-09 में किये गये उपचार कार्य के कारण विदोहन योग्य हुए क्षेत्र में से मात्र 15 प्रतिशत क्षेत्र को ही विदोहित किया जा सका।

शासन बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु एक प्रभावशाली प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकता है जिससे उपचारित क्षेत्र की

---

6 बस्तर, भानुप्रतापपुर (पूर्व), बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कटघोरा, खैरागढ़, कोरिया, नारायणपुर, रायगढ़, सुकमा, सूरजपुर एवं सरगुजा।

उत्पादकता का आंकलन हो सके एवं तदानुसार उन क्षेत्रों में अग्रेतर वानिकी कार्य अथवा विदोहन कार्य लिया जा सके।

7.3.10.2 अपलेखित कूपों में बांस भिर्रों का उपचार न किया जाना

प्र.मु.व.सं ने निर्देशित किया था (जनवरी 2005) कि वानिकी दृष्टिकोण से ड्यू वर्ष में प्रत्येक बांस भिर्रे का उपचार अवश्यक किया जाना चाहिये। यदि उपचार कार्य नहीं किया गया तो बांस भिर्रे आपस में गुंथ जावेगें एवं कुछ समय पश्चात समाप्त हो जावेगें। अग्रेत्तर वन संरक्षक, जगदलपुर ने भी निर्देशित किया था (जुलाई 2005) कि अपलेखित बांस कूपों का उपचार कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार किया जावें।

बीजापुर एवं बस्तर वनमंडलों की बजट नस्तियों, कूप नियंत्रण पंजियों एवं कार्य आयोजनाओं की नमूना जांच में हमने पाया कि बीजापुर एवं बस्तर वनमंडलों में कार्य आयोजनाओं के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः 74 कक्षों के 16,239 हेक्टेयर बांस वन क्षेत्र (वर्ष 2006-07 से 2010-11) तथा 20 कक्षों के 5185.826 हेक्टेयर बांस वन क्षेत्र (वर्ष 2008-09 से 2010-11) में बांस विदोहन का कार्य किया जाना था। बांस विदोहन एवं परिवहन पत्रकों के अनुसार उक्त 94 कक्षों में अलाभकारी होने के कारण विदोहन का कार्य नहीं किया गया। वनमंडलों ने वन संरक्षक, जगदलपुर को उक्त कूपों के अपलेखन का प्रस्ताव भेजा। वन संरक्षक ने कूपों को तदानुसार विदोहन से अपलेखित कर दिया। जबकि वनमंडलों की जानकारी थी कि उक्त कूपों को अपलेखित किया गया क्योंकि कूपों में बांस भिर्रों के बिगड़ जाने से कूप अलाभकारी हो गये थे। अतः वनमंडलों को बिगड़े बांस के भिर्रों में उपचार का कार्य करना था जिससे विदोहन योग्य बांसों को पुनः स्थापित किया जा सके। प्र.मु.व.सं. तथा वन संरक्षक, जगदलपुर के द्वारा निर्देशित किये जाने के बावजूद भी वनमंडलों ने 94 कूपों के 21,424.826 हेक्टेयर क्षेत्र में उपचार का कार्य नहीं किया। परिणामस्वरूप भिर्रे आपस में गुंथ कर समाप्त होने की अवस्था में आ गये होगें। साथ ही, विभाग बांस के उत्पादन से भी वंचित रह गया।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने सूचित किया कि अलाभकारी/अनुत्पादक होने के कारण उक्त क्षेत्रों में विदोहन का कार्य नहीं किया गया एवं तदानुसार अपलेखित किया गया। बजट की उपलब्धता के अनुसार बीजापुर वनमंडल के 5,185 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वनमंडलों ने अपलेखित कूपों में उपचार कार्य हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। यह अलाभकारी/अनुत्पादक बांस वन क्षेत्रों के उपचार की योजना बनाने में विभाग की विफलता को इंगित करता है।

शासन अलाभकारी/अनुत्पादक बांस कूपों के समय से उपचार किये जाने को सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है।

7.3.10.3 अयोग्य क्षेत्रों में बांस का उपचार किया जाना

(अ) सरगुजा एवं बस्तर के वन संरक्षकों द्वारा वानिकी कार्यो हेतु बनाये गये जॉब दरों में विहित प्रावधानों के अनुसार 20 डिग्री से अधिक ढ़लान वाले क्षेत्रों में बांस भिर्रों की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई का कार्य नहीं किया जाना चाहिये।

पाँच[7] नमूना परीक्षित वनमंडलों की बजट नस्तियों का अवलोकन करने पर हमने दखा कि 2009-10 एवं 2013-14 के मध्य बस्तर एवं सरगुजा के वन संरक्षकों ने 121 कक्षों

[7] बीजापुर, दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, सुकमा एवं कोरिया।

के 28,837.187 हेक्टेयर बांस वन क्षेत्र में उपचार कार्य हेतु राशि ₹ 13.13 करोड़ का आवंटन किया। कक्ष इतिहासों एवं परियोजना प्रतिवेदनों की अग्रेत्तर जाँच में देखा गया कि कार्य किये गये 126 कक्षों का कुल क्षेत्रफल 32,981.882 हेक्टेयर था जिसमें से 20,687.314 हेक्टेयर क्षेत्र की ढलान 30 डिग्री[8] से अधिक तथा शेष 12,294.598 हेक्टेयर क्षेत्र की ढलान 30 डिग्री से कम थी। वनमंडलों ने 28,837.187 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांस का उपचार कार्य कर राशि ₹ 13.14 करोड़ का व्यय किया जिसका विवरण निम्न **तालिका 7.6** में वर्णित है:

तालिका 7.6

वनमंडल का नाम	कार्य की अवधि	उपचार क्षेत्र (हे.)	व्यय (₹ लाख में)	30 डिग्री से अधिक ढलान का क्षेत्र (हे.)	30 डिग्री से अधिक ढलान वाले क्षेत्र पर व्यय (₹ लाख में)
बीजापुर	2011-12 से 2013-14	2,350.144	105.26	1,483.624	65.60
दन्तेवाड़ा	2009-10 से 2011-12	7,047.940	223.52	4,537.441	142.91
कोरिया	2009-10 से 2012-13	5,530.692	268.18	3,287.374	160.29
बस्तर	2011-12 से 2013-14	1,646.841	86.98	910.880	48.12
सुकमा	2009-10 से 2011-12	12,261.570	629.91	6,323.270	313.66
	योग	**28,837.187**	**1313.85**	**16,542.589**	**730.58**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 28,837.187 हेक्टेयर क्षेत्र, जिसमें उपचार कार्य किया जाकर राशि ₹ 13.14 करोड़ का व्यय किया गया, में से 16,542.589 हेक्टेयर क्षेत्र का ढलान 30 डिग्री से अधिक था। तथापि, वनमंडलों ने उस 16,542.589 हेक्टेयर क्षेत्र में भी उपचार कार्य कर राशि ₹ 7.31 करोड़ का व्यय किया। इस प्रकार, वनमंडलों ने अयोग्य क्षेत्रों में कार्य कर राशि ₹ 7.31 करोड़ का व्यय किया जो कि अनियमित है।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने सूचित किया कि बिगड़े बांस वनों के उपचार का कार्य भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं में विहित प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। वन संरक्षकों द्वारा तय की गई जॉब दरों में उल्लेख होने मात्र से किसी भी कार्य पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि बिगड़े बांस वनों का पुनरोद्धार कार्य करते समय कार्य आयोजना के प्रावधानों के साथ-साथ क्षेत्रीय वन संरक्षकों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किये गये प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

(ब) कार्य आयोजनाओं में विहित प्रावधानों के अनुसार बांस पुर्नस्थापन कार्यवृत्त में ऐसे क्षेत्र शामिल किये जावेगे जिनमें 50 से 100 बिगड़े बांस भिर्रे प्रति हेक्टेयर हो जिससे बिगड़े बांस क्षेत्रों का उपचार कर अच्छा बांस प्राप्त हो तथा स्थानीय ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

---

[8] यद्यपि प्रावधान के अनुसार 20 डिग्री से अधिक ढाल पर कार्य करने का प्रतिबंध है, किन्तु कक्ष इतिहासों में क्षेत्रों का वर्गीकरण 10 डिग्री तक, 10 से 30 डिग्री, 30 से 40 डिग्री तथा 40 डिग्री से अधिक के अनुसार किया गया है। अतः 30 डिग्री को आधार मान कर गणना की गई है।

पाँच[9] नमूना परीक्षित वनमंडलों की वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि की बजट नस्तियों का अवलोकन करने पर हमने देखा कि बस्तर, बिलासपुर एवं रायपुर वृत्तों के वन संरक्षकों ने 43 कक्षों के 5,552.972 हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार हेतु राशि ₹ 2.88 करोड़ का आवंटन किया तथा वनमंडलों ने उपचार कार्य पर राशि ₹ 2.88 करोड़ का व्यय किया। हांलाकि, कक्षों के कक्ष इतिहासों तथा वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं के अनुशीलन में हमने देखा कि 4,751.012 हेक्टेयर वन क्षेत्र बांस भिर्रों से विहीन था। ऐसे क्षेत्रों में उपचार कार्य किया जाना कार्य आयोजना के प्रावधानों के विपरीत था। अतः ऐसे क्षेत्रों में उपरोक्त कार्य कर किया गया व्यय राशि ₹ 2.42 करोड़ परिहार्य व्यय था (***परिशिष्ट 7.2***)।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने सूचित किया कि उपरोक्त उपचारित क्षेत्रों का राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में देखा गया कि उपचारित क्षेत्रों में काफी मात्रा में बांस के भिर्रे उपलब्ध है (प्रति हेक्टेयर 47 भिर्रे से 400 भिर्रे) तथा बांस विहीन क्षेत्र नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि वनमंडलों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजनाओं में ऐसे बिगड़े बांस वन क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है जिन्हें उपचार की आवश्यकता है एवं तदानुसार कार्य आयोजनाओं में उपचार श्रेणियों का गठन किया गया है। उपरोक्त वर्णित क्षेत्र बिगड़े बांस वन क्षेत्र में वर्गीकृत नहीं है। क्षेत्र का कार्य आयोजनाओं में बिगडे बांस वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण न किया जाना सिद्ध करता है कि उक्त क्षेत्र बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार हेतु उपचार योग्य नहीं था।

शासन कार्य आयोजना के प्रावधानों तथा विभागीय निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर विचार कर सकता है जिससे बिगड़े बांस वन क्षेत्र का बांस के स्थायी विकास हेतु प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

7.3.10.4 विभागीय निर्देशों के विपरीत बांस का उपचार किया जाना

विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों (1999 एवं अक्टूबर 2012) के अनुसार गुंथे हुए बांस के भिर्रों में सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई का कार्य नवम्बर से फरवरी माह के मध्य ही किया जाना चाहिए। जिन प्रकरणों में परियोजना प्रतिवेदन देर से स्वीकृत हुआ हो, कार्य मार्च माह तक कर लिया जाना चाहिए।

दो[10] नमूना परीक्षित वनमंडलों के वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के बांस वनों के उपचार से संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में हमने देखा कि वन संरक्षक, बस्तर ने 69 कक्षों के 11,489.387 हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े बांस वनों के उपचार हेतु राशि ₹ 4.72 करोड़ का आवंटन दिया (अक्टूबर 2011, नवम्बर 2011 एवं मई 2012)। बांस उपचार कार्य के परियोजना प्रतिवेदनों एवं प्रमाणकों की नमूना जांच में हमने देखा कि 33 कक्षों के 6,237.124 हेक्टेयर क्षेत्र में 6,50,891 बांस भिर्रों की सफाई का कार्य माह मार्च, मई एवं जून में किया जाकर राशि ₹ 2.19 करोड़ का व्यय किया जिसका विवरण निम्न **तालिका 7.7** में दिया गया हैः

---

9 बस्तर, बीजापुर, धमतरी, गरियाबंद एवं कटघोरा।

10 बस्तर एवं बीजापुर।

तालिका 7.7

वनमंडल	वर्ष	कक्षों की संख्या	उपचारित क्षेत्र (हे.)	निर्देशों में विहित माहों के अतिरिक्त माहों में उपचारित भिर्रों की संख्या	किया गया व्यय (₹ लाख में)
बस्तर	2011-12	01	222.226	3,675	4.47
बीजापुर	2011-12	03	639.036	57,614	24.22
	2012-13	29	5,375.862	5,89,602	190.00
योग		33	6,237.124	6,50,891	218.69

अतः विभागीय निर्देशों में विहित माहों के अतिरिक्त माहों में 6,50,891 बांस के भिर्रों के उपचार कार्य पर किया गया राशि ₹ 2.19 करोड़ का व्यय अनियमित है।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने सूचित किया कि बिगड़े बांस वनों के उपचार का कार्य विभागीय परिपत्र (अक्टूबर 2012) में प्रावधानित समयावधि के अनुसार अक्टूबर से मार्च माह के बीच में ही किया गया है। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि कार्य के भुगतान प्रमाणकों में स्पष्ट उल्लेख है कि कार्य का सम्पादन मार्च से जून के मध्य किया गया है।

शासन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकता है जिससे उपचार कार्य के विहित समयावधि में तथा प्रभावी ढंग से सम्पादन को सुनिश्चित किया जा सके।

7.3.10.5 उच्च दरों पर बांस भिर्रों की सफाई का कार्य किया जाना

वन संरक्षक विभिन्न वानिकी कार्यो हेतु जाब दरों का निर्धारण करता है। इन जॉब दरों तथा प्रचलित मजदूरी दरों के आधार पर विभिन्न वानिकी कार्यो के सम्पादन हेतु भुगतान किया जाता है। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने बांस भिर्रों की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई के कार्यो का भुगतान करने के समय वन संरक्षकों द्वारा निर्धारित जॉब दरों के पालन न करने कई प्रकरण देखे जिनका विवरण अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

(अ) वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर ने 2 मी से अधिक व्यास के तथा 2 मी व्यास तक के भिर्रों में सफाई, भिर्रों के समीप ढाल की तरफ अपहिल खन्ती का निर्माण कर मिट्टी चढ़ाई, कटाई, बंधाई तथा अभिलेखन हेतु क्रमशः 0.20 तथा 0.12 मानव दिवस प्रति भिर्रों का जॉब दर निर्धारित किया (मार्च 2007)। अग्रेत्तर, वन संरक्षक ने उक्त दरों को संशोधित करते हुए 2 मी से अधिक व्यास के तथा 2 मी व्यास तक के भिर्रों में सफाई, भिर्रों में निंदाई/गुड़ाई (अपहिल खन्ती के निर्माण के स्थान पर) कर मिट्टी चढ़ाई, कटाई, बंधाई तथा अभिलेखन हेतु क्रमशः 0.36 तथा 0.27 मानव दिवस प्रति भिर्रों का जॉब दर निर्धारित किया (सितम्बर 2012)।

नारायणपुर एवं भानुप्रतापपुर (पूर्व) वनमंडलों की बजट नस्तियों की नमूना जांच में हमने देखा कि वन संरक्षक, कांकेर ने वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में 3,243.38 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस भिर्रों की सफाई कार्य हेतु राशि ₹ 1.64 करोड़ का आवंटन किया। परियोजना प्रतिवेदनों, भुगतान प्रमाणकों, प्रपत्र 7[11] एवं रोकड़ बही की अग्रेत्तर जांच में

[11] प्रपत्र 7 वनमंडल का व्यय पत्रक है जिसे माहवार संधारित किया जाता है।

हमने देखा कि 2,57,800 बांस भिर्रों की सफाई का कार्य 0.36 तथा 0.27 मानव दिवस प्रति भिर्रों का जॉब दर से किया गया तथा राशि ₹ 1.23 करोड़ का व्यय किया गया जबकि कार्य के परियोजना प्रतिवेदनों एवं प्रमाणकों के अनुसार सफाई का कार्य भिर्रों में निंदाइ/गुड़ाई के स्थान पर अपहिल खन्ती का निर्माण कर किया गया। अतः कार्य करने हेतु 0.20 तथा 0.12 मानव दिवस प्रति भिर्रों का जाब दर प्रयोग किया जाना चाहिये था।

(एक साफ एवं मिट्टी चढ़ाया गया बांस भिर्रा)

(एक अनुपचारित बिगड़ा बांस का भिर्रा)

अतः अपहिल खन्ती का निर्माण कर बांस भिर्रा सफाई का कार्य करने में वन संरक्षक द्वारा निर्धारित जाब दरों का पालन न किये जाने से राशि ₹ 62.68 लाख का अधिक व्यय हुआ (***परिशिष्ट 7.3***)।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने सूचित किया कि वन संरक्षक कांकेर द्वारा अगस्त 2007 में निर्धारित जॉब दरों को सितम्बर 2012 में कार्य अध्ययन किया जाकर संशोधित किया गया है इनमें से किसी भी जाब दरों में अपहिल खन्ती का उल्लेख नहीं है। संशोधन के दौरान केवल दरों में परिवर्तन किया गया, किये जाने वाले कार्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि कार्य अध्ययन प्रतिवेदन में ही उल्लिखित है कि पूर्व में प्रयोग की जाने वाली पद्धति में अपहिल खन्ती का निर्माण होता था तथा जॉब दरों को संशोधित करने वाले आदेश में उल्लिखित किया गया है कि कार्य अपहिल खन्ती कि स्थान पर निंदाई/गुड़ाई द्वारा कराया जावेगा जिस हेतु नवीन दरें प्रयोज्य होगी। वास्तविक रूप से कराये गये कार्य हेतु वन संरक्षक द्वारा निर्धारित सही दरों का अनुपालन नहीं किया गया।

(ब) वन संरक्षक, बस्तर ने 2.5 मी तक तथा 2.5 मी से अधिक व्यास के बांस भिर्रों में सफाई तथा मिट्टी चढ़ाई कार्य हेतु क्रमशः 0.18 तथा 0.25 मानव दिवस प्रति भिर्रों का जॉब दर निर्धारित किया (2002)।

चार[12] वनमंडलों की बजट नस्तियों एवं परियोजना प्रतिवेदनों की नमूना जांच में हमने देखा कि 2009-10 एवं 2012-13 के मध्य वनमंडलों ने 40,372.837 हेक्टेयर क्षेत्र में 39,29,284 बांस के भिर्रों में सफाई का कार्य करते हुए राशि ₹ 12.13 करोड़ का व्यय किया। भुगतान प्रमाणकों, प्रपत्र 7 एवं रोकड़ बही की अग्रेत्तर जांच में हमने देखा कि भिर्रों की सफाई का कार्य वन संरक्षक द्वारा 2.5 मी तक तथा 2.5 मी से अधिक व्यास के बांस भिर्रों हेतु निर्धारित क्रमशः 0.18 तथा 0.25 मानव दिवस प्रति भिर्रा के स्थान पर 0.20 एवं 0.27 मानव दिवस प्रति भिर्रा की जॉब दर पर किया गया। स्पष्टतः

---

12 बस्तर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा एवं सुकमा।

वनमंडलाधिकारियों ने वन संरक्षक द्वारा निर्धारित जॉब दरों का पालन न करते हुए उच्चतर दरों पर कार्य कराया जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.26 करोड़ का अधिक व्यय हुआ (***परिशिष्ट 7.4***)।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने सूचित किया कि वन संरक्षक, बस्तर द्वारा निर्धारित दरों में मिट्टी चढ़ाई का कार्य सम्मिलित नहीं था जिसके लिये पृथक से 0.02 मानव दिवस का प्रावधान किया गया है। तदानुसार कार्य का सम्पादन कर भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि मिट्टी चढ़ाई का कार्य बांस भिर्रों की सफाई के कार्य में पहले से ही शामिल था जिसके लिये 0.18 एवं 0.25 मानव दिवस प्रति भिर्रा की दर नियत थी। साथ ही यह भी देखा गया कि 2011-12 में सुकमा वनमंडल में वन संरक्षक, बस्तर ने समान कार्य हेतु 0.18 एवं 0.25 मानव दिवस प्रति भिर्रा की दर से कार्य का परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत किया था।

(स) वन संरक्षक, रायपुर ने 1.5 मी तक तथा 1.5 मी से अधिक व्यास के बांस भिर्रों में सफाई तथा मिट्टी चढ़ाई कार्य हेतु क्रमशः 0.1 तथा 0.2 मानव दिवस प्रति भिर्रा का जॉब दर निर्धारित किया (2011-12)।

गरियाबंद वनमंडल की बजट नस्तियों एवं परियोजना प्रतिवेदनों की नमूना जांच में हमने देखा कि वनमंडल ने वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में 4,141.960 हेक्टेयर क्षेत्र में 4,32,333 बांस भिर्रों की सफाई का कार्य करते हुए राशि ₹ 1.58 करोड़ का व्यय किया। भुगतान प्रमाणकों, प्रपत्र 7 एवं रोकड़ बही की अगेत्तर जांच में हमने देखा कि भिर्रों की सफाई का कार्य वन संरक्षक द्वारा 1.5 मी तक तथा 1.5 मी से अधिक व्यास के बांस भिर्रों हेतु निर्धारित क्रमशः 0.1 तथा 0.2 मानव दिवस प्रति भिर्रा के स्थान पर 0.18 एवं 0.28 मानव दिवस प्रति भिर्रा की जॉब दर पर किया गया। स्पष्टतः वनमंडलाधिकारी ने वन संरक्षक द्वारा निर्धारित जॉब दरों का पालन न करते हुए उच्चतर दरों पर कार्य कराया जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 62.63 लाख का अधिक व्यय हुआ।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने सूचित किया कि कार्य वन संरक्षक, रायपुर द्वारा निर्धारित जॉब दरों (मार्च 2004) पर ही कराया गया। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि वनमंडल द्वारा कार्य 1.5 मी तक 1.5 मी से 2 मी तथा 2 मी से अधिक व्यास के बांस भिर्रों हेतु क्रमशः 0.18, 0.28 तथा 0.37 मानव दिवस प्रति भिर्रा की दर पर कराया गया जबकि इन दरों को वन संरक्षक द्वारा 2011-12 में संशोधित कर दिया गया और 1.5 मी तक तथा 1.5 मी से अधिक व्यास के बांस भिर्रों में सफाई तथा मिट्टी चढ़ाई कार्य हेतु क्रमशः 0.1 तथा 0.2 मानव दिवस प्रति भिर्रा का जॉब दर निर्धारित किया।

7.3.10.6 बिगड़े बांस भिर्रों के उपचार के दौरान विभाग द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न किया जाना।

प्र.मु.व.सं. ने बांस भिर्रों की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई कार्य हेतु मानव दिवसों का निर्धारण किया (सितम्बर 2013)। इसके अंतर्गत 1.5 मी से अधिक व्यास के तथा 1.5 मी व्यास तक के भिर्रों में सफाई, भिर्रों के समीप ढ़ाल की तरफ अपहिल खन्ती का निर्माण कर मिट्टी चढ़ाई, कटाई, बंधाई तथा अभिलेखन हेतु क्रमशः 0.25 तथा 0.15 मानव दिवस प्रति भिर्रा का दर निर्धारित किया।

पांच[13] नमूना परीक्षित वनमंडलों की बजट नस्तियों, परियोजना प्रतिवेदनों एवं भुगतान प्रमाणकों की जांच में हमने देखा कि वनमंडलों ने 8,761.287 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बिगड़े बांस वनों का उपचार किया जिसके अंतर्गत 1.5 मी तक व्यास के 5,35,613 बांस भिर्रों तथा 1.5 मी से अधिक व्यास वाले 1,80,674 बांस भिर्रों की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई का कार्य प्र.मु.व.सं. द्वारा निर्धारित किये गये मानको के स्थान पर वन संरक्षकों द्वारा निर्धारित जाब दरों पर किया गया। चूंकि, प्र.मु.व.सं. द्वारा दरों का निर्धारण किया जा चुका था, अतः वन संरक्षकों की जाब दरों का उपयोग नहीं किया जाना था। इस प्रकार, बांस भिर्रों की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई पर विभाग द्वारा निर्धारित मानव दिवसों का पालन न किये जाने से राशि ₹ 73.96 लाख का अधिक व्यय हुआ (***परिशिष्ट 7.5***)।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने सूचित किया कि संशोधित दरें जनवरी 2014 में स्वीकृत हुई तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को फरवरी 2014 में प्रेषित की गई। नई दरें जारी होने से पूर्व ही पुरानी दरों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका था। उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि संशोधित दरें सितम्बर 2013 में जारी की जा चुकी थी तथा अक्टूबर 2013 से लागू थी।

7.3.10.7 पहले से ही उपचारित क्षेत्र का उपचार किये जाने से परिहार्य व्यय।

प्र.मु.व.सं. ने निर्देशित किया था (जुलाई 2011) कि वे कक्ष जो कि बिगड़े वनों के पुनरोद्धार कार्यवृत्त[14] एवं बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार कार्यवृत्त दोनों में हो, उन्हें बिगड़े वनों के पुनरोद्धार कार्यवृत्त में ही होना माना जावेगा। यदि पूर्व वर्ष में इन कक्षों में बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार का कार्य किया गया हो तो उन्हीं कक्षों में बिगड़े वनों का पुनरोद्धार कार्य लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

- दो[15] नमूना परीक्षित वनमंडलों की बजट नस्तियों, प्रगति प्रतिवेदनों, रोपण प्रतिवेदनों एवं कार्य आयोजनाओं की नमूना जांच में हमने देखा कि 2010-11 एवं 2012-13 के मध्य पांच कक्षों के कुल क्षेत्र 1,261.743 हेक्टेयर में से 1,244.315 हेक्टेयर में बांस भिर्रों सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया गया। पुनः यह उपचार कार्य चार वर्ष तक नहीं किया जाना चाहिये था। किन्तु हमने देखा कि 2012-13 में उन्हीं कक्षों में पिछला कार्य आरम्भ होने के दो वर्ष भीतर ही पुनः 876.192 हेक्टेयर क्षेत्र में दोबारा उपचार का कार्य किया गया। यह स्पष्टतः इंगित करता है कि इन कक्षों के 856.664 हेक्टेयर क्षेत्र में वनमंडलों द्वारा कार्य होने के बाद पुनः कार्य किया जाकर राशि ₹ 45.11 लाख का व्यय किया गया।

---

13 भानुप्रतापपुर (पूर्व), कटघोरा, कोरिया, नारायणपुर एवं रायगढ़।

14 बिगड़े वनों का पुनरोद्धार कार्यवृत्त के अंतर्गत ऐसे कक्ष आते है जिनमें विरल वन, रिक्त स्थान तथा बिगड़े वन क्षेत्र होते है। ऐसे क्षेत्र का उपचार करते समय रिक्त स्थान में रोपण तथा विरल वन क्षेत्र में उपलब्ध जड़ भंडार की ड्रेसिंग, अंगीकरण, सुरक्षा एवं संरक्षण का कार्य किया जाता है।

15 बीजापुर एवं खैरागढ़।

- दो[16] नमूना परीक्षित वनमंडलों की बजट नस्तियों, प्रगति प्रतिवेदनों, रोपण प्रतिवेदनों एवं कार्य आयोजनाओं की नमूना जांच में हमने देखा कि 2008-09 एवं 2009-10 में दो कक्षों के कुल क्षेत्र 597.882 हेक्टेयर में से 403.67 हेक्टेयर में बांस रोपण का कार्य किया गया। जबकि, 2009-10 एवं 2010-11 में उन्हीं कक्षों में 482.245 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस भिर्रा सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया गया। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उक्त कक्षों में कम से कम 288.033 हेक्टेयर क्षेत्र को दोबारा उपचारित किया जाकर राशि ₹ 9.75 लाख का व्यय किया गया।

चूंकि पहले से चल रहे उपचार कार्य प्रगति पर थे, अतः उनके पूर्ण होने तथा मूल्यांकित होने के पूर्व नये उपचार कार्य प्रारंभ करने की काई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार पहले से ही उपचारित क्षेत्र का पुनः उपचार कर किया गया व्यय राशि ₹ 54.86 लाख परिहार्य व्यय था (***परिशिष्ट 7.6***)।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने सूचित किया कि बिगड़े वनों के पुनरोद्धार कार्यवृत्त एवं बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार कार्यवृत्त भिन्न-भिन्न कार्यवृत्त है। बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य, बिगड़े वनों के सुधार के साथ किया जा सकता है किन्तु बिगड़े वनों के सुधार का कार्य, बिगड़े बांस वनों के सुधार के साथ नहीं किया जा सकता। साथ ही, बांस रोपण का कार्य रिक्त स्थानों में किया गया है तथा उसके साथ बिगड़े बांस वनों के सुधार का कार्य नहीं किया गया है। यह क्षेत्र बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार कार्यवृत्त के अंतर्गत आगे के वर्षो में ड्यू थे। इस प्रकार, कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का उपचार कार्य किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि प्र.मु.व.सं. के निर्देशों के अनुसार उपचारित क्षेत्रों को पुनः उपचार हेतु नहीं लिया जाना है। यदि पिछला उपचार विफल था, तो विफलता के कारणों को अभिलिखित करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेने के बाद कार्य किया जाना चाहिये था जोकि होना नहीं पाया गया।

7.3.10.8 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बांस वनों का उपचार

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि ऐसे क्षेत्र जहां नक्सल समस्या के कारण बांस का विदोहन नहीं किया जा सका, वहां उसी वर्ष अथवा आगे के वर्षो में बिना किसी समस्या के उपचार का कार्य किया गया जिसका विवरण निम्नानुसर हैः

- 2008-09 एवं 2012-13 के मध्य तीन[17] नमूना परीक्षित वनमंडलों के 10 कक्षों के 2,232.490 हेक्टेयर क्षेत्र में नक्सल उग्रवाद के कारण बांस का विदोहन नहीं किया जा सका अथवा कटे बांसों का परिवहन नहीं किया जा सका। जबकि उसी क्षेत्र में 2008-09 एवं 2013-14 के मध्य बिगड़े बांस वनों के उपचार का कार्य किया जाकर राशि ₹ 84.27 लाख का व्यय किया गया।
- 2008-09 एवं 2012-13 के मध्य दो[18] नमूना परीक्षित वनमंडलों के 25 कक्षों के 6,283.61 हेक्टेयर क्षेत्र में नक्सल उग्रवाद के कारण बांस का विदोहन नहीं किया जा सका। जबकि उसी क्षेत्र में 2009-10 एवं 2011-12 के मध्य

---

16 दन्तेवाड़ा एवं गरियाबंद।

17 बीजापुर, नारायणपुर एवं सुकमा।

18 दन्तेवाड़ा एवं सुकमा।

मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य किया जाकर राशि ₹ 1.27 करोड़ का व्यय किया गया।

उपरोक्त कार्यो पर किया गया राशि ₹ 2.11 करोड़ का व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि ग्रामीणों ने नक्सल भय के कारण विदोहन हेतु वन के अंदर जाने से ही मना कर दिया था। अग्रेत्तर, ऐसे क्षेत्र में किया गया उपचार निष्फल रहेगा क्योंकि नक्सल समस्या के कारण विभाग उपचार के परिणामों का दोहन नहीं कर सकेगा। अतः बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य तथा मृदा एवं जल संरक्षण कार्य पर किया गया व्यय राशि ₹ 2.11 करोड़ संदिग्ध/निष्फल व्यय है।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने सूचित किया कि यदि क्षेत्र में नक्सल समस्या खत्म हो जाती है तो वहां पर विदोहन का कार्य कराया जा सकता है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप क्षेत्र में वानिकी कार्य करवाये गये है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे स्पष्ट नहीं होता कि जब ग्रामीणों ने नक्सल भय के कारण बांस विदोहन हेतु वन में जाने से मना कर दिया तो ऐसे क्षेत्र में कार्य का सम्पादन किस प्रकार कराया गया।

7.3.11 बांस रोपण

7.3.11.1 बांस रोपणों की सफलता का मूल्यांकन करने मे विभाग की विफलता।

वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं में विहित प्रावधानों के अनुसार रोपण के पश्चात पांच वर्षो तक प्रतिवर्ष पौधों की लम्बाई एवं कालर गोलाई का माप किया जावेगा तथा मूल्यांकन हेतु रोपण पंजियों में दर्ज किया जावेगा। यदि रोपण की सफलता में कोई संदेह है तो इसके संभावित कारणों को रोपण पंजियों में अभिलिखित किया जावेगा। प्र.मु.व.सं ने भी निर्देशित किया था (मार्च 2013) कि वनमंडल रोपण के पश्चात चार वर्षो तक प्रतिवर्ष अप्रैल एवं अक्टूबर माह में पौधों की गणना करेगा। रोपणों का मूल्यांकन अन्य वृत्तों के वन संरक्षक, वनमंडलांधिकारी, उपवनमंडलाधिकारी एवं परिक्षेत्राधिकारी की टीम द्वारा किया जावेगा।

तेरह[19] नमूना परीक्षित वनमंडलों के रोपण प्रतिवेदनों की नमूना जांच में देखा गया कि वर्ष 2008-09 एवं 2013-14 के मध्य की अवधि में 184 कक्षों के 10,375.096 हेक्टेयर क्षेत्र में 45,08,477 बांस के पौधों का रोपण किया जाकर राशि ₹ 28.26 करोड़ का व्यय किया गया (***परिशिष्ट 7.7***)। पुनः बांस रोपणों की रोपण पंजियों का अवलोकन किये जाने पर देखा गया कि वनमंडलाधिकारियों ने कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप बांस रोपणों का मूल्यांकन नहीं किया क्योकि पंजियों में पौधो की लम्बाई एंव कालर गोलाई का इंद्राज होना नहीं पाया गया। अग्रेत्तर, हमने देखा कि क्षेत्रीय अधिकारियों ने पौधों की गणना के संबंध में दिये गये विभागीय निर्देश को भी पालन नहीं किया। साथ ही, विभाग रोपणों के मूल्यांकन की प्रक्रिया की निगरानी करने में विफल रहा। इस कारण लेखापरीक्षा के दौरान रोपणों की सफलता तथा इन रोपणों के भविष्य में सामान्य पातन श्रेणी में शामिल होने की जांच नहीं की जा सकी।

---

19 बस्तर, भानुप्रतापपुर (पूर्व), बीजापुर, दन्तेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कटघोरा, खैरागढ़, कोरिया, रायगढ़, रायपुर, सूरजपुर एवं सरगुजा।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से आंशिक रूप से सहमत होते हुए उत्तर दिया कि नमूना परीक्षित वनमंडलों में रोपण पंजिया प्रस्तुत नहीं की जा सकी अथवा अधूरी पंजियां प्रस्तुत की गई। यहां पर इंगित किये गये समस्त रोपणों का निरीक्षण किया गया तथ रोपणों की प्रगति को पंजियों में उच्च अधिकारियों की अभ्युक्तियों के साथ दर्ज कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान केवल 10 रोपण पंजियां ही प्रस्तुत की गई। साथ ही, प्रस्तुत पंजियों में भी आवश्यक जानकारियों का अभाव है। अग्रेत्तर रोपण पंजियों में प्रावधानों के अनुरूप कालर गोलाई की प्रविष्टि करने हेतु कालम ही नहीं है।

शासन, रोपणों की प्रगति की प्रभावी निगरानी हेतु कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप रोपण पंजी का सही प्रारूप जारी करने तथा उसका संधारण सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है।

7.3.11.2 बांस रोपणों हेतु अनुपयुक्त स्थलों का चयन किया जाना।

वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं में विहित प्रावधानों के अनुसार ऐसे रोपणों को सफल माना जावेगा जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक पौधे जीवित होगे।

वनमंडलाधिकारी, कोरिया की बजट नस्तियों, रोपण पंजियों एवं कार्य आयोजना की नमूना जांच में देखा गया कि 2008-09 एवं 2010-11 के मध्य तीन कक्षों के 150 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण हेतु वन संरक्षक, सरगुजा ने राशि ₹ 22.77 लाख का आवंटन किया। वनमंडल ने इन तीन क्षेत्रों में रोपण का कार्य किया तथा राशि ₹ 22.51 लाख का व्यय किया जिसका विवरण निम्न **तालिका 7.8** में दिया गया है:

तालिका 7.8

(₹ लाख में)

कक्ष क्र.	रोपण क्षेत्रफल (हे.)	रोपण वर्ष	रोपित पौधों की संख्या	आवंटन	व्यय
197	50.00	2008-09	20,000	7.09	6.92
198	50.00	2009-10	20,000	7.77	7.72
199	50.00	2010-11	20,000	7.91	7.87
योग	**150.00**		**60,000**	**22.77**	**22.51**

कक्ष इतिहासों एवं कार्य आयोजना की जांच में हमने देखा कि उपरोक्त कक्ष प्रवरण सह सुधार कार्यवृत्त में थे जिनका घनत्व 0.5 से अधिक था। उक्त स्थलों के संयुक्त भौतिक

(कक्ष क्रमांक 197 का रोपण क्षेत्र)

(कक्ष क्रमांक 198 का रोपण क्षेत्र)

सत्यापन के दौरान हमने देखा कि कक्षों में अधिक मात्रा में जड़ भंडार उपलब्ध था तथा पुनरोत्पादन अच्छी स्थिति में था। उपरोक्त वर्णित रोपणों में 10 से 15 प्रतिशत पौधे ही जीवित थे तथा जीवित पौधों की ऊंचाई तीन से चार फीट के मध्य थी। रोपण हेतु अनुपयुक्त स्थल का चयन किये जाने से केवल 10 से 15 प्रतिशत पौधे जीवित बच सके। साथ ही, जीवित पौधों का विकास नहीं हो सका। इस प्रकार, किया गया रोपण असफल था तथा उन पर किया गया राशि ₹ 22.51 लाख का व्यय निष्फल व्यय था।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि वनमंडलाधिकारियों ने रोपणों का निरीक्षण किया है तथा उनके प्रतिवेदन के अनुसार पौधों का जीवितता प्रतिशत 46 प्रतिशत से अधिक था तथा जीवित पौधों का ऊचाई लगभग दो मी. तक थी। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान रोपण का जीवितता प्रतिशत 10 से 15 प्रतिशत के मध्य था तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन विभागीय अधिकारियों द्वारा बनाया एवं सत्यापित किया गया था।

7.3.11.3 राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत बांस रोपण हेतु स्थल का गलत चयन

राष्ट्रीय बांस मिशन का आरम्भ बांस रोपण तथा बिगड़े बांस वनों के पुर्नस्थापन के माध्यम से राज्य में बांसों का उत्पादन बढ़ाने हेतु किया गया था। राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत 2009-10 एवं 2013-14 के मध्य राशि ₹ 11.32 करोड़ का व्यय करते हुए 7,874 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण का कार्य किया गया। वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं में विहित प्रावधानों के अनुसार ऐसे रोपण को सफल माना जावेगा जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक पौधे जीवित होगे।

नमूना परीक्षित 15 वनमंडलों की बजट नस्तियों, रोपण पंजियों एवं कार्य आयोजना की नमूना जांच में हमने देखा कि तीन[20] वनमंडलों में 2007-08 एवं 2011-12 के मध्य तीन कक्षों के 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण हेतु राशि ₹ 30.145 लाख का आवंटन किया गया। वनमंडलों ने तीनों स्थलों पर रोपण का कार्य करते हुए राशि ₹ 29.05 लाख का व्यय किया। अग्रेत्तर, उक्त स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षक के दौरान निम्न अनियमितताएं परिलक्षित हुई जिनका विवरण निम्न **तालिका 7.9** में वर्णित किया गया है:

तालिका 7.9

वनमंडल	कक्ष क्र.	रोपण क्षेत्र (हे.)	रोपण वर्ष	रोपित पौधे	आवंटन (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)
भानुप्रतापपुर (पूर्व)	1039	50	2011-12	20,000	7.80	7.80
भौतिक सत्यापन में देखा गया कि 2011-12 में रोपित 20,000 पौधों में से मात्र चार से पांच प्रतिशत पौधे ही जीवित थे।						
सूरजपुर	217	50	2008-09	20,000	6.42	5.97
कक्ष इतिहास एवं कार्य आयोजना के अनुसार उपरोक्त कक्ष का घनत्व 0.5 से अधिक था तथा कक्ष में पर्याप्त जड़ भंडार था। भौतिक सत्यापन में देखा गया कि मात्र आठ से 10 प्रतिशत पौधे ही जीवित थे।						
कोरिया	328	100	2007-08	40,000	15.93	15.28
भौतिक सत्यापन में देखा गया कि मात्र दो से तीन प्रतिशत पौधे ही जीवित थे तथा स्थल मुरूम एवं कड़ी चट्टानों से आच्छादित था।						
योग		**200**		**80,000**	**30.15**	**29.05**

[20] भानुप्रतापपुर (पूर्व), कोरिया एवं सूरजपुर।

(सूरजपुर वनमंडल के कक्ष क्रमांक 217 में बांस रोपण स्थल)

भौतिक सत्यापन के दौरान हमने देखा कि उपरोक्त स्थल सघन वनों, मुरूम तथा कड़ी चट्टानों से आच्छादित होने के कारण रोपण हेतु उपयुक्त नहीं थे। दो से 10 प्रतिशत की जीवितता रोपणों की असफलता को सिद्ध करता है तथा उपरोक्त रोपणों पर किया गया व्यय राशि ₹ 29.05 लाख निष्फल व्यय है।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि उपरोक्त तीन में से भानुप्रतापपुर (पूर्व) एवं कोरिया से संबंधित दो रोपण सफल है क्योंकि वहां जीवितता 40 प्रतिशत से अधिक है। सूरजपुर से संबंधित प्रकरण जिसमें पौधों की जीवितता 22 प्रतिशत है, में कार्यवाही की जावेगी। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि भौतिक सत्यापनों के अनुसार उपरोक्त तीनों स्थलों पर जीवितता प्रतिशत दो से 10 प्रतिशत तक था तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन विभागीय अधिकारियों द्वारा बनाया एवं सत्यापित किया गया था।

7.3.12 बांस का उत्पादन

7.3.12.1 बांस वनों का विदोहन न किया जाना

प्र.मु.व.सं. द्वारा जारी निर्देशों (जनवरी 2005) के अनुसार बांस क्षेत्रों का कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाना चाहिये क्योंकि यदि उपचार नहीं किया गया तो बांस के भिर्रे आपस में गुंथ जावेगें और जल्द ही समाप्त हो जावेगें। मु.व.सं. (उत्पादन) ने भी निर्देशित किया था (जून 2008) कि बांस उत्पादन कूपों को अलाभकारी होने अथवा अन्य किसी आधार पर अपलेखित नहीं किया जावेगा। अलाभकारी होने पर बांस कूपों को कार्य आयोजना में विहित प्रावधानों के अनुरूप वानिकी उपचारों से उपचारित किया जावेगा।

सात[21] वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं एवं उत्पादन प्रतिवेदनों की नमूना जांच में हमने देखा कि 2008-09 एवं 2013-14 के मध्य 333 कूपों, जिनमें 1.91 लाख हेक्टेयर बांस वन क्षेत्र उत्पादन हेतु ड्यू था, में विदोहन कार्य नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप, विभाग राशि ₹ 39.10 करोड़ मूल्य के 1,61,507.622 नो.ट. बांस का विदोहन नहीं कर सका जिसका विवरण निम्न **तालिका 7.10** में दिया गया है:

---

21 बस्तर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा, खैरागढ़, नारायणपुर, रायगढ़ एवं रायपुर।

तालिका 7.10

वनमंडल का नाम	अवधि	ड्यू कूप जिनका विदोहन नहीं हुआ		उत्पादन की अनुमानित मात्रा (नो.ट.)	अविदोहित मात्रा का अनुमानित मूल्य (₹ करोड़ में)
		संख्या	क्षेत्रफल (हे.)		
दन्तेवाड़ा	2008-09 से 2011-12	36	22,507.600	6,672.00	4.41
खैरागढ़	2008-09 से 2012-13	35	9,943.413	10,738.89	3.68
रायपुर	2011-12 से 2012-13	03	445.523	516.810	0.27
नारायणपुर	2008-09 से 2012-13	21	13,817.14	12,753.220	10.15
बीजापुर	2008-09 से 2013-14	163	98,475.520	1,10,489.534	17.94
बस्तर	2008-09 से 2013-14	50	34,824.176	20,337.348	2.65
रायगढ़	2008-09 से 2013-14	25	11,097.002	कार्य आयोजना में विवरण न होने से अनुमानित उत्पादन एवं उसके मूल्य की गणना नहीं की जा सकी।	
योग		333	1,91,110.374	1,61,507.622	39.10

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि 333 बांस कूपों में 1.91 लाख हेक्टेयर बांस क्षेत्र का ड्यू हो जाने के बाद भी एक से पांच वर्षो तक विदोहन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, बांस के भिर्रे आपस में गुंथ कर समय के साथ समाप्त हो जावेगें।

बस्तर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा एवं नारायणपुर वनमंडलों ने सूचित किया कि क्षेत्र में नक्सल समस्या के कारण 258 कूपों में विदोहन कार्य नहीं किया गया। हांलाकि हमने देखा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बांस निकालने में बार-बार विफल होने के बावजूद भी शासन/विभाग स्तर पर ऐसे क्षेत्रों से बांस निकालने हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई। साथ ही विभाग द्वारा अलाभकारी होने के कारण बस्तर, खैरागढ़ एवं रायपुर के 50 अविदोहित कूपों मे कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप वानिकी उपचार किया जाना नही पाया गया। ड्यू बांस कूपों के विदोहन के प्रति विभाग की उदासीनता के फलस्वरूप न केवल राशि ₹ 39.10 करोड़ तक के राजस्व की क्षति हुई बल्कि 1.91 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र के मूल्यवान बांस वनों की भी क्षति हुई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि रायगढ़ एवं रायपुर को छोड़कर शेष वनमंडलों में नक्सल समस्या के कारण विदोहन नहीं किया गया। रायगढ़ एवं रायपुर में वित्तीय रूप से अलाभकारी होने के कारण विदोहन का कार्य नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि बांसो का विदोहन न होने के परिणामस्वरूप बांस भिर्रे गुंथ कर नष्ट हो जावेगें तथा बांस वनों को स्थायी क्षति पहुंचेगी। अग्रेत्तर, वित्तीय रूप से अलाभकारी होने के कारण कोई कूप अपलेखित नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रकरणों में उत्पादकता बढ़ाने हेतु यथानुरूप वानिकी उपचार किये जाने चाहिये। हांलाकि ऐसा होना नहीं पाया गया।

शासन/विभाग को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बांस विदोहन हेतु दीर्घ अवधि की योजना बनानी चाहिये तथा वित्तीय रूप से अलाभकारी बांस कूपों में यथेष्ट वानिकी उपचार करना चाहिये।

7.3.12.2 बांस के अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में भिन्नताएं

कार्य आयोजना में विहित प्रावधानों के अनुसार उत्पादन क्षेत्र में 0.1 हेक्टेयर के नमूना प्लाट बनाकर प्रत्येक प्लाट में आने वाले भिर्रों की गणना की जावेगी जिसके आधार पर बांस के अनुमानित उत्पादन की गणना की जावेगी। इस प्रकार पूरे कूप में होने वाले बांस के अनुमानित उत्पादन की गणना की जाती है। नमूना परीक्षित वनमंडलों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने देखा कि अनुमानों एवं वास्तविक उत्पादन में अत्यधिक भिन्नताएं थी। भिन्नताओं एवं उसके प्रभावों का वर्णन नीचे दी गई कंडिकाओं में किया गया है।

(अ) चार[22] वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं एवं उत्पादन प्रतिवेदनों की नमूना जांच में हमने देखा कि 2008-09 एवं 2013-14 के मध्य 83 कूपों के 39,103.901 हेक्टेयर के विदोहन से 41,543.339 नो.ट. बांस का उत्पादन अनुमानित था। हांलाकि, अनुमानों के विरूद्ध मात्र 24,996.802 नो.ट. बांस का ही उत्पादन हुआ। कूपवार वास्तविक उत्पादन अनुमानों की अपेक्षा 20 से 93 प्रतिशत तक कम था जिसका विवरण निम्नांकित **तालिका 7.11** में दिया गया है:

तालिका 7.11

वनमंडल का नाम	अवधि	कूपों की संख्या/क्षेत्रफल (हे.)	अनुमानित उत्पादन (नो.ट.)	वास्तविक उत्पादन (नो.ट.)	कमी (नो.ट.)	कमी की मात्रा (प्रतिशत में)
खैरागढ़	2008-09 से 2012-13	32/ 8,792.941	22,364.63	14,262.405	8,451.222	20 से 83
बस्तर	2008-09 से 2012-13	12/ 10,009.742	2,254.712	883.263	1,371.449	30 से 93
बीजापुर	2008-09 से 2013-14	21/ 10,926.268	11,075	7,058.295	4,016.705	22 से 67
भानुप्रतापपुर (पूर्व)	2009-10 से 2012-13	18/ 9,374.950	5,500	2,792.839	2,707.161	22 से 60
योग		**83/ 39,103.901**	**41,543.339**	**24,996.802**	**16,546.537**	

स्पष्टतः उपरोक्त कूपों में उत्पादन अनुमानों से काफी कम था। यद्यपि वनमंडलों द्वारा अनुमानों के विरूद्ध 93 प्रतिशत तक कम उत्पादन प्रतिवेदन किया गया, विभाग ने इतने अधिक अंतर के संबंध में कोई निगरानी अथवा जांच नहीं की। यदि विभाग ने उत्पादन में अत्यधिक अंतर की निगरानी/जांच की होती तो राशि ₹ 4.71 करोड़ तक की राजस्व की कम प्राप्ति से बचा जा सकता था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि नक्सल समस्या के कारण बांस के उत्पादन तथा परिवहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके फलस्वरूप कम उत्पादन हुआ है। उत्तर स्वयमेंव ही इंगित करता है कि विभाग में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित बांस कूपों में बांस विदोहन हेतु योजना का अभाव है तथा मूल्यवान बांस वनों को समय के साथ नष्ट होने हेतु छोड़ दिया गया है।

---

22 बस्तर, भातुप्रतापपुर (पूर्व), बीजापुर और खैरागढ़।

(ब) खैरागढ़ एवं रायगढ़ वनमंडलों में औद्योगिक बांस के उत्पादन एवं विक्रय से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में हमने देखा कि 2011-12 में बांस का अनुमानित उत्पादन 3,093.41 नो.ट. था तथा इतनी ही मात्रा को निविदा के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित किया गया था। हांलाकि वास्तविक उत्पादन 4,802.574 नो.ट. था तथा वास्तविक उत्पादन अनुमानों से 32 से 107 प्रतिशत तक ज्यादा था। निविदा में विहित शर्तो के अनुसार क्रेता निविदा में उल्लिखित मात्रा तथा उससे 25 प्रतिशत अधिक तक की मात्रा को क्रय करने हेतु बाध्य था। परिणामस्वरूप, अनुमानों एवं वास्तविक उत्पादन में अत्यधिक अंतर के कारण मात्रा 4,113.834 नो.ट. औद्योगिक बांस का ही निविदा दरों पर विक्रय हो सका। औद्योगिक बांस के उत्पादन के गलत अनुमान के कारण 688.740 नो.ट. बांस का विक्रय 2011-12 में नहीं हो सका। उक्त बची हुई मात्रा में से 669.149 नो.ट. बांस का 2012-13 में कमतर दरों पर विक्रय करना पड़ा जिससे शासन को राशि ₹ 25.22 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई (**परिशिष्ट 7.8**)। यदि अनुमानों एवं वास्तविक उत्पादन में 25 प्रतिशत तक का भी अंतर रहता, तो उक्त राजस्व की कम प्राप्ति से बचा जा सकता था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि खैरागढ़ वनमंडल में नक्सल समस्या के कारण विदोहित बांस का समय से परिवहन, बंधाई एवं थप्पीकरण समय से पूर्ण नहीं हो सका। अतः बांस को विक्रेता को नहीं दिया जा सका तथा अगले वर्षो में उनका विक्रय किया गया। रायगढ़ में औद्योगिक बांस का उत्पादन अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया क्योंकि जंगली हाथियों द्वारा बांसों को क्षति पहुंचाये जाने के कारण विभाग को क्षतिग्रस्त व्यापारिक बांसों को औद्योगिक बांसो को क्षति पहुंचाये जाने के कारण विभाग को क्षतिग्रस्त व्यापारिक बांसों को औद्योगिक बांसों में रखने को बाध्य होना पड़ा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। खैरागढ़ में उत्पादन के अत्यधिक बढ़ जाने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया। रायगढ़ में सभी कूपों में अनुमानों से अधिक उत्पादन हुआ था। साथ ही, व्यापारिक बांसों के उत्पादन में मात्र 13 प्रतिशत की कमी आयी थी जबकि औद्योगिक बांस का उत्पादन 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया।

शासन के राजस्व हितों को सुरक्षित करने हेतु, शासन अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में अत्यधिक अंतरों पर अंकुश रखने के लिए एक मानदंड आधारित प्रणाली बनाने पर विचार कर सकता है।

7.3.12.3 कूपों से बांसागारों में परिवहन के दौरान औद्योगिक बांस की मात्रा में अनुमत्य सीमा से अधिक कमियां

कार्य आयोजनाओं के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक बांसों को एक एवं दो मी. के बंडलों में बांधकर कूपों से बांसागारों में परिवहित किया जावेगा। विभाग ने परिवहन तथा बांसगारों में उतारने के दौरान होने वाली टूट-फूट हेतु परिवहित मात्रा के दो प्रतिशत तक की कमी को मान्य किया है (अक्टूबर 1975)। साथ ही यह भी निर्देशित किया था कि टूटे बांसों से 0.75 मी तथा 1.25 मी. के अर्द्ध बंडल बनाये जावेगे। दो प्रतिशत से अधिक की कमी को हानि मानते हुए उस पर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

तीन[23] वनमंडलों में कूप पूर्णता प्रतिवेदनों की नमूना जांच में हमने देखा कि 2010-11 से 2012-13 के मध्य 67 बांस कूपों से 2,740.116 नो.ट. औद्योगिक बांस बांसागारों में भेजा गया जिसके विरूद्ध मात्र 2,610.466 नो.ट. औद्योगिक बांस ही बांसागारों में प्राप्त हुआ। परिवहन के दौरान दो प्रतिशत की दर से अनुमत्य टूट-फूट 54.804 नो.ट. थी जिसके विरूद्ध वास्तविक टूट-फूट 129.64 नो.ट. हुई जिसका विवरण **तालिका 7.12** में वर्णित है:

तालिका 7.12

वनमंडल का नाम	अवधि	कूपों की संख्या	प्रेषित मात्रा (नो.ट.)	प्राप्त मात्रा (नो.ट.)	कमी (नो.ट.)	अनुमत्य कमी (नो.ट.)	अधिक कमी (नो.ट.)	हानि की राशि (₹ लाख में)
खैरागढ़	2010-11 से 2012-13	63	2620.40	2510.20	110.19	52.409	57.781	3.83
बस्तर	2011-12	1	72.966	57.316	15.65	1.46	14.19	0.37
भानुप्रतापपुर (पूर्व)	2012-13	3	46.75	42.95	3.80	0.935	2.865	0.23
योग		**67**	**2740.116**	**2610.466**	**129.64**	**54.804**	**74.836**	**4.43**

अतः परिवहन के दौरान 74.836 नो.ट. औद्योगिक बांस की हानि हुई। हमने यह भी देखा कि परिवहन के दौरान उक्त बांस की हानि के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि खैरागढ़ में 2011-12 एवं 2012-13 में कूपवार भेजी गई कुल मात्रा तथा प्राप्त हुई कुल मात्रा में कोई अंतर नहीं है जबकि 2010-11 में कमी विहित सीमा के भीतर है। बस्तर एवं भानुप्रतापपुर (पूर्व) में वसूली की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। खैरागढ़ के संबंध में शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चालानवार मात्राओं में कमी आई है। चालानों में बांस की मात्रा में आई कमी को किन्हीं अन्य दिनों अथवा महीनों के चालानों में प्राप्त बांस की अधिक मात्रा से पूर्ण नहीं किया जा सकता।

शासन को कूपों से बांसागारों में बांस के परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक कमी से बचने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिये।

बांस का विक्रय

7.3.13 औद्योगिक बांस के क्रेताओं द्वारा निविदा की शर्तों का पालन न किया जाना

औद्योगिक बांस के विक्रय हेतु निविदा[24] की शर्तो के अनुसार क्रेता सहमत मूल्य पर उल्लिखित मात्रा तथा अतिरिक्त 25 प्रतिशत मात्रा क्रय करने हेतु बाध्य होगा। शर्तो का

---

23 बस्तर, भानुप्रतापपुर (पूर्व) एवं खैरागढ़।

24 औद्योगिक बांस का औद्योगिक प्रयोजनों हेतु विक्रय प्र.मु.व.सं. कार्यालय द्वारा अग्रिम निविदा के माध्यम से किया जाता है जबकि व्यापारिक बांसों को निस्तार काष्ठागारों से ग्रामीणों को सीधे तथा विक्रय काष्ठागारों से नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाता है। बांस का मूल्य, विगत पांच वर्षो में प्राप्त औसत विक्रय मूल्य के आधार पर नियत किया जाता है।

पालन न होने की स्थिति में वन संरक्षक अनुबंध को समाप्त कर सुरक्षा निधि को राजसात कर सकेगा। अग्रेतर, यदि क्रेता अनुबंधित मात्रा तथा अतिरिक्त 25 प्रतिशत मात्रा क्रय करने से मना कर देता है और आगे की निविदाओं में वही मात्रा कम दरों पर विक्रित होती है, तो अंतर की राशि की वसूली उक्त क्रेता से की जावेगी।

बस्तर, खैरागढ़ एवं रायपुर वनमंडलों के औद्योगिक बांस के विक्रय से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में हमने देखा कि औद्योगिक बांस के क्रेताओं द्वारा निविदा में उल्लिखित शर्तो का पालन नहीं किया गया और न ही विभाग द्वारा शर्तो का अनुपालन करवाया गया जिसका विवरण निम्न **तालिका 7.13** में दिया गया हैः

तालिका 7.13

वनमंडल का नाम	वर्ष	लाट क्रमांक	लाट में प्रस्तावित मात्रा (नो.ट.)	अतिरिक्त मात्रा (नो.ट.) (25 प्रतिशत	कुल मात्रा (नो.ट.)	उत्पादित मात्रा (नो.ट.)	क्रेता द्वारा उठाई गई मात्रा (नो.ट.)
खैरागढ़	2009-10	डी 5	1,000	250	1,250	1,119.994	1,000
		डी 6	1,100	275	1,375	1,182.333	1,100
योग			2,100	525	2625	2,302.327	2,100
अतिरिक्त् मात्रा 202.327 नो.ट. (2302.327-2100) जिसका मूल्य ₹ 6.73 लाख था, को क्रेताओं द्वारा नहीं उठाया गया। उक्त बची हुई मात्रा में से 167.040 नो.ट. का विक्रय 2011-12 में ₹1,751 प्रति नो.ट. की दर से किया गय। जबकि शेष 35.287 नो.ट. बांस न तो विक्रय किया गया और न ही बांसागार में अवशेष रहा। परिणामस्वरूप, केवल राशि ₹ 3.01 लाख की ही प्राप्ति हो सकी। अतः क्रेताओं द्वारा विक्रय की शर्तो का पालन न किये जाने से राशि ₹ 3.72 लाख की राजस्व क्षति हुई।							
बस्तर	2008-09	जे-1	1,134	283.5	1417.5	1,249.751	994.314
	2010-11	जे 2 से जे -7	2,244.820	561.205	2,806.025	1,216.877	1,069
	2011-12	जे -2	40.168	10.042	50.21	71.835	24.674
		जे -3	200	50	250	151.466	57.316
		जे -4	116	29	145	64.835	40.033
	2012-13	जे -3	35	8.75	43.75	25.832	0.000
योग			3,769.988	942.497	4,712.485	2,780.596	2,185.337
शेष मात्रा 595.259 नो.ट. मूल्य ₹13.05 लाख था, क्रेताओं द्वारा उठाई नहीं गई। साथ ही, उक्त मात्रा न तो अगली निविदाओं में विक्रय की गई और न ही बांसागारों में उपलब्ध थी। परिणामस्वरूप, राशि ₹ 13.05 लाख की राजस्व क्षति हुई।							
रायपुर	2011-12	आर-1	826.706	206.677	1,033.383	959.718	826.706
विभाग क्रेता से निविदा की शर्तो का पालन करवा पाने में असमर्थ रहा जिससे 133.012 नो.ट. मात्रा नहीं उठ सकी। यद्यपि शेष मात्रा में से 75.523 नो.ट. को विभाग ने 2012-13 विक्रिता कर दिया, किन्तु अवशेष 57.489 नो.ट. बांस अभी भी बांसागार में अविक्रित पड़ा हुआ है तथा दो वर्षो से अविक्रित रहने के कारण अब उसके विक्रय की कोई संभावना नहीं है। परिणामस्वरूप, राशि ₹ 2.46 लाख का राजस्व प्राप्त नहीं हो सका।							
महायोग			6,699.694	1,674.174	8,370.868	6,042.641	5,112.043

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 6,699.694 नो.ट. बांस के विक्रय हेतु निविदा की गई थी तथा निविदा की शर्तो के अनुसार क्रेता 8,370.868 नो.ट. बांस उठाने हेतु बाध्य था। हांलाकि, उपरोक्त लाटों के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन 6042.641 नो.ट. था। यद्यपि, क्रेतागण उक्त उत्पादित मात्रा को उठाने हेतु बाध्य थे, किन्तु उन्होने मात्र 5,112.043 नो.ट. औद्योगिक बांस ही उठाया। इसके परिणामस्वरूप, शेष मात्रा के पुर्ननिविदा में विक्रय के साथ-साथ अभी तक अविक्रित बांस की गुणवत्ता में ह्रास के कारण राशि ₹ 19.23 लाख के राजस्व की क्षति हुई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि खैरागढ़ में नक्सल समस्या के कारण कटे हुए बांस का परिवहन, बंधाई एवं थप्पीकरण समय से नहीं किया जा सका।

इस कारण क्रेताओं को बांस नहीं दिया जा सका तथा उन्हें अगले वर्षो में विक्रित किया गया। बस्तर में 470.449 नो.ट. एवं 131.267 नो.ट. औद्योगिक बांस क्रमशः बंसोड़ों एवं निस्तारियों को उनकी मांग अनुसार प्रदाय किया गया तथा राशि ₹ 8.01 लाख वसूल किया गया। रायपुर में परिवहन में हुई देरी के कारण क्रेता को बांस नहीं दिया जा सका। शेष बांस बांसागार में है तथा उसके विक्रय के प्रयास किये जा रहे है। उत्तर मान्य नहीं है। खैरागढ़ एवं रायपुर में बांसों का परिवहन क्रमशः जून 2010 एवं जून 2012 में अर्थात अनुबंध की अवधि समाप्त होने (दिसम्बर 2010 एवं दिसम्बर 2012) से पूर्व पूर्ण हो चुका था। बस्तर में उक्त औद्योगिक बांस का बंसोड़ों एवं निस्तारियों को विक्रय प्रावधानों के विरूद्ध है क्योंकि इन बांसों का अग्रिम निविदा के माध्यम से पहले ही विक्रय किया जा चुका है। औद्योगिक बांस को उनके मूल्य से ₹ 5.04 लाख कम मूल्य पर बंसोड़ों एवं निस्तारियों, जिनके लिये औद्योगिक बांस उपयोगी नहीं है, को विक्रय करना इंगित करता है कि विभाग ने न ही शासन के राजस्व हितों का ध्यान रखा और न ही बंसोड़ों एवं निस्तारियों की आवश्यकताओं का ध्यान दिया।

शासन, विभाग एवं क्रेताओं द्वारा विक्रय की शर्तो का पालन सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकता है जिससे औद्योगिक बांस के विक्रय के दौरान अधिकतम राजस्व की वसूली को सुनिश्चित किया जा सके।

7.3.14 सारांश

विभाग बांस की प्रक्रियाओं को एक वाणिज्यिक रूप से लाभकारी उपक्रम के रूप चला पाने में असमर्थ रहा (राशि ₹ 70.05 करोड़ के राजस्व सृजन हेतु ₹ 219.60 करोड़ का व्यय किया जाना)। हमारे विचार से योजना को अत्यधिक समीक्षा की आवश्यकता है जिससे इसे लाभकारी बनाया जा सके। हमने देखा किः

- बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य का मूल्यांकन विभागीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा कार्य होने के चार वर्ष पश्चात नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उपचार की सफलता अथवा विफलता का आंकलन नहीं किया जा सका। अग्रेत्तर, बिगड़े वनों के सुधार का कार्य अयोग्य क्षेत्रों तथा पूर्व में उपचारित क्षेत्रों में किया गया। साथ ही, कोई भी उपचारित कक्ष उत्पादक कक्ष में परिवर्तित नहीं हो सका।
- क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा बिगड़े बांस के भिर्रों के उपचार कार्य हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन संरक्षकों द्वारा निर्धारित जाब दरों का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।
- अनुपयुक्त क्षेत्रों को बांस रोपण हेतु चयनित किया गया जिससे रोपण असफल रहे। विभाग कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप बांस रोपणों का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहा जिसके परिणामस्वरूप रोपणों की सफलता अथवा विफलता का आंकलन नहीं किया जा सका।
- विभाग औद्योगिक बांस के विक्रय की निविदा की शर्तो का अनुपालन नहीं करवा सका जिससे शेष मात्रा के पुर्ननिविदा में विक्रय के साथ-साथ अभी तक अविक्रित बांस की गुणवत्ता में ह्रास के कारण राजस्व क्षति हुई।

अन्य लेखापरीक्षा प्रेक्षण

7.4 उपचारित/कम उपचारित क्षेत्रों में वृक्षारोपण पर परिहार्य व्यय

कार्य आयोजना के अनुसार वृक्षारोपण उन क्षेत्रों में नहीं किया जावेगा जहां पर्याप्त जड़ भण्डार हो, चट्टानी क्षेत्र हो तथा 5 हे. से कम वृक्षारोपण का क्षेत्र उपलब्ध हो। प्र.मु.व.सं. ने (दिसम्बर 2010) निर्देशित किया था कि वृक्षारोपण ऐसे क्षेत्रों में लिया जावेगा जहां वन घनत्व 0.2 एवं उससे कम हो। वृक्षारोपण का कार्य वहां नहीं लिया जावेगा जहां कापिस देने वाली प्रजाति पर्याप्त हो तथा पुनरोत्पादन की क्षमता अधिक हो।

7.4.1 रायगढ़ वनमंडल द्वारा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के मध्य 31 कक्षों के 1,170.76 हे. में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। जिन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किया गया था उसमें से तीन कक्ष क्र. पी/805, 1261 एवं 1352 थे जिसमें क्रमशः 42.18, 41.904 एवं 50.149 हे. में वृक्षारोपण का कार्य संपादित कर राशि ₹ 6.25 लाख, ₹ 6.21 लाख एवं ₹ 7.30 लाख का व्यय किया गया। अग्रेतर जांच में (अक्टूबर 2012) देखा गया कि इन तीनों कक्षों का कुल क्षेत्रफल 422.292 हे. था। कुल 422.292 हे. में वनमंडल ने वर्ष 2003-04 एवं 2005-06 के मध्य 409.55 हे. में वृक्षारोपण कर लिया गया था, जिसका विवरण **तालिका 7.14** में वर्णित हैः

तालिका 7.14

कक्ष क्र.	कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे. में)	कार्य अवधि	उपचारित क्षेत्र (हे. में)
पी/805	83.456	2004-05 एवं 2005-06	49.55+41.00=90.55
पी/1261	65.347	2004-05	65
पी/1352	273.489	2003-04 एवं 2004-05	29+225=254
योग	**422.292**		**409.55**

चूंकि उक्त कक्षों में वृक्षारोपण हेतु और कोई क्षेत्र उपलब्ध नहीं थे एवं वृक्षारोपण के परियोजना प्रतिवेदनों में पूर्व के वृक्षारोपणों के असफल होने का कोई उल्लेख नहीं था, अतः इन कक्षों में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के मध्य किये गये वृक्षारोपणों पर व्यय राशि ₹ 19.76 लाख अनियमित था।

हमारे द्वारा इंगित (अक्टूबर 2012) किये जाने पर व.म.अ. रायगढ़ ने अपने उत्तर में कहा कि वर्ष 2004-05 में कक्ष क्र. 805 के 12.5 हे. में मात्र वृक्षारोपण किया गया एवं बाद के वर्षो में कोई भी वृक्षारोपण इस कक्ष में नहीं किया गया है। कक्ष क्र. 1261 में वर्ष 2004-05 में 13.66 हे. में वृक्षारोपण का कार्य किया गया एवं कक्ष क्र. 1352 में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में क्रमशः 29 हे. एवं 70.54 हे. में वृक्षारोपण किया गया। अतः वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में तीनों कक्षों के बचे हुए क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया गया। व.मं.अ. रायगढ़ का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वृक्षारोपण प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 में इन कक्षों के 409.55 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया तथा बाद के वृक्षारोपणों हेतु कोई क्षेत्र उपलब्ध नहीं थे।

7.4.2 व.म.अ. राजनांदगांव के बजट नस्तियों प्रपत्र-7 एवं कार्य आयोजना के नमूना जांच किये जाने पर हमने पाया कि (अप्रैल 2013) व.सं. दुर्ग ने (अक्टूबर 2011 एवं मई 2012) ने व.म.अ. राजनांदगांव को 354 हे. क्षेत्र में स्थल तैयारी एवं वृक्षारोपण हेतु राशि ₹ 60.60 लाख की राशि स्वीकृति दी। व.म.अ. द्वारा उक्त कार्य को वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में पांच कक्षों[25] में करते हुए राशि ₹ 60.60 लाख का व्यय किया। आगे अभिलेखों की जांच में हमने दो कक्षों में निम्न कमियां पाई;

(अ) वनमंडल, राजनांदगांव के स्वीकृत कार्य आयोजना अनुसार कक्ष क्र. 950 का कुल क्षेत्रफल 161.77 हे. था, जिसमें से कोई क्षेत्र अल्प/रिक्त वन क्षेत्र नहीं थे। कक्ष इतिहास अनुसार उक्त कक्ष का घनत्व 0.5 था एवं 135 हे. में काष्ठ का वृक्षारोपण पूर्व के वर्ष में किया गया, जो कि सफल वृक्षारोपण था। लेकिन वनमंडल ने पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध न होने के बावजूद वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के मध्य इस कक्ष में 150.77 हे. में 60,308 पौधें का रोपण कर राशि ₹ 25.75 लाख का व्यय किया।

(ब) वनमंडल, राजनांदगांव के स्वीकृत कार्य आयोजना अनुसार कक्ष क्र. 695 का कुल क्षेत्रफल 285.90 हे. था, जिसमें से वर्ष 2005 एवं 2012 के मध्य 275.13 हे. (वृक्षारोपण सहित 2,13,885 पौधों का रोपण 175 हे. में एवं वृक्षारोपण रहित 100.13 हे. में) उपचारित किया गया था। वनमंडल ने पुनः वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के मध्य 48,364 पौधों का रोपण 120.91 हे. में कर राशि ₹ 20.68 लाख का व्यय किया।

हमारे द्वारा इंगित (अप्रैल 2013) किये जाने पर व.म.अ. राजनांदगांव ने अपने उत्तर में कहा कि उक्त दोनो कक्ष पुर्नवास कार्यवृत्त में रखें गये है तथा वनों की स्थिति अनुरूप गैप वृक्षारोपण किया गया। कार्य आयोजना के प्रावधान अनुसर कार्य आवश्यक होने के कारण वृक्षारोपण का कार्य किया गया। व.म.अ. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्र.मु.व.सं. के निर्देशानुसार एवं कार्य आयोजना के प्रावधान अनुसार वृक्षारोपण का कार्य अल्प/रिक्त वनक्षेत्रों जिसकी घनत्व 0.2 से नीचे हो में ही किया जाना चाहिए। कक्ष क्र. 950 में पर्याप्त जड़ भण्ड़ार उपलब्ध थे एवं कक्ष का घनत्व 0.5 था अतः प्रावधानुसार क्षेत्र का उपचार वृक्षारोपण सहित से नहीं किया जाना था। कक्ष क्र. 695 के कुल क्षेत्रफल 285.92 हे. में से 275.13 हे. का उपचार वर्ष 2005 एवं 2012 के मध्य कर लिया गया था, जिसमें से 175 हे. में वृक्षारोपण सहित एवं 100.13 हे. में वृक्षारोपण रहित का कार्य किया गया।

7.4.3 व.म.अ. धमतरी के बजट नस्तियों प्रपत्र-7 एवं कार्य आयोजना के जांच में हमने पाया कि (अगस्त 2013) वनमंडल के स्वीकृति कार्य आयोजना अनुसार, कक्ष क्र. 50 का कुल क्षेत्रफल 363.704 हे. था तथा घनत्व 0.5 से 0.6 के बीच था। वृक्षारोपण प्रतिवेदन एवं प्रगति प्रतिवेदनों के जांच में पाया गया कि वर्ष 2007-08 एवं 2010-11 के मध्य इस कक्ष में 214.066 हे. में वृक्षारोपण का कार्य कर 85,826 पौधे रोपित किये गये एवं वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य 149.638 हे. में वृक्षारोपण रहित कार्य कर उपचारित कर क्रमशः राशि ₹ 23.61 लाख एवं राशि ₹ 9.69 लाख का व्यय किया गया। यह स्पष्ट है कि कक्ष का संपूर्ण भाग वृक्षारोपण सहित एवं रहित से उपचारित कर लिया गया था। अतः क्षेत्र में और भी कोई उपचार करने योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं थे। पर वृक्षारोपण प्रतिवेदन एवं प्रगति प्रतिवेदन के अग्रेतर जांच में यह पाया गया कि वर्ष

[25] 535, 536, 607, 695 एवं 950।

2011-12 में कक्ष के 120 हे. क्षेत्र में 84,000 पौधों को रोपित कर राशि ₹ 42.88 लाख का व्यय किया गया (**परिशिष्ट 7.9**)। चूंकि कक्ष का संपूर्ण क्षेत्र का उपचार कार्य वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 से शुरू हुआ और वर्ष 2012-13 में भी जारी था, अतः क्षेत्र का और उपचार करने की कोई जरूरत नहीं थी। और बाद के उपचार कार्य के परियोजना प्रतिवेदन में पूर्व कार्य के परिणाम का कोई उल्लेख नहीं था, तो वनमंडल द्वारा उपचारित क्षेत्र का पुनः उपचार कर राशि ₹ 42.88 लाख का व्यय अनियमित था।

हमारे द्वारा इंगित (अगस्त 2013) किये जाने पर व.म.अ. धमतरी ने अपने उत्तर (अगस्त 2013) में कहा कि पूर्व में 149.638 हे. में वृक्षारोपण रहित का कार्य खराब होने तथा क्षेत्र में अत्याधिक जैविक दबाव होने के कारण क्षेत्र के घनत्व में कमी आने के कारण सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर 120 हे. में वृक्षारोपण का कार्य किया गया ताकि क्षेत्र वन आच्छादित हो। व.म.अ. धमतरी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य वृक्षारोपण रहित का कार्य जारी था। अगर 2011-12 में क्षेत्र खराब हो गये थे और वृक्षारोपण का कार्य करना आवश्यक था तो पूर्व के किये गये कार्यो को जारी रख कर व्यय नहीं किया जाना था। साथ ही 120 हे. में वृक्षारोपण कार्य लेने से पहले पूर्व के कार्य के असफल होने से संबंधित कोई भी अभिलेख विभाग ने लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है वृक्षारोपण के क्षेत्र चयन करने के पूर्व कार्य आयोजना के प्रावधानों तथा प्र.मु.व.सं. द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अतः अनुपयुक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कर राशि ₹ 1.09 करोड़[26] का व्यय परिहार्य था।

हमने उक्त के संबंध में शासन/विभाग (जनवरी 2014) को सूचित किया उनके द्वारा इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2014)।

7.5 काष्ठ के राजकीय व्यापार में अनियमित व्यय

मु.व.सं. ने (अक्टूबर 2010) ने काष्ठ के विक्रय पर होने वाला व्यय का मानक उस वर्ष प्राप्त होने वाला काष्ठ हेतु 14.5 मानव दिवस प्रति घन मीटर निर्धारित किया। इस व्यय में काष्ठ के परिवहन पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।

व.सं. कांकेर के काष्ठ विदोहन प्रतिवेदन के नमूना जांच (सितम्बर 2012) में हमने पाया (सितम्बर 2012) कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में नारायणपुर एवं भानुप्रतापपुर (पश्चिम) वनमंडल द्वारा कोई भी वृक्ष विदोहन हेतु चिन्हांकित नहीं किया गया एवं न ही कोई वृक्ष का विदोहन किया गया। अग्रेतर जांच में उपरोक्त कार्य के स्वीकृति नस्ती का अवलोकन करने पर पाया गया कि व.सं. ने काष्ठ के राजकीय व्यापार के अंतर्गत दोनों वनमंडलों को उपरोक्त वर्षो के लिए ₹ 60.64[27] लाख का आबंटन किया। स्वीकृत राशि के विरूद्ध दोनों वनमंडलों ने ₹ 57.78[28] लाख का व्यय किया (***परिशिष्ट 7.10***)। चूंकि दोनो वनमंडलों ने विदोहन हेतु वृक्षों का चिन्हांकन कार्य नहीं किया था, अतः व.सं.

---

[26] रायगढ़- कक्ष क्र. पी/805-₹ 6.25 लाख, पी/1261-₹ 6.21 लाख और पी/1352-₹ 7.30 लाख राजनांदगावं - कक्ष क्र. 950-₹ 25.75 लाख, 695-₹ 20.68 लाख, धमतरी - कक्ष क्र. 50 - ₹ 42.88 लाख।

[27] नारायणपुर ₹ 13.42 एवं भानुप्रतापपुर (पश्चिम) ₹ 47.22 लाख

[28] नारायणपुर ₹ 12.49 एवं भानुप्रतापपुर (पश्चिम) ₹ 45.29 लाख

कांकेर को काष्ठ के राजकीय व्यापार मद के अंतर्गत आबंटन इन वनमंडलों को प्रदान नहीं किया जाना था। 30 जून की वानिकी वर्ष की समाप्ति के विदोहन प्रतिवेदन अनुसार एक भी वृक्ष का चिन्हांकन एवं विदोहन नहीं किया गया, पर वनमंडलों द्वारा राशि ₹ 57.78 लाख का व्यय इस मद में किया। अतः राशि ₹ 57.78 लाख का व्यय संदिग्ध/अनियमित प्रतीत होता है।

हमारे द्वारा इंगित (सितम्बर 2012) किये जाने पर व.सं. ने अपने उत्तर में कहा इस संबंध में दोनों वनमंडलों से उत्तर प्राप्त कर जानकारी दी जायेगी।

उक्त प्रकरण शासन/विभाग को सूचित (जनवरी 2014) किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2014)।

7.6 भू-संरक्षण कार्य पर निष्फल व्यय

कोरिया वनमंडल की कार्य आयोजना के कंडिका 11.7.1.3 अनुसार 25 प्रतिशत से ऊपर ढलान वाले क्षेत्रों में कोई खंती का निर्माण नहीं किया जायेगा क्योंकि ऐसे खंती निष्फल साबित होंगे।

व.मं.अ. कोरिया के स्वीकृति नस्ती, कार्य आयोजना, परियोजना प्रतिवेदनों, वृक्षारोपण प्रतिवेदन एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन के जांच में हमने पाया कि (जून 2012) व.सं. सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर ने 5,037.08 हे. में भू-संरक्षण कार्य हेतु राशि ₹ 186.37 लाख की स्वीकृति व.म.अ. कोरिया को प्रदान की (अक्टूबर 2011)। व.मं.अ. कोरिया ने पांच कक्षों[29] के 1457.69 हे. क्षेत्र में भू-संरक्षण का कार्य कर राशि ₹ 53.93 लाख का व्यय किया। आगे यह देखा गया कि वनमंडल के स्वीकृत कार्य आयोजना अनुसार इन पांच कक्षों के 665.50 हे. का क्षे 10 से 30 प्रतिशत ढलान वर्ग के थे। कार्य आयोजना के प्रावधानानुसार शेष 792.19 हे. का क्षेत्र 30 प्रतिशत के अधिक के ढलान वाले क्षेत्र था, जहां पर भू-संरक्षण का कार्य नहीं किया जाना था। लेकिन कार्य आयोजना के प्रावधान के विपरीत वनमंडल ने इन क्षेत्रों में कार्य कर राशि ₹ 29.19 लाख का व्यय किया।

हमारे द्वारा इंगित किये (जून 2012) में व.मं.अ., कोरिया ने उत्तर में कहा कि 30 प्रतिशत के ऊपर वाले ढलान क्षेत्रों में कोई भी खंती का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, सिर्फ 665.50 हे. जो कि 10 से 30 प्रतिशत ढलान वर्ग में आते है वहां पर 45,200 खंती का निर्माण कार्य किया गया। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि वनमंडल के व्यय प्रतिवेदनों अनुसार वनमंडल ने 1,457.69 हे. क्षेत्र में कार्य कर राशि ₹ 53.93 लाख का व्यय किया ना कि 665.50 हे. के लिए। अगर मात्र 665.50 हे. में ही खंती का निर्माण किया जाता तो कार्य के व्यय प्रतिवेदन में उतने क्षेत्र के अनुसार से व्यय परिलक्षित किया जाता, जो कि नहीं होना पाया गया।

हमने शासन/विभाग को (जनवरी 2014) में सूचित किया; उनके ओर से उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2014)।

[29] 274, 338, 134, 119 एवं 218

7.7 मनरेगा के अंतर्गत सड़क किनारे वृक्षारोपण के सुरक्षा एवं रखरखाव पर अधिक व्यय

छ.ग. वित्त संहिता, खण्ड 1 के नियम 10 अनुसार प्रत्येक विभाग प्रमुख का यह दायित्व होगा की वह अपने विभाग में मितव्ययिता का कड़ाई से पालन करे एवं वित्तीय नियंत्रण लागू करें। प्र.मु.व.सं. छत्तीसगढ़ ने संड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य हेतु व्यय मानकों का निर्धारण किया (सितम्बर 2011) जिसका विवरण **तालिका 7.15** में वर्णित हैः

तालिका 7.15

वर्ष	कार्य	दर प्रति कि.मी. प्रति 1000 पौधे (₹)
प्रथम/द्वितीय वर्ष	स्थल तैयारी/वृक्षारोपण	6,42,750
तृतीय वर्ष	सुरक्षा एवं रखरखाव	86,000
चतुर्थ वर्ष	सुरक्षा एवं रखरखाव	66,000
पंचम वर्ष	सुरक्षा एवं रखरखाव	28,750

कार्यलय वनमंडलाधिकारी (व.मं.अ.) धमतरी के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के बजट नस्तियों प्रपत्र-7 एवं प्रगति प्रतिवेदन के जांच में हमने पाया (अगस्त 2013) कि व.मं.अ. धमतरी के प्रस्ताव पर जिला पंचायत, धमतरी ने वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में 143.5 कि.मी. में सड़क किनारे वृक्षारोपण के तृतीय वर्ष सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य हेतु राशि ₹ 10.05 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की (दर ₹ 6.79 लाख से 7.03 लाख प्रति कि.मी. प्रति 2000 पौधों पर)। प्र.मु.व.सं. के अधिकतम व्यय नार्मस अनुसार तीसरे वर्ष के सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य ₹ 2.47 करोड़ का व्यय किया जाना चाहिए था। जबकि वनमंडल ने उक्त कार्य हेतु राशि ₹ 5.67 करोड़ का व्यय किया। अतः वृक्षारोपण प्रतिवेदन तैयार करने तथा लोक धन के व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय निंयत्रण की अनदेखी करने से राशि ₹ 3.20 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

हमारे द्वारा इंगित (अगस्त 2013) किये जाने पर व.मं.अ. ने उत्तर में कहा विभागीय मद के अपेक्षा मनरेगा के अंतर्गत सड़क किनारे वृक्षारोपण की जीवितता एवं वृद्धि अच्छी होती है क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत सीमेंट फेंसिंग पोल, गुड़ाई, बेहतर उर्वरक, कीटनाशक एवं सुरक्षा पर संलग्न मजदूर प्रति कि.मी. का प्रावधान होता है। विभागीय मद के अंतर्गत इन मदों में प्रावधान नहीं होते। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय मद में भी सड़क किनारे वृक्षारोपण के अंतर्गत सिमेंट फेंसिंग पोल, गुड़ाई, उर्वरक, कीटनाशक एवं सुरक्षा का प्रावधान होता है। आगे विभागीय मद के अंतर्गत सड़क किनारे वृक्षारोपण सफल रहे है। अतः वृक्षारोपण का कार्य विभागीय मापदण्डों अनुसार किया जाना चाहिए था।

हमने शासन/विभाग को सूचित (जनवरी 2014) किया गया; उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2014)।

7.8 सौर ऊर्जा फेंसिंग कार्य को अधिक दर स्वीकृत करने से अधिक व्यय

छ.ग. वित्त संहिता खण्ड 1 के नियम 9 अनुसार, प्रत्येक शासकीय सेवक को लोक धन से राशि व्यय करने पर वहीं सतर्कता बरतनी चाहिए जो वह स्वयं के व्यक्तिगत धन के लिए करता है। सौर ऊर्जा बाड़ा (सौ.ऊ.बा.) वह बारबेड़ वायर फेंसिंग है जिसमें से विद्युत तरंग प्रवाह होती है ताकि हाथियों को बिना क्षति पहुंचाऐ उन्हे बिजली के सामान्य झटके दिये जा सके। इस यंत्र के तारों में विद्युत प्रवाह बैटरी के माध्यम से होता है, जो कि सोलर पैनल द्वारा उत्पन्न होता है।

व.मं.अ., सरगुजा (दक्षिण) एवं सरगुजा (उत्तर) के बजट नस्ती के जांच में हमने देखा कि समीपवर्ती ग्रामीणों को जंगली हाथियों के आंतक से बचाने हेतु विभाग ने जंगली हाथियों से प्रभावित क्षेत्रों में सौ.ऊ.बा. स्थापित करने का निर्णय लिया तथा इस संबंध में उक्त कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण फरवरी 2011 में किया गया। उपरोक्त कार्य हेतु मेसर्स क्राऊन सोलर पावर फेंसिंग लिमिटेड, हैदराबाद के द्वारा आपसी सहमति तथा न्यूनतम दर ₹ 1.37 लाख प्रति किलोमीटर होने के कारण निविदा मान्य करते हुए कार्यादेश जारी किया गया (मार्च 2011)। सरगुजा (दक्षिण) एवं सरगुजा (उत्तर) वनमंडल में क्रमशः 23.27 कि.मी. एवं 63.50 कि.मी. का कार्य उक्त दर से कार्य कर संपादन किया गया (अक्टूबर 2011)। उ.व.मं. के भौतिक सत्यापन एवं कार्य संतुष्ट होने के बाद भुगतान किया गया।

व.मं.अ., सरगुजा (दक्षिण) एवं सरगुजा (उत्तर) के बजट फाईल एवं फार्म 7 के जांच (मई 2013) में हमने पाया कि प्र.मु.व.सं. (वन्यजीव), छ.ग. रायपुर (सितम्बर 2012) ने राज्य के पांच वनमंडलों[30] के 250 कि.मी. सौ.ऊ.बा. स्थापित करने हेतु 3.43 करोड़ का आबंटन प्रदान किया, जिसमें से सरगुजा (दक्षिण) एवं सरगुजा (उत्तर) वनमंडलों के 120 कि.मी. में सौ.ऊ.बा. हेतु ₹ 1.37 लाख प्रति कि.मी. की दर से राशि ₹ 1.65 करोड़ भी सम्मिलित थी। आगे हमने देखा कि व.मं.अ. सरगुजा (दक्षिण) (अक्टूबर 2012) ने इच्छुक फर्मों से सौ.ऊ.बा. स्थापित करने हेतु प्रस्ताव मांगे (अक्टूबर 2012)। मेसर्स क्राऊन सोलर पावर फेंसिंग लिमिटेड ने सौ.ऊ.बा. स्थापित करने हेतु 2011-12 के दर ₹ 1.37 लाख प्रति कि.मी. का प्रस्ताव दिया (अक्टुबर 2012)। उसी समय के दौरान व.स.(वन्यजीव), सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के निर्देशानुसार व.मं.अ. सरगुजा (पूर्व) ने सौ.ऊ.बा. स्थापित करने हेतु वनवृत्त के समस्त वनमंडलों की ओर से निविदा आमंत्रित किया (नवम्बर 2012)। चूंकि सौ.ऊ.बा. को स्थापित करने हेतु ₹ 1.37 लाख प्रति कि.मी. दर निविदा आमंत्रण की समिति के एक सदस्य होने के बावजूद भी व.सं.(वन्यजीव) को सूचित नहीं किया। परिणामस्वरूप उक्त कार्य दर ₹ 1.80 लाख प्रति कि.मी. के दर से तय किया गया (दिसम्बर 2012)। अतः सरगुजा (दक्षिण) एवं सरगुजा (उत्तर) वनमंडल में सौ.ऊ.बा. कार्य पर राशि ₹ 51.08 लाख का अधिक व्यय हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2014) में शासन ने अपने उत्तर में कहा कि मेसर्स क्राऊन सोलर पावर फेंसिंग लिमिटेड, हैदराबाद वर्ष 2012-13 में 2011-12 के दर से कार्य करने के लिए तैयार था, लेकिन विभाग ने निविदा आमंत्रित (नवम्बर 2012) इस दृष्टि से किया था की पूर्व के वर्ष से कम दर प्राप्त हो। तीन फर्मो द्वारा निविदा में

[30] धरमजयगढ़, जशपुर, सरगुजा (पूर्व), सरगुजा (उत्तर) एवं सरगुजा (दक्षिण)।

शामिल हुई, जिसमें मेसर्स जी.के.एन्र्जी का दर ₹ 1.80 लाख प्रति कि.मी. सबसे कम था। अतः सौ.ऊ.बा. स्थापित करने हेतु तीनों फर्मों को ₹ 1.80 लाख प्रति कि.मी. की दर से करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग को पिछले वर्ष के दर से अधिक दर प्राप्त हुए। उपरोक्तानुसार विभाग को निविदा को खारिज कर मेसर्स क्राऊन सोलर पावर फेंसिंग लिमिटेड, से आपसी सहमति कर कार्य किया जाना चाहिए था। साथ ही अभिलेखों में उसी कार्य को कम दर पर एक फर्म द्वारा किये जाने के अपेक्षा उच्च दर स्वीकार करने हेतु कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं थें। अतः सौर ऊर्जा फेंसिंग कार्य पर अधिक व्यय से बचा जा सकता था।

वि कु. मोहन्ती

रायपुर
(बिजय कुमार मोहन्ती)
दिनांक 5 फरवरी 2015
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली
(शशि कान्त शर्मा)
दिनांक 18 फरवरी 2015
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-11

(संदर्भ कंडिका 1.8)

योजना बनाई गई इकाईयों के सूची

स.कं.	विभाग का नाम	इकाई का नाम	श्रेणी
1	वाणिज्यिक कर	स.आ.वा.क. I, संभाग I, रायपुर	A
2		स.आ.वा.क. III, संभाग I, रायपुर	A
3		वा.क.आ. वृत्त-I, रायपुर	A
4		स.आ.वा.क. IV, संभाग I, रायपुर	A
5		स.आ.वा.क.-V, संभाग II, रायपुर	A
6		स.आ.वा.क. VI, संभाग II, रायपुर	A
7		वा.क.आ.वृत्त-IX, रायपुर	A
8		स.आ.वा.क. VII, संभाग II, रायपुर	A
9		स.आ.वा.क.II, दूर्ग	A
10		स.आ.वा.क.(I), संभाग-I, बिलासपुर	A
11		वा.क.अ. संभाग-I, बिलासपुर	A
12		वा.क.अ.वृत्त-II, बिलासपुर	A
13		वा.क.अ., कोरबा	A
14		स.आ.वा.क., कोरबा	A
15		स.आ.वा.क., रायगढ़	A
16		वा.क.अ. वृत्त-I, रायगढ़	A
17		स.आ.वा.क., राजनांदगाँव	A
18		वा.क.अ., अम्बिकापुर	A
19		स.आ.वा.क. जगदलपुर	A
20		वा.क.अ. जांजगीर चांपा	A
21	वन	व.मं.अ., राजनांदगाँव	A
22		व.मं.अ.,खैरागढ़	A
23		व.मं.अ., उत्तर सरगुजा, अम्बिकापुर	A
24		व.मं.अ., दक्षिण सरगुजा, अम्बिकापुर	A
25		व.मं.अ., मनेन्द्रगढ़	A
26		व.मं.अ., धरमजयगढ़	A

27		व.मं.अ., कटघोरा	A
28		व.मं.अ., बिलासपुर	A
29		व.मं.अ., धमतरी	A
30		व.मं.अ., महासमुद	A
31		व.मं.अ., दंतेवाड़ा	A
32		व.मं.अ., कोरबा	A
33		व.मं.अ., सुकमा	A
34		संचालक, कागेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर	B
35		मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औषधीय पादप बोर्ड, छ.ग., रायपुर	B
36		व.मं.अ., सामाजिक वानिकी, रायपुर	B
37		वन संरक्षक, रायपुर	T
38		व.मं.अ., कार्य आयोजना, सरगुजा	T
39	**वाणिज्यिक कर (आबकारी)**	स.आ. रायपुर	A
40		स.आ. दुर्ग	A
41		स.आ.बिलासपुर	A
42		स.आ. जांजगीर	A
43		स.आ. रायगढ़	A
44		जिला आबकारी अधिकारी, धमतरी	A
45		जिला आबकारी अधिकारी, जशपुर	A
46	**खनिज संसधन**	ख.अ. जाँजगीर	A
47		ख.अ. रायगढ़	A
48		ख.अ. रायपुर	A
49		ख.अ. राजनंदगाँव	A
50		ख.अ. दंतेवाड़ा	A
51		जि.ख.अ. दुर्ग	A
52		जि.ख.अ. बैकुण्ठपुर/कोरिया	B
53		जि.ख.अ. धमतरी	B
54		जि.ख.अ. कवर्धा	B
55	**वाणिज्यिक कर (पंजीयन)**	उ.पं., रायपुर	A

56		उ.पं., दुर्ग	A
57		उ.पं., बिलासपुर	A
58		उ.पं., बलौदा बाजार	B
59		उ.पं., महासमुंद	B
60		उ.पं. कवर्धा	B
61		उ.पं., पाटन	B
62		उ.पं., अंबिकापुर	B
63		उ.पं., मुंगेली	B
64		उ.पं., आरंग	B
65		उ.पं., राजनांदगांव	B
66		उ.पं., कोरबा	B
67		उ.पं., चांपा	B
68		उ.पं., जांजगीर	B
69		उ.पं., रायगढ़	B
70		उ.पं., धमतरी	B
71		उ.पं., सिमगा	T
72		उ.पं., गुंडरदेही	T
73		जि.पं., दुर्ग	T
74		उ.पं., भाटापारा	T
75		उ.पं., बिल्हा	T
76		जि.पं., रायगढ़	T
77		जि.पं., रायपुर	T
78		उ.पं., अभनपुर	T
79		महानिरीक्षक पंजीयन सह-अधीक्षक मुद्रांक, रायपुर	T
80	परिवहन	क्षे.प.अ. अंबिकापुर	A
81		क्षे.प.अ., रायपुर	A
82		क्षे.प.अ., बिलासपुर	A
83		जि.प.अ., रायगढ़	A
84		अति.क्षे.प.अ.,राजनांदगाँव	A
85		परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर	B

86		जि.प.अ., जशपुर	B
87		ज.प.अ., बैकुण्ठपुर	B
88		जि.प.अ , दंतेवाड़ा	B
89		जिलाध्यक्ष, रायपुर	B
90		जिलाध्यक्ष, जांजगीर	B
91		जिलाध्यक्ष, दुर्ग	B
92		जिलाध्यक्ष, कोरबा	B
93		जिलाध्यक्ष, सरगुजा	B
94		जिलाध्यक्ष, दंतेवाड़ा	B
95		तहसीलदार, बिलासपुर	B
96		तहसीलदार, जांजगीर	B
97		तहसीलदार, सारंगढ़	B
98		तहसीलदार, रायगढ़	B
99		तहसीलदार, बलौदा बाजार	B
100		तहसीलदार, अंबिकापुर	B
101		तहसीलदार, राजनांदगांव	B
102	भू- राजस्व	तहसीलदार, रायपुर	B
103		तहसीलदार, मस्तुरी	T
104		तहसीलदार, पेन्ड्रारोड	T
105		तहसीलदार, लोरमी	T
106		तहसीलदार, सक्ति	T
107		तहसीलदार, मालखरोदा	T
108		तहसीलदार, पाली	T
109		तहसीलदार, कसडोल	T
110		तहसीलदार, कुनकुरी	T
111		तहसीलदार, राजिम	T
112		तहसीलदार, मोहला	T
113		तहसीलदार, आरंग	T
114		तहसीलदार, अभनपुर	T
115		तहसीलदार, तिल्दा	T

116		तहसीलदार, पलारी	T
117		तहसीलदार, पाटन	T
118		तहसीलदार, बागबाहरा	T
119		तहसीलदार, रामानुजगंज	T
120		तहसीलदार, अकलतरा	T

योजना के बाहर किये गये लेखापरीक्षा ईकाईयों की सूची

सं.क्र.	विभाग का नाम	इकाई का नाम	श्रेणी
1	वाणिज्यिक कर	वा.क.अ. वृत्त-3, रायपुर	A
2		वा.क.अ. वृत्त-4, रायपुर	A
3		वा.क.अ. वृत्त-5, रायपुर	A
4		वा.क.अ. वृत्त-II, जगदलपुर	A
5	वन	व.मं.अ., जशपुर	A
6		व.मं.अ. (अनुसंधान एवं विस्तार), बिलासपुर	B
7		व.मं.अ., रायपुर	A
8		व.मं.अ. नारायणपुर	A
9	वाणिज्यिक कर (पंजीयन)	उ.पं., कांकेर	B
10		उ.पं., जगदलपुर	B
11	वाणिज्यिक कर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त (व्यय), रायपुर	T

योजना के अनुसार जो इकाइयाँ लेखापरीक्षा नहीं की गई की सूची

सं.क्र.	विभाग का नाम	इकाई का नाम	श्रेणी
1	वाणिज्यिक कर (आबकारी)	स.आ., रायपुर	A
2		स.आ. बिलासपुर	
3		जि.आ.अ., जशपुर	
4	खनिज संसाधन	ख.अ. रायगढ़	
5		जि.ख.अ., कोरिया	B
6	भू-राजस्व	जिलाध्यक्ष, रायपुर	
7		तहसीलदार, जांजगीर	
8		तहसीलदार, अभनपुर	T
9		तहसीलदार, बागबाहरा	

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ कंडिका 2.4)

(₹ लाख में)

स.क्र.	इकाई का नाम	वस्तु	कर निर्धारण वर्ष (माह व कर निर्धारण वर्ष)	अनुसूची क्र./ भाग क्रं./ प्रविष्टि क्र.	सकल विक्रय	करारोपणीय दर/आरोपित दर	कर का कम/अनारोपण	प्रेक्षण की प्रकृत्ति
1	वा.क.अ. वृत्त-5	टोस्ट	2008-09 (दिसम्बर 2011)	II/IV/1	19.44	12.5/0	2.43	कर निर्धारण अधिकारी ने टोस्ट को कर मुक्त मानते हुए करारोपण नहीं किया।
हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (मार्च 2012) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि ₹ 3.71 लाख का मांग पत्र जारी किया गया है। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।								
2	वा.क.अ. रायपुर	स्प्रीकलर सिस्टम	2006-07 (मई 2010)	II/IV/1	9.24	12.5/4	0.79	कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि ₹ 0.70 लाख का मांग पत्र जारी किया गया है। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।								
3	वा.क.अ.-I रायगढ़	रद्दी कागज	2007-08 (मार्च 2011)	II/IV/1	27.65	12.5/4	2.35	कर निर्धारण अधिकारी ने रद्दी कागज पर 12.5 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
	वा.क.अ.2 रायपुर		2008-09 (अगस्त 2012)	II/IV/1	137.21	12.5/4	11.66	
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। दूसरे प्रकरण में शासन ने बतायाकि ₹ 2.46 लाख का मांग पत्र जारी किया गया है। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।								
4	वा.क.अ.-9 रायपुर	विद्युत पैनल	2008-09 (जून 2012)	II/IV/1	213.03	12.5/4	18.11	कर निर्धारण अधिकारी ने पूँजीगत माल मानते हुए चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि ₹ 18.83 लाख का मांग पत्र जारी किया गया है। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।								
5	वा.क.अ.-2 रायपुर	डायरेक्ट टु होम (डी.टी.एच.)	2007-08 (अगस्त 2011), 2007-08 (जून 2011), 2006-07 (जून 2011)	II/IV/1	210.37	12.5/4	17.88	कर निर्धारण अधिकरी ने इसे सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद मानते हुए चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
	वा.क.अ.-1 कोरबा		2007-08 (जून 2011)		7.29	12.5/4	0.62	कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
	वा.क.अ.-2 रायपुर		2008-09 (अप्रैल 2012)		127.64	12.5/4	10.85	कर निर्धारण अधिकारी ने वायरलेस मानते हुए चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण के लिए प्रकरणों को खोला जाएगा।								
6	स. आ. कोरबा	पी.एस.सी. स्लीपर, रेलवे क्लिप	2007-08 (दिसम्बर 2010 और अप्रैल 2011)	II/IV/1	237.85	12.5/4	20.22	कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत प्रकरण खोला गया और ₹ 19.11 लाख का मांग पत्र जारी किया गया। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।								
7	स.आ.वा.क.-V, संभाग-II, रायपुर	कार्बन क्रेडिट	2008-09 (अगस्त 2012)	II/IV/5	141.71	4/0	5.67	कर निर्धारण अधिकारी ने कार्बन क्रेडिट की बिक्री पर करारोपण नहीं किया। चूँकि कार्बन क्रेडिट अर्मूत माल है अतः चार प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2013) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण हेतु प्रकरण को खोला गया और ₹ 2.33 लाख का मांग पत्र जारी किया। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)								
8	वा.क.अ.-2, रायपुर	कम्प्यूटर स्पीकर	2008-09 (मई 2012)	II/IV/1	13.20	12.5/4	1.12	कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण हेतु प्रकरणों को खोला जाएगा।								
9	स.आ. (टी.एल.ध्रुव) रायपुर	श्रीखंड	2007-08 (मई 2011) 2008-09 (मार्च 2012)	II/IV/1	22.65	12.5/4	1.93	कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण के लिए प्रकरणों को खोला जाएगा।								
10	स.अ. (टी.एल.ध्रव) रायपुर	टॉर्च	2007-08 (अगस्त 2011)	II/IV/1	13.28	12.5/4	1.13	कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण के लिए प्रकरणों को खोला जाएगा।								
11	स.आ.वा.क., रायपुर संभाग-I	एयर कंडीशन का तॉबा का पाईप	2008-09 (जनवरी 2012)	II/IV/1	17.68	12.5/4	1.50	कर निर्धारण अधिकारी ने इसे सभी तरह के पाईप मानते हुए चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया यद्यपि यह एयर कंडीशनर का भाग था।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण के लिए प्रकरणों को खोला जाएगा।								
12	स.आ., रायपुर (श्री के.के. आर्य)	कमानी पट्टी	2007-08 (जुलाई 2011)	II/IV/1	211.13	12.5/4	17.95	कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण के लिए प्रकरणों को खोला जाएगा।								
13	वा.क.अ.-5 रायपुर	बैट्री चलित वाहन	2007-08 (अगस्त 2011)	II/IV/1	29.11	12.5/4	2.47	कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण के लिए प्रकरणों को खोला जाएगा।								
14	वा.क.अ.-2 बिलासपुर	सीमेंट पाईप	2006-07 (जून 2010) 2007-	II/IV/1	49.52	12.5/4	4.21	कर निर्धारण अधिकारीयों ने चार प्रतिशत की दर से

			08 (अगस्त 2010, दिसम्बर 2010), 2008-09 (अगस्त 2011)					करारोपण किया।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण के लिए प्रकरणों को खोला जाएगा।								
15	वा.क.अ.-2, बिलासपुर	कन्वेयर रॉलर और पुली	2007-08 (अगस्त 2011)	II/IV/1	106.67	12.5/4	9.07	कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण के लिए प्रकरणों को खोला जाएगा।								
16	स.आ.वा.-IV, रायपुर	स्प्रिंकलर पाईप	2009-10 (अप्रैल 2012)	II/II/86	761.81	4/0	30.47	कर निर्धारण अधिकारी ने स्प्रिंकलर पाईप को कर मुक्त मानते हुए करारोपण नहीं किया।
	वा.क.अ.-5, रायपुर		2008-09 (मई 2012)	II/II/86	102.34	4/0	3.94	
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014) शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि धारा 22 (1) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण के लिए प्रकरणों को खोला जाएगा।								
योग					**2,458.82**		**164.37**	

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भ कंडिका 2.7.11.2)

(₹ लाख में)

स.क्र.	माल	अनुसूची क्र./भाग क्र./मद क्र.	क्रय राशि	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर	आरोपणीय	आरोपित कर	अनारोपित कर
1	मशीनरी	II/54	479.62	1/NA	4.80	5.20	4.44
2	एयर कंडीशनर	II/35	73.78	1/NA	0.74		
3	बालू	II/29	71.88	1/NA	0.72		
4	ईट	II/27(ब)	19.75	1/NA	0.20		
5	पैकिंग मटेरियल	III/1	216.57	1/NA	2.16		
6	अन्य वस्तुएं	III/1	96.65	1/NA	0.97		
7	दरवाजा और खिड़की	III/1	5.30	1/NA	0.05		
योग			**963.55**		**9.64**	**5.20**	**4.44**

परिशिष्ट 2.3
(संदर्भ कंडिका 2.7.11.3)

(₹ लाख में)

स.क्र	इकाई का नाम	माल	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	अनुसूची क्र./भाग क्र./मद क्र.	क्रय मूल्य	आरोपणीय /आरोपित कर की दर	कर का अनारोपण	प्रेक्षण की प्रकृति
1	स.आ.वा.क., रायगढ़	फ्लाई ऐश ब्रिक्स	2006-07, 2007-08 और 2009-10 (दिसम्बर 2009 फरवरी 2011 और जनवरी 2012)	II/27(a)	71.64	5/0	3.58	कर निर्धारण अधिकारी ने कर मुक्त मानकर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया।
2	स.आ.वा.क.-II, दुर्ग (श्री पी.एस.विंध्यराज)	केबल	2007-08 (जनवरी 2011)	II/53	43.87	1/0	0.44	कर निर्धारण अधिकारी ने अनुसूची III की वस्तु मानकर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि प्रकरण (स.क्र. 1 और 2) को धारा 22 (1) तहत पुन खोले जाकर मांग पत्र जारी किए गए हैं।								
3	वा.क.अ., अम्बिकापुर	डी.आई. पाइप	2007-08 (अगस्त 2011)	II/3	10.33	1.5/0	0.16	कर निर्धारण अधिकारी ने कर चुका एवं कर मुक्त मानकर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया।
4	वा.क.अ., अम्बिकापुर	ग्लास	2006-07 से 2008-09 (मई 2010 और मई 2012)	II/42	98.54	0.5/0	0.49	कर निर्धारण अधिकारी ने कर चुका एवं कर मुक्त मानकर कर निर्धारण नहीं किया।
5	वा.क.अ.-2, दुर्ग	आइरन और स्टील स्क्रेप	2008-09 (जुलाई 2012)	अधिसूचना क्र. 33 दि. 13.04.2000	218.29	1.5/0	3.27	कर निर्धारण अधिकारी ने स्थानीय क्षेत्र से क्रय किया हुआ मानकर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया।
6	स.आ.वा.क.-1, संभाग 2, (श्री टी.आर.धुर्वे)	टार्च	2008-09 (जून 2013)	II/53	230.52	1/0	2.31	कर निर्धारण अधिकारी ने अनुसूची III की वस्तु मानकर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
7	वा.क.अ.-2, दुर्ग	मशीनरी	2008-09 (मई 2012)	54	102.95	1/0	1.03	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वस्तु को कर चुका मानकर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।

8	वा.क.अ.-2, दुर्ग	कार एसेसरीज/ सन कंट्रोल फिल्म	2008-09 (जुलाई 2012)	37	114.11	1/0	1.14	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसूची III की वस्तु मानकर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया।
9	स.आ.वा.क., रायगढ़	चाकलेट/ कान्फेक्शनरी	2009-10 (नवम्बर 2013)	56	4.29	1/0	0.04	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर चुका एवं करमुक्त माल मानकर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
10	स.आ.वा.क., रायगढ़	रसायन	2008-09 (जून 2013)	55	2.19	1/0	0.02	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर चुका एवं करमुक्त माल मानकर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
11	वा.क.अ., अम्बिकापुर	जेसीबी मशीन	2007-08 (अगस्त 2011)	II/54	18.25	1/0	0.18	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल क्रय निरंक मानकर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
12	उ.आ.(मु.), संभाग I, रायपुर	सहायक उपकरण, ट्रक, जेसीबी	2008-09 (जून 2012)	II/54	50.84	1/0	0.51	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर चुका एवं करमुक्त माल मानकर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि कार्यवाही की जा रही है।								
13	स.आ.वा.क., कोरबा	आइरन एवं स्टील	2006-07 और 2007-08 (दिसम्बर 2009 और नवम्बर 2010)	अधिसूचना क्र. 33 दि. 13.04.2000	603.51	1.5/1	3.02	व्यवसायी ने राज्य के बाहर से आइरन एवं स्टील क्रय कर उसे मशीनरी के निर्माण ने प्रयुक्त किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक प्रतिशत की दर से करारोपन किया गय। चूंकि निर्मित किया गया माल केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम में परिभाषित आइरन एवं स्टील की श्रेणी में नहीं है अतः 1.5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय हैं।
बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि सन्निहित प्रकरणों को पुन खोला जाकर शारदा इंजीनियरिंग के वर्ष 2007-08 के प्रकरण जिसमें आक्षेपित राशि ₹ 1.98 लाख को छोड़कर अतिरिक्त मांग ₹ 0.86 लाख उठाई गई हैं। शारदा इंजीनियरिंग द्वारा जारी मांग पत्र								

की राशि ₹ 0.86 लाख को जमा किया गया हैं।								
14	वा.क.अ.v रायपुर	माउथ फ्रेशनर (पास पास)	2010-11 (आगस्त 2013)	II/22(a)	50.64	7.5/0	3.80	कर निर्धारण अधिकारी ने अनुसूची III की वस्तु मानकर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि पास पास एक माउथ फ्रेशनर हैं जिसे पान मसाला नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें सुपारी और कत्था नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उसके पैकेट पर ''फन माउथ फ्रेशनर कत्था सहित'' लिखा है जिससे स्पष्ट हैं उसमें कत्था एक घटक हैं।								
		योग			1619.97		19.99	

परिशिष्ट 2.4
(संदर्भ कंडिका 2.7.11.4)

(₹ लाख में)

स.क्र.	इकाई का नाम	माल	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	अनुसूची क्र./भाग क्र./मद क्र.	क्रय मूल्य	आरोपणीय /आरोपित कर की दर	कर का अनारोपण	प्रेक्षण की प्रकृति
1	स.आ.वा.क.-I, संभाग 2, रायपुर, (श्री टी.आर.धुर्वे)	इलेक्ट्रोडस और उपभोज्य	2008-09 (जून 2013) 2009-10 (अक्तूबर 2013)	III/1	336.97 208.67	1/0	5.46	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर चुका मानकर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया।
2	स.आ.वा.क.-I, संभाग 2, रायपुर (श्री टी.आर.धुर्वे)	अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल (ई.एन.ए)	2008-09 (जून 2013)	III/1	268.05	1/0	2.68	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर चुका एवं कर मुक्त मानकर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया।
3	स.आ.वा.क.-I, संभाग 2, (श्री टी.आर.धुर्वे)	बाटल/ कंटेनर	2008-09 (जून 2013)	III/1	199.55	1/0.5	1.00	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसूची III के बजाय अनुसूची II/42 का माल मानकर 0.5 प्रतिशत की दर से प्रवेश का आरोपण किया।
4	उ.आ. (मु.), संभाग 1, रायपुर	पेकिंग मैटेरियल	2007-08 (अगस्त 2011)	III/1	135.46	1/0	1.35	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे मांग पर बिक्री किया गया, माल मानकर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
5	स.आ.वा.क., रायगढ़	पीसीसी पोल/कंडक्टर	2009-10 (जून 2013)	III/I	37.11	1/0	0.37	कर निर्धारणा अधिकारी द्वारा इसे कर चुका एवं कर मुक्त मानकार प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
6	स.आ.वा.क., रायगढ़	बिटुमिन	2008-09 (जून 2013)	III/1	6.20	1/0	0.06	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे कर चुका मानकर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि प्रकरणों (स.क्र. 1 से 6 तक) को धारा 22 (1) के तहत पुन खोला जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।								
7	स.आ.वा.क.(मु.)-I, संभाग I, रायपुर (श्री पी.आर.देवांगन)	बिटुमिन	2008-09 (जून 2013)	III/1	45.84 27.15	1/0	0.46 0.27	कर निर्धारण अधिकरी द्वारा इसे कर चुका मानकर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
8	स.आ.वा.क.(मु.), संभाग- I, रायपुर (श्री पी.आर.देवांगन)	बिटुमिन	2008-09 (जून 2013)	III/1	12.69	1/0	0.13	कर निर्धारण अधाकारी द्वारा इसे कर चुका मानकर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि दोनों प्रकरणों में जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।								
योग					**1277.69**		**11.78**	

परिशिष्ट 3.1
(संदर्भ कंडिका 3.2.9.1)

स.क्रं.	जिला का नाम	बाटलिंग संयंत्र का नाम	बाटलिंग संयंत्र द्वारा विदेशी मदिरा का प्रेषण (प्रू.ली)	एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विदेशी मदिरा की प्राप्त मात्रा (प्रू.ली.)	अन्तर (प्रू.ली.)	वसूलनीय शुल्क (₹ में)
2011-12	रायपुर	मेसर्स रायपुर बाटलिग कम्पनी प्रा.लि.	46,97,724.60	46,29,232.45	68,492.15	48,97,188.72
	बिलासपुर	मेसर्स एजिस बेवरेजेस प्रा.लि.	52,31,112.80	51,71,427.04	59,685.76	42,67,531.84
		मेसर्स लीजेन्ड डिस्टलरिज प्रा.लि.	1,37,712.96	1,23,255.77	14,457.19	10,33,689.09
2012-13	बिलासपुर	मेसर्स एजिस बेवरेजेस प्रा.लि.	34,33,752.00	32,71,846.02	1,61,905.98	1,15,76,277.57
		मेसर्स लीजेन्ड डिस्टलरिज प्रा.लि.	14,81,511.83	14,31,042.36	50,469.47	36,08,567.10
2013-14	बिलासपुर	मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि.	12,42,810.00	12,12,254.64	30,555.36	27,49,982.40
योग			**1,62,24,624.19**	**1,58,39,058.28**	**3,85,565.91**	**2,81,33,236.72**

नोटः 2011-12 और 2012-13 के लिए औसत शुल्क दर ₹ 71.50 प्रति प्रू.ली तथा 2013-14 के लिए ₹ 90 प्रति प्रू.लि. ली गई है।

परिशिष्ट 3.2
(संदर्भ कंडिका 3.2.9.2)

स.क्र.	जिले का नाम	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	स्पिरिट					माल्ट				
			न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (प्रू.ली)	जिला कार्यालय के अनुसार मदिरा का उठान (प्रू.ली.)	बेवरेज कारपोरेशन के अनुसार मदिरा का उठान (प्रू.ली.)	अधिक उठान (प्रू.ली.)	देय शुल्क (₹)	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र (ब.ली.)	जिला कार्यालय के अनुसार मदिरा का उठान (ब.ली.)	बेवरेज कारपोरेशन के अनुसार मदिरा का उठान (ब.ली.)	अधिक उठान (प्रू.ली.)	अधिक उठान (₹)
2011-12												
1	बिलासपुर	तखतपुर	191000.00	192607.87	193259.02	651.15	46557.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	कोरबा	दर्री	38000.00	54855.90	54890.22	34.32	2453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	जगदलपुर	न्या बस स्टैंड	104600.00	308271.54	309169.23	897.69	64184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कोण्डागांव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57602.00	214513.00	221495.40	6982.40	139648.00
		केशकाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20838.00	130662.00	136727.50	6065.50	121310.00
4	सरगुजा	देवीगंज रोड़	65000.00	87995.03	89298.44	1303.41	93193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	जंजगीर चांपा	पामगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	49137.68	51156.60	2018.92	40378.40
		नवागढ़	22500.00	32595.41	32641.24	45.83	3276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		जयजयपुर	27000.00	56400.30	56444.25	43.95	3142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चंद्रपुर	67200.00	81931.22	82108.75	177.53	12693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग(2011-12)			**515300.00**	**814657.27**	**817811.15**	**3153.88**	**225502.44**	**118440.00**	**394312.68**	**409379.50**	**15066.82**	**301336.40**
2012-13												
1	सरगुजा	बनारस रोड़	71000.00	172432.86	177434.64	5001.78	357627.27	59000.00	88431.12	91873.92	3442.80	68856.00
योग (2012-13)			**71000.00**	**172432.86**	**177434.64**	**5001.78**	**357627.27**	**59000.00**	**88431.12**	**91873.92**	**3442.80**	**68856.00**
2013-14												
1	जगदलपुर	न्यू बस स्टैंड	181600.00	323915.00	326895.80	2980.80	268272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	सरगुजा	पुरानी बस स्टैंड	81000.00	108409.72	110117.84	1708.12	153730.80	67000.00	67540.20	68776.80	1236.60	27205.20
		बनारस रोड़	107000.00	209182.74	210336.56	1153.82	103843.80	67000.00	109777.36	111105.96	1328.60	29229.20
3	रायगढ़	घरघोड़ा	0	0	0	0	0	35000.00	38638.20	38938.20	300.00	6600.00
योग (2013-14)			**369600.00**	**641507.46**	**647350.20**	**5842.74**	**525846.60**	**169000.00**	**215955.76**	**218820.96**	**2865.20**	**63034.40**
महायोग			**955900.00**	**1628597.59**	**1642595.99**	**13998.40**	**1108976.31**	**346440.00**	**698699.56**	**720074.38**	**21374.82**	**433226.80**

देय शुल्क योगः ₹ 1108976.31 + ₹ 433226.80 = ₹ 15,42,203.11 यथा ₹ 15.42 लाख

नोटः 1. 2011-12 और 2012-13 के लिए स्पिरिट की औसत शुल्क दर ₹ 71.50 प्रति प्रू.ली तथा 2013-14 के लिए ₹ 90 प्रति प्रू.लि. ली गई।

2. 2011-12 और 2012-13 के लिए माल्ट शुल्क दर ₹ 20 प्रति ब.ली तथा 2013-14 के लिए ₹ 22 प्रति ब.लि. ली गई।

परिशिष्ट- 3.3

(संदर्भ कंडिका 3.2.10)

जिला	दुकानों की संख्या		न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (प्रू.ली.)			उठान (प्रू.ली.)			अधिक उठान (प्रू.ली.)			अधिक उठान पर औसत ड्यूटी (राशि लाख में)				एकत्रित अधिक अनुज्ञप्ति फीस जो खजाने में जमा की जानी थी (राशि लाख में)
	विदेशी मदिरा	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	माल्ट	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	माल्ट	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	माल्ट	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	माल्ट	देशी मदिरा	योग	
रायपुर	31	72	2249000	1202750	5304000	2730325	1297491	6712692	481325	94741	1408692	344.15	18.95	760.69	1123.79	1685.68
रायगढ़	18	42	1227712	1085006	1514343	1525701.4	1092138.6	1551859	297989.41	7132.6	37516	213.06	1.43	20.26	234.75	234.75
महासमुन्द	19	31	918000	68827	1775000	1199844	75395	2035091	281844	6568	260091	201.52	1.31	140.45	343.28	514.92
जांजगीर चांपा	20	62	821500	680000	2324000	1114853.4	775666.2	2403152	293353.35	95666.2	79152	209.75	19.13	42.74	271.62	407.43
बिलासपुर	9	24	847500	48000	1360000	865871	51371	1411777	18371	3371	51777	13.14	0.67	27.96	41.77	62.65
सरगुजा	19	4	434000	333550	107000	677740.25	429541.8	135204	243740.25	95991.8	28204	174.27	19.20	15.23	208.70	313.05
राजनांदगांव	14	26	1357600	627110	1896000	2071618.7	736180.56	2442012	714018.66	109070.56	546012	510.52	21.81	294.85	827.18	1240.78
बस्तर	6	3	407480	397968	36150	976594	1421623	37518.9	569114	1023655	1368.9	406.92	204.73	0.74	612.39	918.58
कवर्धा	12	22	343887	300401	692668	416743.24	309865.2	766635	72856.24	9464.2	73967	52.09	1.89	39.94	93.93	140.89
कोरबा	17	26	880000	765000	1070000	1125128.6	846280.92	1087896.2	245128.55	81280.92	17896.18	175.27	16.26	9.66	201.19	301.78
योग	**165**	**312**	**9486679**	**5508612**	**16079161**	**12704419.59**	**7035553.28**	**18583837.10**	**3217740.46**	**1526941.28**	**2504676.08**	**2300.68**	**305.39**	**1352.53**	**3958.60**	**5820.52**
रायपुर	8	29	616000	574000	4200000	631166	583040	5506908	15166	9040	1306908	10.84	1.81	705.73	718.38	1334.04
रायगढ़	17	41	1227712	774755	1591020	1595974	985110.6	1870631.5	368262.01	210355.6	279611.5	263.31	42.07	150.99	456.37	847.48
महासमुन्द	4	30	47018	16509	2025278	47871	17388	2930387	853	879	905109	0.61	0.18	488.76	489.54	909.08
जांजगीर चांपा	5	63	54000	110000	3300000	56407.42	116478.6	3931341	2407.42	6478.6	631341	1.72	1.30	340.92	343.94	638.70
बिलासपुर	2	44	0	44000	3500000	0	44456	4028840	0	456	528840	0.00	0.09	285.57	285.66	530.48
सरगुजा	6	1	284000	137650	28000	489246.65	200493.24	45567	205246.65	62843.24	17567	146.75	12.57	9.49	168.81	313.47
राजनांदगांव	11	17	1644000	590200	2000000	1965709.7	612943.55	2576268	321709.7	22743.55	576268	230.02	4.55	311.18	545.76	1013.47

बस्तर	3	2	426000	429420	29400	684821	970261	31678.25	258821	540841	2278.25	185.06	108.17	1.23	294.46	546.80
कर्वधा	8	17	70000	67250	952000	82946.4	83368.68	1275759	12946.4	16118.68	323759	9.26	3.22	174.83	187.31	347.84
कोरबा	11	23	437000	299000	1100000	455567	306181	1306193	18567	7181	206193	13.28	1.44	111.34	126.06	234.09
मुंगेली	1	9	55000	0	690000	56355.33	0	939069	1355.33	0	249069	0.97	0.00	134.50	135.47	251.56
योग	**76**	**276**	**4860730**	**3042784**	**19415698**	**6066064.50**	**3919720.67**	**24442641.75**	**1205334.51**	**876936.67**	**5026943.75**	**861.81**	**175.39**	**2714.55**	**3751.75**	**6967.00**
रायपुर	2	27	371000	0	6103000	377252	0	6376353	6252	0	273353	5.63	0.00	185.88	191.51	355.63
रायगढ़	17	42	813000	900000	2082000	846073.3	1102644.6	2304670.5	33073.3	202644.6	222670.5	29.77	44.58	151.42	225.76	419.24
महासमुन्द	9	28	356000	47000	2600000	363266	47217	2860704	7266	217	260704	6.54	0.05	177.28	183.87	341.44
जांजगीर चांपा	10	59	44000	410000	3900000	46796.19	471320.52	4509338	2796.19	61320.52	609338	2.52	13.49	414.35	430.36	799.17
बिलासपुर	11	42	477000	523000	4213000	491068	560760	4305352.5	14068	37760	92352.5	12.66	8.31	62.80	83.77	155.56
सरगुजा	6	1	347000	176000	40000	518292.15	244988.04	49397.5	171292.15	68988.04	9397.5	154.16	15.18	6.39	175.73	326.33
राजनांदगांव	11	17	1808000	266000	2300000	2098132.8	278046.24	2712105	290132.83	12046.24	412105	261.12	2.65	280.23	544.00	1010.21
बस्तर	3	1	535000	550000	15000	815490	918954	15372	280490	368954	372	252.44	81.17	0.25	333.86	619.99
कवर्धा	8	17	167100	226940	1080000	167295.95	227393.4	1385208	195.95	453.4	305208	0.18	0.10	207.54	207.82	385.92
कोरबा	2	22	12500	23000	1180000	13266	26280	1465634.3	766	3280	285634.3	0.69	0.72	194.23	195.64	363.31
मुंगेली	2	11	0	105000	1050000	0	107792.64	1268190	0	2792.64	218190	0.00	0.61	148.37	148.98	276.66
योग	**81**	**267**	**4930600**	**3226940**	**24563000**	**5736932.39**	**3985396.44**	**27252324.80**	**806332.42**	**758456.44**	**2689324.80**	**725.70**	**166.86**	**1828.74**	**2721.30**	**5053.45**
महायोग	**322**	**855**	**19278009**	**11778336**	**60057859**	**24507416.48**	**14940670.39**	**70278803.65**	**5229407.39**	**3162334.39**	**10220944.63**	**3888.20**	**647.64**	**5895.82**	**10431.65**	**17840.98**

नोटः 1. भारत निर्मित विदेशी मदिरा और माल्ट के आंकड़े सी.एस.बी.सी.एल द्वारा प्रदाय किए गए है।

2. देशी मदिरा उठान के आंकड़े संबंधित जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा प्रदाय किए गए है।

3. 2009-10 और 2010-11 के भारत निर्मित विदेशी मदिरा और माल्ट के आकड़ों को सी.एस.बी.सी.एल द्वारा प्रदाय नहीं किया गया है। अतः उक्त वर्षों के आंकड़ों को गणना में शामिल नहीं किया गया है।

चूँकि लायसेन्स फीस, शुल्क का 150 और 185.71 प्रतिशत था वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए लायसेंस फीस की गणना में 1.5 और 1.857 आकड़े लिए गए।

2011-12, के दौरान, रायगढ़ जिले का कुल राजस्व का शुल्क और लायसेंस फीस का अनुपात 50:50 था।

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ कंडिका 3.2.14)

वर्ष	मदिरा दुकानों की संख्या	विभाग द्वारा निर्धारित औसत शुल्क दर (₹ में)	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (प्रू.ली. में)	शुल्क रेज (₹ में)	मदिरा का विक्रय	विक्रय का प्रतिशत	शुल्क (₹ में)	मदिरा विक्रय पश्चात प्राप्त शुल्क दर (लेखापरीक्षा द्वारा प्रगणित) (₹ में)	विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क ₹ 71.50 के अनुसार राशि	पिछले वर्ष का विक्रय के आधार पर प्रस्तावित औसत शुल्क (₹ में)	कॉलम (7) के अनुसार वसूलनीय शुल्क दर (₹ में)	वसूली योग्य शुल्क (कॉलम 8 - 6) (₹ में)	वसूलनीय अनुज्ञप्ति फीस (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2011-12	329	71.5	29593502	70	12643890.0	52.9	37.00		2115935393	0	0	0	0
				90	7122498.0	29.8	26.80	82.90					
				110	4154584.0	17.3	19.10						
				योग:	**23920972.0**								
2012-13	241	71.5	24361112	70	13245503.0	62.5	43.80		1741819508	82.90	2019536185	**277716676.8**	**515759542.6**
				90	1376601.0	6.5	5.80	83.68					
				110	6560264.5	31.0	34.10						
				योग:	**21182368.5**								

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ कंडिका 3.2.17)

माह	परमिट की संख्या	प्रेषित मात्रा (प्रू.ली.)	प्राप्त मात्रा (प्रू.ली.)	मार्ग हानि (प्रू.ली.)	अनुमत्य हानि (प्रू.ली.)	अधिक हानि (प्रू.ली.)	वसूलनीय शुल्क (₹ में)
अगस्त-11	2	10,800.00	10,069.31	730.69	27.00	703.69	50,313.69
अक्टूबर-11	1	5,906.25	5,837.06	69.19	14.77	54.42	3,891.17
दिसम्बर-11	4	23,388.75	23,093.24	295.51	58.47	237.04	16,948.07
मार्च-12	1	7,452.00	7,399.49	52.52	18.63	33.89	2,422.78
जून-12	1	7,128.00	7,093.44	34.56	17.82	16.74	1196.91
अगस्त-12	2	16,200.00	16,147.69	52.31	40.50	11.81	844.63
सितम्बर-12	1	7,128.00	7,107.80	20.25	17.82	2.43	173.75
नवम्बर-12	1	7,128.00	7,057.80	70.20	17.82	52.38	3745.17
जनवरी-13	1	6,750.00	6,729.75	20.25	16.88	3.38	241.31
मार्च-13	1	8,100.00	8,071.88	28.13	20.25	7.88	563.06
मई-13	32	1,75,421.00	1,74,521.50	899.07	438.55	460.52	41,446.89
जून-13	43	2,45,821.20	2,44,659.60	1,161.62	614.55	547.06	49,235.67
जुलाई-13	54	3,49,944.30	3,45,821.60	4,159.66	874.86	3,284.79	2,95,631.46
अगस्त-13	61	3,93,735.60	3,88,904.20	4,850.38	984.34	3,866.04	3,47,943.69
सितम्बर-13	70	4,74,766.20	4,72,534.90	2,231.32	1,186.92	1,044.41	93,996.45
अक्टूबर-13	64	4,24,403.60	4,22,453.70	1,949.99	1,061.01	888.98	80,008.29
नवम्बर-13	48	3,08,534.10	3,07,064.30	1,469.88	771.34	698.55	62,869.05
दिसम्बर-13	83	5,53,502.70	5,50,881.10	2,621.81	1,383.76	1,238.05	1,11,424.77
योग	**470**	**30,26,109.70**	**30,05,448.36**	**20,717.34**	**7,565.29**	**13,152.06**	**11,62,896.81**

नोटः 2011-12 से 2012-13 के लिए औसत शुल्क दर ₹ 71.50 और 2013-14 के लिए ₹ 90 था।

परिशिष्ट 4.1
(संदर्भ कंडिका 4.6)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	गाँव	पटवारी हल्का सं.	गाइडलाइन के अनुसार दर	हस्तांतरित भूमि (हे.)	बाजार मुल्य	मुद्रांक शुल्क @ 4 प्रतिशत	पंजीयन फीस	कम आरोपण
तहसीलदार, लोरमी								
1	सेमरिया	44	7,41,000	1.15	8,52,150	34,086	6,962	41,048
2	महरपुर	24	3,40,500	6.25	21,28,125	85,125	17,170	1,02,295
3	सारधा	24	5,94,400	0.96	5,70,624	22,825	4,710	27,535
4	गदहीडीह	23	8,31,800	3.44	28,61,392	1,14,456	23,036	1,37,492
		योग			**64,12,291**	**2,56,492**	**51,878**	**3,08,370**
तहसीलदार पाटन								
5	दीमार	36	7,37,500	3.59	26,47,625	1,05,905	21,326	1,27,231
6	बोरीद	33	2,95,000	2.40	7,08,000	28,320	5,809	34,129
		योग			**33,55,625**	**1,34,225**	**27,135**	**1,61,360**
तहसीलदार कसडोल								
7	खरबो	10	5,66,000	2.986	16,90,076	67,603	13,666	81,269
8	नवापारा	5	4,33,000	9.5	41,13,500	1,64,540	33,053	1,97,593
9	छरछेड़	12	4,53,000	24.318	1,10,16,054	4,40,642	88,273	5,28,915
10	बैगानाडाबरी	8	6,50,000	1.69	10,98,500	43,940	8,933	52,873
योग					**1,79,18,130**	**7,16,725**	**1,43,925**	**8,60,650**
तहसीलदार मस्तुरी								
11	कोकड़ी	46	2,68,000	3.541	9,48,988	37,960	7,737	45,697
		योग			**9,48,988**	**37,960**	**7,737**	**45,697**
		महायोग			**2,86,35,034**	**11,45,402**	**2,30,675**	**13,76,077**

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ कंडिका 5.4)

(राशि ₹ में)

कार्यालय का नाम	वाहन का प्रकार	पंजीकृत वाहनों की संख्या	फीस की दर	आरोपणीय फीस	कुल आरोपणीय फीस	आरोपित फीस	कम आरोपण
कम आरोपण							
क्षे.प.अ. बिलासपुर (4/10-3/13)	मोटर साइकिल/मोपेड	23,943	50	11,97,150	23,67,950	78,450	22,89,500
	अन्य	5,854	200	11,70,800			
जि.प.अ. जशपुर (4/10-3/13)	मोटर साइकिल/मोपेड	14,931	50	7,46,550	14,95,350	15,550	14,79,800
	अन्य	3,744	200	7,48,800			
जि.प.अ. बैकुंठपुर (4/10-3/13)	मोटर साइकिल/मोपेड	8,307	50	4,15,350	6,70,750	16,760	6,53,990
	अन्य	1,277	200	2,55,400			
योग		**58,056**		**45,34,050**	**45,34,050**	**1,10,760**	**44,23,290**
अनारोपण							
जि.प.अ. रायगढ़ (4/10-3/13)	मोटर साइकिल/मोपेड	31,090	50	15,54,500	32,52,300	-	32,52,300
	अन्य	8,489	200	16,97,800			
योग		**39,579**		**32,52,300**	**32,52,300**	-	**32,52,300**
महायोग		**97,635**		**77,86,350**	**77,86,350**	**1,10,760**	**76,75,590**

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ कंडिका 5.5)

कार्यालय का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	माल यानों की संख्या	आरोपणीय कर (₹ लाख में)	मैक्सी केब यानों की संख्या	आरोपणीय कर (₹ लाख में)	यात्री यानों की संख्या	आरोपणीय कर (₹ लाख में)	यानों की कुल संख्या	कुल आरोपणीय कर (₹ लाख में)
क्षे.प.अ. अम्बिकापुर	04/12-3/13	177	12.20	-	-	26	14.05	203	26.25
क्षे.प.अ. बिलासपुर	4/11-3/13	114	24.40	-	-	34	28.71	148	53.11
जि.प.अ. बैकुंठपुर	4/10-3/13	39	9.60	-	-	10	11.74	49	22.34
जि.प.अ. दंतेवाड़ा	04/7-03/13	43	9.17	19	4.71	19	32.88	81	46.76
जि.प.अ. जशपुर	04/10-3/13	65	8.63	-	-	11	12.96	76	21.59
जि.प.अ. रायगढ़	03/10- 03/13	27	4.95	-	-	21	9.91	48	14.86
क्षे.प.अ. रायपुर	04/12-3/13	80	9.89	-	-	95	39.00	175	48.89
योग		**545**	**78.84**	**19**	**4.71**	**216**	**149.25**	**780**	**233.80**

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ कंडिका 5.6)

(राशि ₹ में)

स. क्र.	यान क्र.	अनुज्ञापत्र क्र.	बैठक क्षमता	दूरी (कि.मी.)	आरोपणीय मासिक कर	आरोपित मासिक कर	कम आरोपण की अवधि		माह कुल	कम आरोपण
							से	तक		
1	सी.जी.-13-ए-2376	1524/बी/03	51 + 2	344	20,910	20,200	4/2010	3/2013	36	25,560
2	सी.जी.-13-ए-2577	1851/बी/03	36 + 2	312	13,680	8,087	4/2010	3/2013	36	2,01,348
3	सी.जी.-13-ए-4661	2565/बी/06	15 + 2	220	4,200	3,600	4/2010	3/2013	36	21,600
4	सी.जी.-13-ए-5706	3449/बी/09	20 + 2	192	5,200	4,800	4/2010	3/2013	36	14,400
5	सी.जी.-13-ए-4792	2102/बी/05	16 + 2	190	4,000	3,750	4/2010	3/2013	36	9,000
6	सी.जी.-13-ए-7560	3328/बी/09	16 + 1	202	4,320	3,680	4/2010	3/2013	36	23,040
7	सी.जी.-13-ए-6724	2898/बी/07	16 + 1	110	2,720	2,560	4/2010	3/2013	36	5,760
8	सी.जी.-13-ए-7458	3362/बी/09	32 + 1	180	7,680	6,400	4/2010	3/2013	36	46,080
9	सी.जी.-13-ए-8408	2804/बी/07	28 + 1	280	9,520	8,400	4/2010	3/2013	36	40,320
10	सी.जी.-13-ए-8711	3134/बी/07	24 + 2	180	5,760	5,520	4/2010	3/2013	36	8,640
11	सी.जी.-10/जी-0372	1629/बी/03	30 + 1	312	11,400	10,600	4/2011	3/2013	24	19,200
12	सी.जी.-10/जी-0927	02/बी/2011	36 + 1	344	14,350	5,760	4/2011	3/2013	24	2,06,160
योग										6,21,108

परिशिष्ट-5.4
(संदर्भ कंडिका 5.7)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	परिवहन कार्यालय का नाम	यानों का प्रकार	व्यवसायी की संख्या	सात वाहनों का ब्लॉक	प्रति सात वाहन दर	व्यापार कर की राशि	वसूली गई राशि	कम आरोपण
1	क्षे.प.अ. बिलासपुर	मोपेड	88	159	1,000	1,59,000	1,52,703	53,33,797
		मोटर साइकिल		3,261	1,250	40,76,250		
		तिपहिया वाहन		101	1,250	1,26,250		
		हल्का मोटर यान		541	1,500	8,11,500		
		हल्का मालयान		13	1,750	22,750		
		भारी मालयान		86	2,000	1,72,000		
		अन्य		95	1,250	1,18,750		
	योग					54,86,500	1,52,703	53,33,797
2	जि.प.अ. बैकुंठपुर	मोपेड	13	1,167	1,250	14,58,750	28,332	17,41,168
		मोटर साइकिल		20	1,000	20,000		
		तिपहिया वाहन		9	1,250	11,250		
		हल्का मोटर यान		96	1,500	1,44,000		
		हल्का मालयान		68	1,750	1,19,000		
		भारी मालयान		7	2,000	14,000		
		अन्य		2	1,250	2,500		
	योग					17,69,500	28,332	17,41,168
3	जि.प.अ. जशपुर	मोपेड	42	85	1,000	85,000	63,105	20,16,895
		मोटर साइकिल		1,273	1,250	15,91,250		
		हल्का मोटर यान		51	1,500	76,500		
		हल्का मालयान		25	1,750	43,750		
		भारी मालयान		8	2,000	16,000		
		अन्य		214	1,250	2,67,500		
	योग					20,80,000	63,105	20,16,895
4	जि.प.अ. रायगढ़	मोपेड	57	4,441	1,000	44,41,000	2,53,170	61,27,330
		तिपहिया वाहन		13	1,250	16,250		
		हल्का मोटर यान		751	1,500	11,26,500		
		हल्का मालयान		236	1,750	4,13,000		
		भारी मालयान		155	2,000	3,10,000		
		अन्य		59	1,250	73,750		
	योग					63,80,500	2,53,170	61,27,330
	महायोग					1,57,16,500	4,97,310	1,52,19,190

परिशिष्ट 6.1
(संदर्भ कंडिका 6.4)

(राशि ₹ में)

वनमंडल का नाम	डिपो का नाम	अवधि	वनोपज	मात्रा	बाजार मूल्य	मूल्य	निरीक्षण राशि
राजनांदगांव	राजनांदगांव	2009	बांस	29,000	27.50	7,97,500	79,750
		2010		23,780	30.25	7,19,345	71,935
		2011		18,550	30.85	5,72,268	57,227
		2012-13		81,570	31.40	25,61,298	2,56,130
		योग (बांस)		**1,52,900**		**46,50,411**	**4,65,042**
		2009	बल्ली	13,250	59.25	7,85,063	78,506
		2010		11,950	65.70	7,85,115	78,512
		2011		9,650	67.00	6,46,550	64,655
		2012-13		41,335	70.00	28,93,450	2,89,345
		योग (बल्ली)		**76,185**		**51,10,178**	**5,11,018**
		योग (राजनांदगांव)				**97,60,589**	**9,76,060**
कोरबा	कोरबा	2008-09	बांस	1,200	9.70	11,640	1,164
		2009-10		1,800	12.00	21,600	2,160
		2010-11		800	11.00	8,800	880
		2011-12		1,450	11.00	15,950	1,595
		2012-13		1,910	13.71	26,186	2,619
		2013-14 (05/13)		1,030	13.71	14,121	1,412
		योग (बांस)		**8,190**		**98,297**	**9,830**
		2008-09	बल्ली	400	102.00	40,800	4,080
		2009-10		650	126.00	81,900	8,190
		2010-11		250	130.00	32,500	3,250
		2011-12		900	140.00	1,26,000	12,600
		2012-13		720	140.00	1,00,800	10,080
		2013-14 (05/13)		795	140.00	1,11,300	11,130
		योग बल्ली		**3,715**		**4,93,300**	**49,330**
		योग (कोरबा)				**5,91,597**	**59,160**
दक्षिण सरगुजा	गांधी नगर/सकालो	2006-07	बांस	550	6.30	3,465	347
		2007-08		1,580	6.30	9,954	995
		2008-09		7,000	6.30	44,100	4,410
		2009-10		6,470	7.25	46,908	4,691
		2010-11		350	7.25	2,538	254
		2011-12		1,250	7.25	9,063	906
		योग (बांस)		**17,200**		**1,16,028**	**11,603**
		2006-07	बल्ली	2,295	87.00	1,99,665	19,967
		2007-08		1,252	87.00	1,08,924	10,892
		2008-09		3,568	87.00	3,10,416	31,042
		2009-10		2,350	110.00	2,58,500	25,850
		2010-11		700	110.00	77,000	7,700

		2011-12		1,154	110.00	1,26,940	12,694
		2012-13		265	110.00	29,150	2,915
		योग (बल्ली)		11,584		11,10,595	1,11,060
		योग				12,26,623	1,22,663
	अंबिकापुर	2006-07		1,805	87.00	1,57,035	15,704
		2009-10		974	110.00	1,07,140	10,714
		2010-11	बल्ली	200	110.00	22,000	2,200
		2011-12		1,572	110.00	1,72,920	17,292
		2012-13		2,448	110.00	2,69,280	26,928
		योग (बल्ली)		6,999		7,28,375	72,838
		योग (अंबिकापुर)				19,54,998	1,95,501
महासमुंद	महासमुंद	2010-11		1,100	28.00	30,800	3,080
		2011-12	बांस	850	29.00	24,650	2,465
		2012-13		1,925	32.00	61,600	6,160
		योग (बांस)		3,875		1,17,050	11,705
		2010-11		475	107.00	50,825	5,083
		2011-12	बल्ली	440	141.00	62,040	6,204
		2012-13		825	180.00	1,48,500	14,850
		योग (बल्ली)		1,740		2,61,365	26,137
		योग (महासमुंद)				378415	37,842
धमतरी	धमतरी	2006-07		194	13.00	2,522	252
		2007-08		245	13.00	3,185	319
		2008-09		217	17.00	3,689	369
		2009-10	बांस	194	19.00	3,686	369
		2010-11		197	21.00	4,137	414
		2011-12		243	23.00	5,589	559
		2012-13		568	25.00	14,200	1,420
		योग (बांस)		1,858		37,008	3,702
		2006-07		195	64.70	12,617	1,262
		2007-08		248	64.70	16,046	1,605
		2008-09		210	95.50	20,055	2,006
		2009-10	बल्ली	229	107.00	24,503	2,450
		2010-11		199	141.00	28,059	2,806
		2011-12		191	180.00	34,380	3,438
		2012-13		590	230.00	1,35,700	13,570
		योग (बल्ली)		1,862		2,71,360	27,137
		योग (धमतरी)				3,08,368	30,839

सारांश

वनमंडल	डिपो	अवधि	माल	मात्रा	मूल्य	वसूली योग्य निरीक्षण राशि
पांच वनमंडल	छह डिपो	2006-07 से 2012-13	बांस	1,84,023	50,18,794	5,01,882
			बल्ली	1,02,085	79,75,173	7,97,520
महायोग (मूल्य और निरीक्षण राशि)					1,29,93,967	12,99,402

परिशिष्ट 6.2

(संदर्भ कंडिका 6.5.1)

बांस (सं.)

वनमंडल का नाम	वर्ष	डिपो का नाम	पुस्तकों के अनुसार शेष	भौतिक रूप से पाया गया शेष	कमी	मान्य/अनुमत्य	अधिक कमी	दर	मूल्य (₹)
बस्तर	2008	नगरनार	1,280	25	1,255	0	1,255	14.88	18,674
		बामनी	1,068	72	996	0	996	14.88	14,820
	2010	नेगानार	2,800	2,230	570	0	570	17.00	9,690
योग (बस्तर)			5,148	2,327	2,821	0	2,821		43,184
जशपुर	2011	पत्थलगांव	185	157	28	0	28	7.30	204
		कान्साबेल	600	400	200	0	200	8.30	1,660
योग (जशपुर)			785	557	228	0	228		1,864
योग (बांस)			5,933	2,884	3,049	0	3,049		45,048

बल्ली (सं.)

जशपुर	2011	पत्थलगांव	76	6	70	0	70	138.00	9,660
योग (बल्ली)			76	6	70	0	70		9,660

जलाऊ चट्टा

वनमंडल का नाम	वर्ष	डिपो का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बिक्री	पुस्तकों के अनुसार शेष	भौतिक रूप से पाया गया शेष	कमी	मान्य कमी	अधिक कमी	दर	मूल्य (₹)
बस्तर (चट्टो की संख्या में)	2008	अडवाल	603	137	670	70	27	43	20.55	22.45	556	12,482
		नगरनार	0	26	13	13	5.5	7.5	3.9	3.6	556	2,002
		बामनी	0	11	7	4	0	4	1.65	2.35	556	1,307
		बाकावान्ड	792.4	317	969.9	139.5	8	131.5	47.55	83.95	556	46,676

		असना	129.8	0	113.3	16.5	0	16.5	0	16.5	556	9,174
		बोरपडा	249.3	0	153	96.3	0	96.3	0	96.3	556	53,543
	2010	नागरनार	13.5	200	124	89.5	0	89.5	30	59.5	639	38,021
योग (वस्तर)			1,788	691	2050.2	428.8	40.5	388.3	103.65	284.65		1,63,205
जशपुर (क्विंटल में)	2010	पंडरीपानी		0		75.79	63.2	12.59	0	12.59	160	2,014
		पत्थलगांव		0		160	0	160	0	160	160	25,600
		कांसाबेल		0		65	15	50	0	50	160	8,000
		कुनकुरी		2,710		1,054.85	529.93	524.92	406.5	118.42	160	18,947
	2011	पत्थलगांव		0		150.92	129.92	21	0	21	180	3,780
		कुनकूरी		2,168		1,049.33	519.99	529.34	325.2	204.14	180	36,745
योग (जशपुर)			0	4,878	0	2,555.89	1,258.04	1,297.85	731.7	566.15		95,086
कारिया (क्विंटल में)	2011	पटना	110	1,029.8	803.34	336.46	26.85	309.61	154.47	155.14	160	24,822
		चिनदांद	3,150	2,168	2358	2960	2450	510	325.2	184.8	160	29,568
		चिरमिरी	305.47	254.74	334	226.21	165.9	60.31	38.211	22.099	160	3,536
योग (कोरिया)			3,565.47	3,452.54	3,495.34	3,522.67	2,642.75	879.92	517.881	362.039		57,926
योग (जलाऊ चट्टा) (जशपुर+कोरिया)			3,565.47	8,330.54	3,495.34	6,078.56	3,900.79	2,177.77	1,249.581	928.189		1,53,012

सारांश

वनोपज	अनुमत्य कमी से अधिक मात्रा में पाई गई कमी	अधिक कमी का मूल्य (₹)
बांस	3,049	45,049
बल्ली	70	9,660
जलाऊ चट्टा	284.65 चट्टे + 928.189 क्विंटल	3,16,217
महायोग		3,70,926

परिशिष्ट- 6.3

(संदर्भ कंडिका 6.5.2)

बांस (संख्या):

वर्ष	डिपो का नाम	पुस्तकों के अनुसार शेष	भैतिक रूप में शेष	कमी	मान्य कमी	अधिक कमी	दर (₹)	मूल्य (₹)
2010	गांधीनगर	7,230	5,645	1,585	0	1,585	6.5	10,303
योग (बांस)		7,230	5,645	1,585	0	1,585		10,303

बल्ली (संख्या):

वर्ष	डिपो का नाम	पुस्तको के अनुसार शेष	भैतिक रूप में शेष	कमी	प्रदाय कमी	अधिक कमी	दर (₹)	मूल्य (₹)
2010	गांधीनगर	888	338	550	0	550	73	40,150
2011	लाटोरी	530	0	530	0	530	83	43,990
योग (बल्ली)		1,418	338	1,080	0	1,080		84,140

जलाउ चट्टा (क्विंटल):

वर्ष	डिपो का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	बिक्री	पुस्तको के अनुसार शेष	भैतिक रूप से शेष	कमी	मान्य कमी	अधिक कमी	दर (₹)	मूल्य (₹)
2010	गांधीनगर	3,144.30	883	1,171.45	2,855.85	1,023.36	1,832.49	132.45	1,700.04	160	2,72,006
	करंजी	18.06	0	0	18.06	0	18.06	0	18.06	160	2,890
2011	कमलेश्वरपुर	120.00	0	0	120.00	102.00	18.00	0	18.00	180	3,240
योग (जलाउ चट्टा)		3,282.36	883	1,171.45	2,993.91	1,125.36	1,868.55	132.45	1,736.10		2,78,136

सारांश:

वनोपज	अनुमत्य/मान्य योग कमी से अधिक कमी की मात्रा	अधिक कमी का मूल्य (₹)
बांस	1,585 (सं.)	10,303
बल्ली	1,080 (स.)	84,140
जलाऊचट्टा	1,736.10 क्विंटल	2,78,136
महायोग		3,72,579

परिशिष्ट- 6.4

(संदर्भ कंडिका 6.6)

(राशि ₹ में)

वनमंडल का नाम	वर्ष	उत्खनित एवं परिवहन किये गये खनिज की मात्रा (टन)	वसूलनीय अभिवहन शुल्क (@ ₹ 7 प्रतिटन)
खनिज का नामः कोयला			
कोरबा	2010-11	30,34,254	2,12,39,778
	2011-12	26,70,582	1,86,94,074
	2012-13	27,01,633	1,89,11,431
योग		**84,06,469**	**5,88,45,283**
सरगुजा (दक्षिण)	अप्रैल 2011 से नवम्बर 2011	10,27,019	71,89,133
योग		**10,27,019**	**71,89,133**
कोयले का योग		**94,33,488**	**6,60,34,416**
खनिज का नामः बाक्सॉइट			
सरगुजा (दक्षिणा)	2008-09	5,64,517	
	2009-10	4,89,537	
	2010-11	5,64,607	
	2011-12	6,20,193	
	2012-13	2,36,253	
योग		**24,75,107**	
वन क्षेत्र-376.924 हेक्टेयर खनिज क्षेत्र का योग-639.165 हेक्टेयर			
क्षेत्र का अनुपात के अनुसार वन से खनिज की मात्रा		14,59,594[1]	1,02,17,158
वन क्षेत्र से बॉक्साइट के खनन का योग		**14,59,594**	**1,02,17,158**
महायोग		**1,08,93,082**	**7,62,51,574**

[1] $\frac{24,75,107 \times 376.924}{639.169} = 14,59,594$

परिशिष्ट- 6.5
(संदर्भ कंडिका 6.7)

वनोपज	पिथौरा उपभोक्ता डिपो में 30 जून 2010 की स्थिति में शेष	निलामी के लिए विक्रय डिपो में भेजे गए वनोपज	30 जून 2010 और 30 जून 2011 के मध्य बेचे गए वनोपज	पिथौरा उपभोक्ता डिपो में शेष वनोपज	पिथौरा उपभोक्ता डिपो में 30 जून 2011 को प्रारंभिक शेष	वस्तु में कमी (इकाई)	दर/इकाई	कम पाई गई वनोपज का मूल्य (₹)
बांस	13,951	8,333	निरंक	5,618	निरंक	5,618	28	1,57,304
बल्ली	139	निरंक	निरंक	139	निरंक	139	107	14,873
बाडे की बल्ली	775	निरंक	निरंक	775	निरंक	775	45	34,875
जलाऊचट्टा	453	निरंक	निरंक	453	निरंक	453	1,481	6,70,893
वस्तु के मूल्य का योग								8,77,945

परिशिष्ट- 6.6
(संदर्भ कंडिका 6. 8)

माह	डिपो का नाम	वनोपज	विक्रीत मात्रा	प्राप्त राशि (₹)	दर (3 प्रतिशत व.वि.उ. के साथ)	राशि जो प्राप्त होनी चाहिए थी (₹)	कम प्राप्ति (₹)
अक्टूबर-11	उपभोक्ता डिपो, कुरूद	बांस (सं.)	4600	1,21,467	10.30	47,380	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	243		772.50	1,87,718	
योग (अक्टूबर-11)		बांस (सं.)	4,600				
		जलाऊ चट्टा	243	1,21,467		2,35,098	1,13,631
जनवरी-12	उपभोक्ता डिपो, नागरी	जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	300	90315	999.10	2,99,730	
योग (जनवरी-12)		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	300	90315		2,99,730	2,09,415
फरवरी-12	उपभोक्ता डिपो, नागरी	जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	284	1100	999.10	2,83,744	2,82,644
	निस्तार/उपभोक्ता डिपो, मगरलोड	जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	1,279	7,53,787	999.10	12,77,849	5,24,062
	उपभोक्ता डिपो, कुरूद	बांस (सं.)	19,080	3,57,925	10.30	1,96,524	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	682		999.10	6,81,386	
	योग			3,57,925		8,77,910	5,19,985
योग (फरवरी -12)		बांस (सं.)	19,080				
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	2,245	11,12,812		24,39,503	13,26,691
मार्च-12	निस्तार डिपो, नागरी	बल्ली (सं.)	94	2,64,624	147.29	13,845	
		बांस (सं.)	2,653		10.30	27,326	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	307		999.10	3,06,724	
	योग			2,64,624		3,47,895	83,271

	निस्तार डिपो, बिरगुडी	बल्ली (सं.)	80	1,65,958	147.29	11,783	
		बांस (सं.)	2,440		10.30	25,132	
		जलाऊचट्टा (चट्टे में)	208		999.10	2,07,813	
	योग			1,65,958		2,44,728	78,770
	उपभोक्ता डिपो, कुरूद	बल्ली (सं.)	548	3,82,288	147.29	80,715	
		बांस (सं.)	19,610		10.30	2,01,983	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	136		999.10	1,35,878	
	योग			3,82,288		4,18,576	36,288
	उपभोक्ता डिपो, श्यामतराई	बल्ली (सं.)	287	2,37,112	147.29	42,272	
		बांस (सं.)	1,740		10.30	17,922	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	268		999.10	2,67,759	
	योग			2,37,112		3,27,953	90,841
योग (मार्च-12)		बल्ली (सं.)	1,009				
		बांस (सं.)	26,443				
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	919	10,49,982		13,39,152	2,89,170
अप्रैल-12	निस्तार डिपो, सोरम	बल्ली (सं.)	155	1,99,820	147.29	22,830	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	200		999.10	1,99,820	
	योग			1,99,820		2,22,650	22,830
	निस्तार डिपो, केरेगांव	बल्ली (सं.)	30	46,755	147.29	4,419	
		बांस (सं.)	130		10.30	1,339	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	157		999.10	1,56,859	
	योग			46,755		1,62,616	1,15,861
	निस्तार डिपो, सिंगपूर	बल्ली (सं.)	109	13,421	147.29	16,055	

		बांस (सं.)	1,190		10.30	12,257	
	योग			13,421		28,312	14,891
	निस्तार डिपो, संकरा	बल्ली (सं.)	7	4,78,119	147.29	1,031	
		बांस (सं.)	2,930		10.30	30,179	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	551		999.10	5,50,504	
	योग			4,78,119		5,81,714	1,03,595
	निस्तार डिपो, नागरी	बल्ली (सं.)	65	3,44,880	147.29	9,574	
		बांस (सं.)	1,487		10.30	15,316	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	334		999.10	3,33,699	
	योग			3,44,880		3,58,589	13,709
	निस्तार/उपभोक्ता डिपो, मगरलोड	बल्ली (सं.)	300	4,03,314	147.29	44,187	
		बांस (सं.)	13,262		10.30	1,36,599	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	444		999.10	4,43,600	
	योग			4,03,314		6,24,386	2,21,072
योग (अप्रैल-12)		बल्ली (सं.)	666				
		बांस (सं.)	18,999				
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	1,686	14,86,309		19,78,267	4,91,958
मई-12	निस्तार डिपो, संकरा	बल्ली (सं.)	30	4,79,052	147.29	4,419	
		बांस (सं.)	80		10.30	824	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	492		999.10	4,91,557	
	योग			479,052		4,96,800	17,748
	निस्तार डिपो, बीरगुडी	बल्ली (सं.)	6	1,85,698	147.29	884	
		बांस (सं.)	1,857		10.30	19,127	

		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	187		999.10	1,86,832	
	योग			1,85,698		2,06,843	21,145
	निस्तार/उपभोक्ता डिपो, मगरलोड	बल्ली (सं.)	1811	3,76,441	147.29	2,66,742	
		बांस (सं.)	18942		10.30	1,95,103	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	121		999.10	1,20,891	
	योग			3,76,441		5,82,736	2,06,295
	उपभोक्ता डिपो, श्याम तराई	बल्ली (सं.)	242	2,10,904	147.29	35,644	
		बांस (सं.)	10,411		10.30	1,07,233	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	175		999.10	1,74,843	
	योग			2,10,904		3,17,720	1,06,816
योग (मई-12)		बल्ली (सं.)	2,089				
		बांस (सं.)	31,290				
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	975	12,52,095		16,04,099	3,52,004
जून-12	निस्तार/उपभोक्ता डिपो, मथुराडीह	बल्ली (सं.)	274	1,88,466	147.29	40,357	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	169		999.10	1,68,848	
	योग			1,88,466		2,09,205	20,739
	निस्तार डिपो, केरेगांव	बल्ली (सं.)	85	1,55,923	147.29	12,520	
		बांस (सं.)	24,601		10.30	2,53,390	
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	20		999.10	19,982	
	योग			1,55,923		2,85,892	1,29,969
योग (जून-12)		बल्ली (सं.)	359				
		बांस (सं.)	24,601				
		जलाऊ चट्टा (चट्टे में)	189	3,44,389		4,95,097	1,50,708

अक्टूबर-12	निस्तार/उपभोक्ता डिपो, मगरलोड	बल्ली (सं.)	370	31,740	147.29	54,497	
		बांस (सं.)	870		10.30	8,961	
		जलाऊचट्टा (चट्टा)	14		999.10	13,987	
योग (अक्टूबर-12)		बल्ली (सं.)	370				
		बांस (सं.)	870				
		जलाऊचट्टा (चट्टा)	14	31,740		77,445	45,705
दिसम्बर-12	निस्तार/उपभोक्ता डिपो मगरलोड	बल्ली (सं.)	10	39,354	147.29	1,473	
		जलाऊचट्टा (चट्टा)	498		999.10	4,97,552	
	योग			39,354		4,99,025	4,59,671
	निस्तार डिपो श्यामतराई	बल्ली (सं.)	28	1,07,908	147.29	4,124	
		जलाऊचट्टा (चट्टा)	176		999.10	1,75,842	
	योग			1,07,908		1,79,966	72,058
योग (दिसम्बर-12)		बल्ली (सं.)	38				
		जलाऊचट्टा (चट्टा)	674	1,47,262		6,78,991	5,31,729
जनवरी-13	निस्तार/उपभोक्ता डिपो मगरलोड	बांस (सं.)	1,280	54,186	11.33	14,502	
		जलाऊचट्टा (चट्टा)	123		1122.70	1,38,092	
योग (जनवरी-13)		बांस (सं.)	1,280				
		जलाऊचट्टा (चट्टा)	123	54,186		1,52,594	98,408
महायोग		बल्ली (सं.)	4,531				
		बांस (सं.)	1,27,163				
		जलाऊचट्टा (चट्टा)	7,368	56,90,557		92,99,976	36,09,419

परिशिष्ट-6.7
(संदर्भ कंडिका 6.12)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	पट्टाधारक का नाम	पट्टे की अवधि	खनिज	रकवा (हे.)	अनिवार्य भाटक/वर्ष	वर्ष जिसमें अनिवार्य भाटक देय है (विलंब माह से)	देय अनिवार्य भाटक	ब्याज @ 24 प्रतिशत
1	श्री के.सी. शर्मा	22.06.2006 से 21.06.2016	पत्थर	1.8	7,500	2012(27)	13,500	7,290
					7,500	2013(15)	13,500	4,050
					1,875	2014(3)	3,375	203
							30,375	**11,543**
2	श्री देवेन्द्र सिंह कुशवाहा	10.10.2010 से 2020	पत्थर	2.055	5,000	2012(27)	10,275	5,549
					5,000	2013(15)	10,275	3,083
					1,875	2014(3)	3,853	231
							24,403	**8,863**
3	श्री विमल लुनिया	10/2008 से 2018	पत्थर	1.089	5,000	2010(51)	5,445	5,554
					5,000	2011(39)	5,445	4,247
					7,500	2012(27)	8,168	4,410
					7,500	2013(15)	8,168	2,450
					1,875	2014(3)	2,042	123
							29,268	**16,784**
4	श्रीमति जया कश्यप	7.09.2009 से 2019	पत्थर	0.2	5,000	2011(39)	1,000	780
					5,000	2012(27)	1,000	540
					7,500	2013(15)	1,500	450
					1,875	2014(3)	375	23
							3,875	**1,793**
5	श्री अब्दूल वाहिद सिददकी	2006 से 2016	पत्थर	3.38	7,500	2012 (27)	25,350	13,689
					7,500	2013(15)	25,350	7,605
					1,875	2014(3)	6,338	380
							57,038	**21,674**
6	मे. जलज मिनरल् और मेटल	2.10.2007 से 01.10.2017	पत्थर	3.848	5,000	2009(63)	19,240	24,242
					5,000	2010(51)	19,240	19,625
					7,500	2011(39)	28,860	22,511
					7,500	2012(27)	28,860	15,584
					7,500	2013(15)	28,860	8,658
					1,875	2014(3)	7,215	433
							1,32,275	**91,053**
7	श्री सुशील कुमार शर्मा	10.10.2005 से	मुरूम	2.00	2,000	2007(87)	4,000	6,960
					2,000	2008(75)	4,000	6,000

		09.10.2015			3,000	2009(63)	6,000	7,560
					3,000	2010(51)	6,000	6,120
					3,000	2011(39)	6,000	4,680
					3,000	2012(27)	6,000	3,240
					3,000	2013(15)	6,000	1,800
					750	2014(3)	1,500	90
							39,500	**36,450**
8	श्री चेतना मनेक	16.03.2006 से 15.03.2016	पत्थर	2.01	7,500	2009(63)	15,075	18,995
					7,500	2010(51)	15,075	15,377
					7,500	2011(39)	15,075	11,759
					7,500	2012(27)	15,075	8,141
					7,500	2013(15)	15,075	4,523
					1,875	2014(3)	3,769	226
							79,144	**59,021**
9	श्री कमलेश बडवानी	6/2010 से 6/2013	मिट्टी	1.809	3,000	2012(27)	5,427	2,931
					1,500	2013(15)	2,714	814
							8,141	**3,745**
10	श्री भुपेश बडवानी	29.12.03 से 28.12.13	मिट्टी	2.165	3,000	2010(51)	6,495	6,625
					3,000	2011(39)	6,495	5,066
					3,000	2012(27)	6,495	3,507
					3,000	2013(15)	6,495	1,949
							25,980	**17,147**
11	श्री नरेश अग्रवाल	09.03.10 से 08.03.15	पत्थर	0.85	5,000	2011(39)	4,250	3,315
					5,000	2012(27)	4,250	2,295
					7,500	2013(15)	6,375	1,913
					1,875	2014(3)	1,594	96
							16,469	**7,619**
12	श्री हरजीत सिंह	29.08.06 से 28.03.16	पत्थर	1.688	5,000	2008(75)	8,440	12,660
					5,000	2009(63)	8,440	10,634
					7,500	2010(51)	12,660	12,913
					7,500	2011(39)	12,660	9,875
					7,500	2012(27)	12,660	6,836
					7,500	2013(15)	12,660	3,798
					1,875	2014(3)	3,165	190
							70,685	**56,906**
13	श्री सीमा एलाएज प्राइवेट लिमिटेड	27.03.08 से 26.03.18	पत्थर	1.684	5,000	2009(63)	8,420	10,609
					5,000	2010(51)	8,420	8,588
					7,500	2011(39)	12,630	9,851
					7,500	2012(27)	12,630	6,820

					7,500	2013(15)	12,630	3,789
					1,875	2014(3)	3,158	189
							57,888	**39,846**
14	श्री छोटेलाल सोनकर	29.11.04 से 28.11.14	मिट्टी	2.93	3,000	2011(39)	8,790	6,856
					3,000	2012(27)	8,790	4,747
					3,000	2013(15)	8,790	2,637
					750	2014(3)	2,198	1,32
							28,568	**14,372**
15	श्री लक्ष्मण दास	04.10.04 से 03.10.14	मिट्टी	1.33	3,000	2008(75)	3,990	5,985
					3,000	2009(63)	3,990	5,027
					3,000	2010(51)	3,990	4,070
					3,000	2011(39)	3,990	3,112
					3,000	2012(27)	3,990	2,155
					3,000	2013(15)	3,990	1,197
					750	2014(3)	9,98	60
							24,938	**21,606**
16	श्री नरेश अग्रवाल	09.03.10 से 08.03.15	पत्थर	1.63	5,000	2011(39)	8,150	6,357
					5,000	2012(27)	8,150	4,401
					7,500	2013(15)	12,225	3,668
					1,875	2014(3)	3,056	183
							31,581	**14,609**
17	श्री रनजीत कौर	06.06.05 से 05.06.15	पत्थर	0.5	5,000	2008(75)	2,500	3,750
					5,000	2009(63)	2,500	3,150
					7,500	2010(51)	3,750	3,825
					7,500	2011(39)	3,750	2,925
					7,500	2012(27)	3,750	2,025
					7,500	2013(15)	3,750	1,125
					1,875	2014(3)	938	56
							20,938	**16,856**
18	श्री उत्तम दुबे	14.08.06 से 13.08.16	पत्थर	0.85	5,000	2009(63)	4,250	5,355
					7,500	2010(51)	6,375	6,503
					7,500	2011(39)	6,375	4,973
					7,500	2012(27)	6,375	3,443
					7,500	2013(15)	6,375	1,913
					1,875	2014(3)	1,594	96
							31,344	**22,283**
19	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह ठाकुर	04.09.06 से 03.09.16	पत्थर	0.405	5,000	2009(63)	2,025	2,552
					7,500	2010(51)	3,038	3,098

					7,500	2011(39)	3,038	2,369
					7,500	2012(27)	3,038	1,640
					7,500	2013(15)	3,038	911
					1,875	2014(3)	759	46
							14,936	**10,616**
			अनिवार्य भाटक योग				**7,27,346**	
			व्याज				**4,72,786**	
			महायोग				**12,00,132**	

परिशिष्ट-7.1

(संदर्भ कंडिका 7.3.10.1)

वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	2008-09	कार्य का वर्ष	2009-10	कुल क्षेत्रफल (हे.)	कुल व्यय (₹ लाख में)
	मूल्याकन हेतु डयू वर्ष	2012-13	मूल्यांकन हेतु डयू वर्ष	2013-14		
	उपचारित क्षेत्र (हे.)	किया गया व्यय (₹ लाख में)	उपचारित क्षेत्र (हे.)	किया गया व्यय (₹ लाख में)		
बस्तर	1,970.000	50.19	1,500.000	44.25	3,470.000	94.44
भानुप्रतापपुर (पूर्व)	1,398.480	55.20	677.710	29.14	2,076.190	84.34
बीजापुर	7,250.000	216.24	4,341.108	193.66	11,591.108	409.90
दंतेवाडा	5,499.550	178.70	6,880.500	237.37	12,380.050	416.07
धमतरी	610.000	24.10	560.000	29.59	1,170.000	53.69
गरियाबंद	2,738.390	118.45	2,365.090	89.28	5,103.480	207.73
कठघोरा	2,831.290	65.35	5,313.230	243.42	8,144.520	308.77
खैरागढ़	1,176.260	29.74	1,665.000	49.08	2,841.260	78.82
कोरिया	1,175.108	46.24	2,116.735	90.78	3,291.843	137.02
नारायणापुर	957.880	37.80	2,926.140	129.79	3,884.020	167.59
रायगढ़	3,822.600	110.84	804.570	34.55	4,627.170	145.39
सुकमा	0.000	0.00	9,266.720	446.16	9,266.720	446.16
सुरजपुर	1,000.000	39.50	1,000.000	42.98	2,000.000	82.48
सरगुजा	555.260	14.16	0.000	0.00	555.260	14.16
योग	**30,984.818**	**986.51**	**39,416.803**	**1,660.05**	**70,401.621**	**2,646.56**

परिशिष्ट 7.2

(संदर्भ कंडिका 7.3.10.3)

वनमंडल का नाम	वर्ष	कक्षों की सं.	कक्षों का क्षेत्र (हे.)	उपचारित क्षेत्र (हे.)	व्यय (₹ लाख में)	वांस क्षेत्र (हे.)	वांस विहीन क्षेत्र (हे.)	परिहार्य व्यय (₹ लाख में)
बस्तर	2011-12	4	959.782	809.972	47.78	0	809.972	47.78
बीजापुर	2008-09 और 2010-11	6	1,208.350	880.000	33.18	0	880.000	33.18
धमतरी	2008-09 और 2012-13	12	4,665.860	779.000	39.33	0	779.000	39.33
गरियाबंद	2011-12	17	4,863.780	2,234.000	125.54	801.960	1,432.040	80.45
कटघोरा	2009-10	4	1,547.825	850.000	41.67	0	850.000	41.67
योग		**43**	**13,245.597**	**5,552.972**	**287.50**	**801.960**	**4,751.012**	**242.41**

परिशिष्ट-7.3

(कंडिका क्र.7.3.10.5 के संदर्भ में (A))

(राशि ₹ में)

वनमंडल का नाम	कार्य की अवधि	उपचारित क्षेत्रफल (हे.)	उपचारित भिर्रों की सं.	व्यय	व.सं. द्वारा निर्धारित जॉब दर के अनुसार होने वाला व्यय	अधिक व्यय
भानुप्रतापपुर	2012-13 और 2013-14	2,788.29	1,81,120	86,87,641	43,56,583	43,31,058
नारायणपुर	2012-13	455.00	76,680	35,64,723	16,27,963	19,36,760
योग		**3,243.29**	**2,57,800**	**1,22,52,364**	**59,84,546**	**62,67,818**

परिशिष्ट-7.4

(संदर्भ कंडिका 7.3.10.5(ब))

(राशि ₹ में)

वनमंडल का नाम	कार्य की अवधि	उपचारित क्षेत्र (हे.)	उपचारित भिर्रों की संख्या	व्यय	व.सं. द्वारा निर्धारित जॉब दरों के अनुसार होने वाला व्यय	अधिक व्यय
सुकमा	2009-10 और 2010-11	15,327.547	13,30,563	3,92,50,890	3,44,70,376	47,80,514
बीजापुर	2011-12 और 2012-13	10,312.435	12,23,995	3,95,67,048	3,48,89,705	46,77,343
जगदलपुर	2011-12 और 2012-13	3,134.365	3,28,967	1,10,76,801	1,00,36,146	10,40,655
दंतेवाडा	2010-11 और 2011-12	11,598.490	10,45,759	3,13,79,533	2,92,49,891	21,29,642
योग		**40,372.837**	**39,29,284**	**12,12,74,272**	**10,86,46,118**	**1,26,28,154**

परिशिष्ट- 7.5

(संदर्भ कंडिका 7.3.10.6)

(राशि ₹ में)

वनमंडल का नाम	कार्य की अवधि	उपचारित क्षेत्र (हे.)	भिर्रो की व्यास की माप		उपचारित भिर्रो की सं.	व्यय	प्र.मु.व.सं. द्वारा निर्धारित जाब दरों के अनुसार होने वाला व्यय	अधिक व्यय
			1.5 मी. तक	1.5 मी. से अधिक				
भानुप्रतापपुर (पूर्व)	2013-14	125.000	8,310	4,240	12,550	6,48,457	3,96,718	2,51,739
रायगढ़		984.042	58,293	17,484	75,777	33,74,023	26,09,875	7,64,148
कटघोरा		5826.880	4,13,307	99,645	5,12,952	2,04,80,723	1,58,51,466	46,29,257
कोरिया		775.365	25,339	20,945	46,284	19,52,354	15,54,381	3,97,973
नारायणपुर		1050.000	30,364	38,360	68,724	37,85,355	24,32,871	13,52,484
योग		**8,761.287**	**5,35,613**	**1,80,674**	**7,16,287**	**3,02,40,912**	**2,28,45,311**	**73,95,601**

परिशिष्ट- 7.6

(संदर्भ कंडिका 7.3.10.7)

सं.क्र.	कक्ष का कुल क्षेत्रफल	पहले किया गया बिगडे बांस वनों का सुधार कार्य			पुनः लिया गया बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य			अधिक उपचारित क्षेत्र (हे.)	परिहार्य व्यय (₹ लाख में)
		कार्य की अवधि	उपचारित क्षेत्र (हे.)	किया गया व्यय (₹ लाख में)	कार्य की अवधि	उपचारित क्षेत्र (हे.)	व्यय(₹ लाख में)		
खैरागढ़									
420	296.215	2010-11 से 2012-13	286.215	9.30	2012-13	93.143	4.35	83.143	3.88
बीजापुर									
382	195.000	2010-11 से 2012-13	150.000	8.25	2012-13	126.086	6.71	81.086	4.32
188	218.000	2010-11 से 2012-13	220.100	11.17	2012-13	104.405	6.47	104.405	6.47
863	256.528	2010-11 से 2012-13	336.000	32.33	2012-13	256.508	28.60	588.03	30.44
865	296.000	2010-11 से 2012-13	252.000		2012-13	296.05			
योग	**1,286.303**		**1,244.315**	**61.05**		**876.192**	**46.13**	**856.664**	**45.11**

कक्ष क्र.	कक्ष को कुल क्षेत्रफल	पहले किया गया बिगडे बांस वनों का सुधार कार्य			पुनः लिया गया बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य			अधिक उपचारित क्षेत्र (हे.)	परिहार्य व्यय (₹ लाख में)
		कार्य की अवधि	उपचारित क्षेत्र (हे.)	व्यय (₹ लाख में)	कार्य की अवधि	उपचारित क्षेत्र (हे.)	व्यय (₹ लाख में)		
दंतेवाडा									
1288	339.212	2009-10 /पौधा रोपण सहित	230	28.52	2010-11/ पौधा रोपण रहत	223.815	7.39	114.603	3.78
गरियाबंद									
793	258.67	2008-09/ पौधा रोपण सहित	173.67	22.76	2009-10/ पौधा रोपण रहत	258.43	8.90	173.430	5.97
योग	**597.882**		**403.67**	**51.28**		**482.245**	**16.29**	**288.033**	**9.75**
महायोग	**1,884.185**		**1,647.985**	**112.33**		**1,358.437**	**62.42**	**1,144.697**	**54.86**

परिशिष्ट-7.7
(संदर्भ कंडिका 7.3.11.1)

(राशि ₹ में)

वनमंडल	वर्ष	स्थलों की सं.	पौधारोपन क्षेत्र (हे.)	रोपित पौधे की सं.	व्यय की गई राशि
बस्तर	2010	2	50.000	20,000	26,05,674
		2	50.000	20,000	24,17,402
योग		**3**	**100.000**	**40,000**	**50,23,076**
भानु प्रतापपुर (पूर्व)	2009	2	68.620	27,448	9,72,734
	2010	6	200.000	80,000	26,81,383
योग		**8**	**268.620**	**1,07,448**	**36,54,117**
बीजापुर	2013	2	100.000	40,000	
योग		**2**	**100.000**	**40,000**	**0**
दंतेवाड़ा	2010	3	50.000	20,000	
	2011	1	120.000	48,000	
योग		**4**	**170.000**	**68,000**	**0**
धमतरी	2009	2	270.110	1,08,044	37,70,475
	2010	12	775.270	3,10,108	96,35,980
	2011	23	1327.200	5,30,880	2,42,20,605
	2013	4	233.000	93,200	45,06,023
योग		**41**	**2605.580**	**10,42,232**	**4,21,33,083**
गरियाबंद	2010	4	449.020	1,79,608	24,95,324
	2011	15	769.720	5,19,440	1,11,36,504
	2012	4	449.840	3,37,361	2,70,28,570
योग		**23**	**1668.580**	**10,36,409**	**4,06,60,398**
कटघोरा	2010	2	100.000	40,000	52,09,707
	2011	7	350.000	1,40,000	1,92,74,173
	2012	3	340.000	1,36,000	65,13,781
	2013	1	20.000	8,000	3,83,981
योग		**13**	**810.000**	**3,24,000**	**3,13,81,642**
खैरागढ़	2010	1	50.000	20,000	6,00,316
	2013	6	295.000	1,18,000	1,08,90,974
योग		**7**	**345.000**	**1,38,000**	**1,14,91,290**
कोरिया	2008	5	280.000	1,12,000	39,16,135
	2009	3	150.000	60,000	23,35,007
	2010	2	75.000	30,000	11,78,898
	2012	5	205.000	82,000	40,37,447
	2013	5	190.000	76,000	63,90,948
योग		**20**	**900.000**	**3,60,000**	**1,78,58,435**
रायगढ़	2010	1	20.000	8,000	4,62,910

	2013	4	125.000	50,000	56,73,420
योग		**5**	**145.000**	**58,000**	**61,36,330**
रायपुर	2010	4	220.000	83,120	91,19,321
	2011	6	360.000	1,44,000	1,51,07,672
	2012	6	313.820	119858	1,50,00,882
योग		**16**	**893.820**	**3,46,978**	**3,92,27,875**
सुरजपुर	2009	2	100.000	40,000	13,94,423
	2011	6	502.326	2,00,930	2,41,41,731
	2012	10	765.000	3,06,000	1,37,60,810
	2013	1	20.000	8,000	2,74,323
योग		**19**	**1,387.326**	**5,54,930**	**3,95,71,287**
सरगुजा	2009	4	123.500	49,400	17,49,902
	2011	3	120.000	48,000	63,03,802
	2012	16	737.670	2,95,080	3,75,02,425
योग		**23**	**981.170**	**3,92,480**	**4,55,56,129**
महायोग		**184**	**10,375.096**	**45,08,477**	**28,26,93,662**

परिशिष्ट-7.8

(संदर्भ कंडिका 7.3.12.2)

वनमंडल	प्रथम निविदा वर्ष लाट सं./	अनुमानित मात्रा (नो.ट.)	प्रति नो.ट का विक्रय मूल्य (₹)	मात्रा जिस हेतु क्रेता माल उठाने हेतु बाध्य था।	वास्तविक उत्पादन (नो.ट.)	उठाई गयी मात्रा (₹)	बची हुई मात्रा (₹)	व.वि.उ. सहित मूल्य (₹)	अनुमानों से अधिक उत्पादन मात्रा	पुनःनिविदा का वर्ष/ लाट सं.	विक्री के लिए रखी गई मात्रा (नो.ट.)	प्रति विक्रय मूल्य (₹)	व.वि.उ. सहित मूल्य (₹)	पुनः निविदा के कारण राजस्व की कम प्राप्ति (₹)
खैरागढ़	2011-12/डी 7	930	7111	1162.5	1235.124	1162.5	72.624	531922	32.81%	2012-13/ डी 19	62.215	1510	96763	435159
	2011-12/ डी 9	700	7114	875	936.287	875	61.287	449076	33.76%	2012-13/ डी 20	52.104	1510	81037	368038
	2011-12/ डी 15	596	7100	745	834.631	745	89.631	655472	40.04%	2012-13/ डी 21	89.631	1515	139865	515607
योग (खैरागढ़)		**2226**		**2782.5**	**3006.042**	**2782.5**	**223.542**	**1636469**			**203.95**		**317665**	**1318804**
रायगढ़	2011-12/ बी 2	867.41	5851	1084.2625	1796.352	1331.334	465.198	2803530	106.97%	2012-13/ बी 3	465.199	3339	1599898	1203632
महायोग		**3093.41**		**3866.763**	**4802.574**	**4113.834**	**688.740**	**4439999**			**669.149**		**1917563**	**2522436**

परिशिष्ट-7.9

(संदर्भ कंडिका 7.4.3)

पौधारोपण कार्य का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर)	पौधों की सं.	आवंटन (₹)	व्यय (₹)
बांस रोपण	50	20,000	8,60,650	8,60,650
उच्च तकनीकी बांस रोपन	50	20,000	24,55,000	24,55,000
उच्च घनत्व ऊर्जा पौधारोपण	20	44,000	9,72,500	9,72,500
योग	**120**	**84,000**	**42,88,150**	**42,88,150**

परिशिष्ट 7.10

(संदर्भ कंडिका 7.5)

(राशि ₹ लाख में)

वर्ष	मजदूरी, लघु निर्माण रखरखाव कार्य और क्रय		लकड़ी का परिवहन		योग	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
वनमंडल-नारायणपुर						
2009-10	5.22	3.95	5.50	5.22	10.72	9.17
2010-11	1.20	1.25	1.50	2.07	2.70	3.32
योग	**6.42**	**5.20**	**7.00**	**7.29**	**13.42**	**12.49**
वनमंडल-भानुप्रतापपुर (पश्चिम)						
2009-10	11.50	7.65	18.00	16.81	29.50	24.46
2010-11	9.72	7.39	8.00	13.44	17.72	20.83
योग	**21.22**	**15.04**	**26.00**	**30.25**	**47.22**	**45.29**
महायोग	**27.64**	**20.24**	**33.00**	**37.54**	**60.64**	**57.78**

शब्द कोष

संक्षेप की शब्दावली

संक्षिप्त	पूरा रूप
स.आ.वा.क.	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर
ले. स.बै.	लेखापरीक्षा समिति बैठक
स.वा.क.अ.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
अति.आ.वा.क.	अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर
अति.नि.ख. प.	अतिरिक्त निर्देशक, खनन प्रशासन
अति.प.आ.	अतिरिक्त परिवहन आयुक्त
स.आ.आ.	सहायक आबकारी आयुक्त
म.ले.	महालेखाकार
स.ख.अ.	सहायक खनन अधिकारी
क.नि.अ.	कर निर्धारण अधिकारी
अति. प्रा.प्र.व.सं.	अतिरिक्त प्रधान प्रमुख वन संरक्षक
ले.प्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
अति.क्षे.प.अ.	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
स.प.आ.	सहायक परिवहन आयुक्त
का.टी.	कार्यवाही की टीप
ब.अ.	बजट अनुमान
ब.ली.	बल्क लीटर
प्र.व.स.	प्रमुख वन संरक्षक
आ.वा.क.	आयुक्त वाणिज्यिक कर
व.सं.	वन संरक्षक
छ.ग.प्र.क.अधिनियम	छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम
छ.ग.मो.क. अधानियम	छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम
छ.ग.म.स.क.अधिनियम	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम
सी.आई.	कास्ट आयरन
के.मो.नियम	केन्द्रीय मोटर यान नियम
छ.ग.रा.बे.का.लि.	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड
आ.बं.मू.अ.	आयुक्त, बंदोबस्त और भू-अभिलेख
के.वि.क.	केन्द्रीय विक्रय कर
वा.क.	वाणिज्यिक कर
वा.क.नि.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वा.क.अ.	वाणिज्यिक कर अधिकारी

उ.आ.	उपायुक्त अधिकारी
उ.नि.ख	उप निदेशक, खनिज
जि.आ.अ.	जिला आबकारी अधिकारी
व.मं.अ.	वनमंडलाधिकारी
नि.भौ.ख.	निदेशक, भौमिकी और खनिज
जि.ख.अ.	जिला खनिज अधिकारी
उ.प.आ.	उप परिवहन आयुक्त
जि.प.अ.	जिला परिवहन अधिकारी
आ.आ.	आबकारी आयुक्त
प्र.क.	प्रवेश कर
वि.म.	विदेशी मदिरा
वै.जा.प्र.	वैज्ञानिक जाँच प्रयोगशाला
हे.	हेक्टेयर
वि.अ.	विभागाध्यक्ष
आ.ले.प.शा.	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा
आं.नि.प्र.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली
भा.व.अ.	भारतीय वन अधिकारी
भा.नि.वि.म.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
भा.मु.अधिनियम	भारतीय मुद्रांक अधिनियम
आ.क.रि.	आगत कर रिबेट
वृ.प्रा.कं.	वृहत प्रारूप कंडिका
न्यू.प्र.मा.	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा
ख.नि.	खनिज निरीक्षक
मि.ली.	मिली लीटर
म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.अ.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
मि.ट.	मिट्रिक टन
रा.बां.मि.	राष्ट्रीय बांस मिशन
गै.शा.सं.	गैर-शासकीय संस्था
रा.सू.के.	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
नो.ट.	नोशनल टन
का.यु.वि.	कार्बनिक युक्त विलायक
नि.ले.प.	निष्पादन लेखा परीक्षा
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति

प्र.प्र.व.सं.	प्रधान प्रमुख वन संरक्षक
प्र.ल.	प्रुफ लीटर
पी.एम.ई.एस	प्लेट मिल इन्ड सियरिंग
लो.नि.वि.	लोक निर्माण विभाग
बि.बा.व.सु.	बिगडे बांस वनों का सुधार
बि.व.सु.	बिगडे वनों का सुधार
प.का.	परिक्षेत्र कार्यालय
रा.व.प्र.	राजस्व वसूली प्रमाणपत्र
क्षे.प.अ.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
सौ.ऊ.बा.	सौर ऊर्जा बाड़ा
स.या.प्र.	सरल यादृच्छिक प्रतिचयन
प.आ.	परिवहन आयुक्त
प.का.	परिवहन कार्यालय
मू.सं.क.	मूल्य संवर्धित कर
अ.म.ज.	अति महत्वपूर्ण जन
का.आ.	कार्य आयोजना